अध्याय III

वाणिज्यिक बैंकिंग की गतिविधियां

3.1 औद्योगिक गतिविधि की बहाली ने वर्ष 2002-03 में वाणिज्यिक बैंकों के परिचालनगत व्यापक आर्थिक परिवेश में एक उल्लेखनीय बदलाव ला दिया। निरंतर मजबूत पूंजी के आगम के साथ वर्ष के दौरान खाद्येतर ऋण के उठाव में बहाली आयी। वाणिज्यिक बैंक उद्योग से इस बढ़ी हुई मांग को अपने देशी और विदेशी दोनों प्रकार केनिवेशों की संचित स्थिति में कोई बाधा डाले बिना, पूरा करने में सफल रहे, इस संचित स्थिति को उन्होंने पिछले वर्ष के दौरान अल्प ऋण उठाव के कारण बनाया था। इस प्रकार इस वर्ष के दौरान उनके कार्य निष्पादन ने गिरती ब्याज दर प्रणाली और ऋण की मांग की बहाली के मिश्रण को दर्शाया। सहज चलनिधि की स्थितियां सशक्त पूंजी आगम से 2003-04 की प्रथम छमाही में बनी रहीं।

3.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर, वाणिज्यिक बैंकों के निवल लाभ ने पिछले वर्ष की जबरदस्त निष्पादन के और ऊपर 2002-03 के दौरान भारी वृद्धि दर्ज करना जारी रखा। आस्तियों पर प्रतिलाभ ने सभी प्रमुख आय श्रेणियों में बढ़ोत्तरी (वृद्धि) द्वारा लाये गये एक उल्लेखनीय सुधार को दर्शाया। खुदरा तथा आवासीय घटकों में आयी तेजी के कारण उधार तथा शुल्कगत आय दोनों में वृद्धि हुई । व्यापारगत आय मजबूत बनी रही जो सरकारी प्रतिभूति बाजारों में तेजी के अनुरूप थी जिससे नरम ब्याज दर प्रणाली झलकती है। जमा दरों में गिरावट के साथ ब्याज-व्यय में भी तेजी से कमी आयी (सारणी III.1)।

3.3 बैंकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उत्तम प्रथाओं के अनुरूप अपनी जोखिम प्रबंध प्रक्रिया को उन्नत करने के लिए सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा के बदलते रूप के साथ-साथ बैंकों ने भी अपनी कारोबार प्रथाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए सार्थक पहलें की हैं। इसमें ग्राहकों को मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की बढ़ती हुई शक्ति और उन्नत-उत्पाद भी शामिल हैं। इसके अलावा ऋण, बाजार और परिचालनात्मक जोखिमों पर निगरानी करने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन, विशेषीकृत आस्ति वसूली प्रबंध शाखाओं के गठन के साथ-साथ वसूली प्रबंधन पर ध्यान एकाग्र करने और कंपनी सचालन की प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

2. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियां और देयताएं[1]

3.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलनपत्र के आकार ने 2002-03 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में धीमी वृद्धि दर्ज की जिसमें विलय के प्रभावों को भी समायोजित किया गया है, तथापि विदेशी और नये निजी बैंकों को छोड़कर सभी बैंक समूहों ने दो अंकीय आस्ति-वृद्धि दर्ज की है (सारणी III.2)

3.5 किसी अर्थव्यवस्था में बैंक की आस्तियों का आकार, उसकी वित्तीय परिपक्वता का एक मापक है। सकल देशी उत्पाद के संबंध में

सारणी III.1 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आय-व्यय की स्थिति में परिवर्तन

(राशि करोड़ रुपये में)

संकेतक	2001-02		2002-03	
	समग्र राशि	प्रतिशत	समग्र राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. आय (क+ख)	**18,956**	**14.3**	**21,342**	**14.1**
क) ब्याज आय	11,867	10.3	13,760	10.8
ख) अन्य आय	7,089	41.7	7,582	31.5
2. व्यय (क + ख + ग)	**13,783**	**11.0**	**15,841**	**11.4**
क) ब्याज व्यय	9,375	12.0	6,091	7.0
ख) परिचालन व्यय	-499	-1.5	4,406	13.1
ग) प्रावधान और आकस्मिकताएं	4,907	36.7	5,344	29.3
3. परिचालन लाभ	**10,080**	**51.0**	**10,845**	**36.3**
4. निवल लाभ	**5,173**	**80.8**	**5,501**	**47.5**

[1] अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियों और देयताओं को मुख्यतया बैंकों के मार्च के अंत के लेखा परीक्षित वार्षिक खातों के आधार पर विश्लेषित किया गया है।

सारणी III.2 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के समेकित तुलनपत्र

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	मार्च 2002 के अंत में		मार्च 2003 के अंत में	
	राशि	कुल का प्रतिशत	राशि	कुल का प्रतिशत
1	2	3	4	5
कुल देयताएं	**15,36,425**	**100.0**	**16,98,916**	**100.0**
1. पूंजी	21,472	1.4	21,594	1.3
2. प्रारक्षित निधियां और अधिशेष	62,684	4.1	76,288	4.5
3. जमाराशियां	12,05,930	78.5	13,55,880	79.8
3.1 मांग जमाराशि	1,52,929	10.0	1,64,590	9.7
3.2 बचत बैंक जमाराशि	2,55,598	16.6	3,02,303	17.8
3.3 मीयादी जमाराशि	7,97,403	51.9	8,88,987	52.3
4. उधार राशियां	1,02,226	6.6	87,476	5.1
5. अन्य देयताएं और प्रावधान	1,44,113	9.4	1,57,678	9.3
कुल आस्तियां	**15,36,425**	**100.0**	**16,98,916**	**100.0**
1. भारिबैंक के पास नकद और शेष राशि	86,761	5.7	86,118	5.1
2. बैंकों के पास शेष राशि और मांग और अल्पावधि सूचना पर जमाराशियां	1,18,576	7.7	74,554	4.4
3. निवेश	5,87,253	38.2	6,93,791	40.8
3.1 सरकारी प्रतिभूतियों में (क +ख)	4,31,796	28.1	5,36,381	31.6
क) भारत में	4,28,418	27.9	5,33,143	31.4
ख) विदेश में	3,378	0.2	3,238	0.2
3.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	21,753	1.4	19,276	1.1
3.3 गैर अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1,33,704	8.7	1,38,134	8.1
4. ऋण और अग्रिम	6,45,438	42.0	7,40,473	43.6
4.1 खरीदे और भुनाये गये बिल	53,094	3.5	58,783	3.5
4.2 नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट *आदि*	3,22,199	21.0	3,51,519	20.7
4.3 मीयादी ऋण	2,70,145	17.6	3,30,171	19.4
5. अचल आस्तियां	20,091	1.3	20,278	1.2
6. अन्य आस्तियां	78,306	5.1	83,702	4.9

स्रोत : संबंधित बैंकों के तुलनपत्र

बैंक आस्तियों के आकार का किसी अर्थव्यवस्था के वित्तीय विकास के स्वरूप के लिए महत्त्वपूर्ण आशय है। बाजार मूल्यों पर सकल देशी उत्पाद के प्रति बैंक आस्तियों का अनुपात भारत के मामले में 69 प्रतिशत है जो एशिया और लैटिन अमरीका के विकासशील देशों से तुलनीय है, किंतु यह विकसित देशों से बहुत कम है (चार्ट III.1)

चार्ट III.1 :चुनिंदा देशों में स.दे.उ. के प्रति बैंक आस्तियां

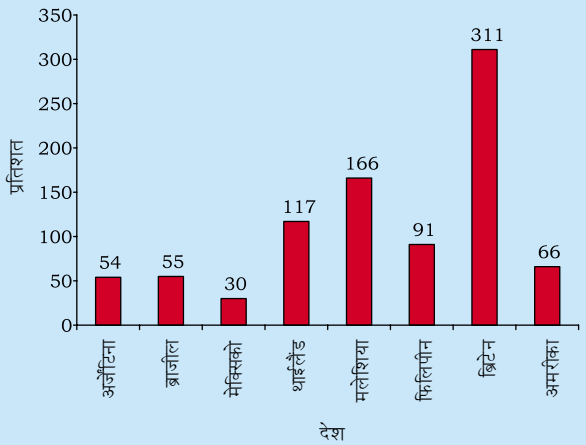

स्रोत : बर्थ, जे.जी. केपिनो अॅन्ड आर लेविन (2001)। विश्व के चारों ओर, बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण; विश्व बैंक, वाशिंग्टन डीसी

3.6 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के तुलनपत्र के संयोजन में होनेवाले बदलाव, सब मिलाकर, समष्टिगत अर्थव्यवस्था के परिवेश के परिवर्तन में झलकता है। जमाराशियां देयताओं की लगभग 4/5 भाग बनी रहीं। कुल आस्तियों में सरकारी प्रतिभूतियों का हिस्सा सरकारी प्रतिभूति बाजारों में तेजी के प्रतिसाद में ऊपर चढ़ता रहा। साथ ही कुल आस्तियों में बैंक ऋण के अंश ने भी औद्योगिक गतिविधि में उछाल के साथ वृद्धि दर्ज की। इसे मांग का वित्तपोषण मांग/मीयादी मुद्रा बाजारों में हुए विस्तार और सभी बैंक समूहों के संबंध में विदेशों में नास्ट्रो खातों से राशियों के आहरण से निधियन किया गया।

(परिशिष्ट सारणी III.1(अ) से III.1(इ)। हाल के वर्षों में लाभप्रदता में वृद्धि ने बैंकों की प्रारक्षित निधियों तथा अधिशेषों में रखे अंश को पिछले पांच वर्षों में रखे गये अंश से काफी बढ़ा दिया है।

बैंक समूह वार स्थिति

3.7 2002-03 के दौरान सभी बैंक समूहों के लिए मौटे तौर पर समग्र प्रवृत्तियां कम या ज्यादा की बनी रहीं। बेहतर निवेश के वातावरण को प्रतिबिंबित करते हुए अनेक वर्षों के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अग्रिम संविभाग बदल गये हैं। यही तथ्य पुराने निजी बैंकों के लिए भी सही था। नये निजी बैंकों ने मीयादी ऋणों में वृद्धि के साथ-साथ मीयादी जमाराशियों में भी वृद्धि दर्शायी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में कुल आस्तियों में विदेशी बैंकों का हिस्सा न्यून रहते हुए भी वे सरकारी प्रतिभूति बाजारों में सक्रिय बने रहे।

वर्ष के दौरान घटबढ़[2]

3.8 तुलनपत्रों में लेनदेनों की गति 2002-03 के दौरान जमाराशियां, ऋणों तथा निवेशों में सशक्त वृद्धि दर्शाती है (सारणी III.3) । वर्ष 2003-04 के दौरान अब तक जमाराशियों की वृद्धि संतुलित बनी रही है, जबकि ऋण की निकासी में गिरावट आयी है।

सारणी III.3 : चुनिंदा बैंकिंग संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

संकेतक	21 मार्च 2003 को बकाया	वित्त वर्ष के दौरान प्रवाह (प्रतिशत)	
		2001-02	2002-03
1	2	3	4
1. समग्र जमाराशियां (क+ख)	12,80,853	14.6	16.1 (13.4)
क) मांग जमाराशियां	1,70,289	7.4	11.3
ख) मीयादी जमाराशियां	11,10,564	15.9	16.9 (13.7)
2. बैंक ऋण (क + ख)	7,29,215	15.3	23.7
क) खाद्यान्न ऋण	49,479	35.0	-8.3
ख) खाद्येतर ऋण	6,79,736	13.6	26.9
3. सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	5,23,417	20.9	27.3

टिप्पणी : कोष्टकों में आंकड़े 3 मई 2002 से विलयन के प्रभाव को छोड़कर है।
स्रोत : धारा 42(2) के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों की विवरणियां

जमाराशियां

3.9 2002-03 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जमा संग्रहण (विलयन के निवल प्रभाव को घटाकर) कमोबेश अप्रैल 2003 के मौद्रिक और ऋण नीति संबंधी वक्तव्य में किये गये 14 प्रतिशत के अनुमान के अनुसार बना रहा (परिशिष्ट सारणी III.2)। 2002-03 के दौरान जमाराशियों में कम वृद्धि मौटे तौर पर मौद्रिक आधार में गिरावट को दर्शाती है। मीयादी जमाराशियों में (विलय को घटाकर) हाल ही में गिरावट देखी गयी जो अनेक कारकों को दर्शाती है, जैसे हाल ही में जमा दरों में अभी नरम ब्याज की दरों के कारण ब्याज का कम अर्जन, और उच्चतर औद्योगिक गतिविधियों के अनुरूप चालू खाते की ओर झुकाव। इसके परिणामस्वरूप मांग जमाराशियों ने स्वस्थ वृद्धि दर्ज की जिसे खाद्येतर ऋण में उच्चतर उठाव और औद्योगिक उत्पादन की बहाली से समर्थन मिला। जमा विस्तार 2003-04 में अब तक दबा-दबा रहा जो प्राथमिक रूप से कम ब्याज दरों और गत वर्ष के सूखे के प्रभाव के फलस्वरूप मीयादी जमाराशियों में गिरावट को दर्शाता है। दूसरी तरफ, मांग जमाराशियां चालू वर्ष के दौरान उछाल भरी रहीं।

जमाप्रमाणपत्र (सीडी)

3.10 2002-03 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी जमा प्रमाणपत्रों ने गिरावट दर्शानी जारी रखी जो आसान चलनिधि स्थितियों की विद्यमानता कारण थी। यद्यपि 2003-04 में अब तक इसमें थोड़ा-सा सुधार देखा गया है। (परिशिष्ट सारणी III.3) । जमा प्रमाणपत्रों पर बट्टा दरें भी नरम बनी रहीं। विगत की तरह, 2002-03 के दौरान भी जमा प्रमाणपत्रों के मुख्य जारीकर्ताए अपेक्षाकृत साधारण खुदरा आधार के साथ 2002-03 के दौरान यूटीआइ बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, इंडसइंड बैंक, सेन्चुरियन बैंक और कर्नाटक बैंक और 2003-04 के दौरान अब तक यूटीआइ बैंक, इंडसइंड बैंक, केनरा बैंक और सिटीबैंक एन.ए. जैसे बैंक थे।

स्थायी चलनिधि सुविधाएं

3.11 रिजर्व बैंक क्षेत्र-विशेष के लिए पुनर्वित्त सुविधाएं चरणबद्ध रूप से बंद करने की प्रक्रिया में है। संपार्श्विकीकृत उधार की सुविधा (सीएलएफ) जो अब तक अनुसूचित बैंकों के लिए भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों/खजाना बिलों में सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के एक भाग के रूप में अपेक्षा से अधिक रखे गये

[2] यह उपधारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अधीन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत सांविधिक विवरणियों पर आधारित है।

उनके निवेशों की धारिताओं के संपार्श्विक प्रतिभूतियों की एवज में उपलब्ध थी, 5 अक्तूबर 2002 से चरणबद्ध रूप से पूर्णतः समाप्त कर दी गयी है। निर्यात ऋण पुनर्वित्त (ईसीआर) की सुविधा जो पोतलदान पूर्व और पोतलदानोत्तर दोनों चरणों में बैंकों के पात्र बकाया रुपया निर्यात ऋण आधार पर उपलब्ध थी, केवल वही स्थायी सुविधा बचती है।

3.12 स्थायी सुविधाओं को सामान्य तथा बैक स्टाप सुविधाओं के रूप में विभाजित करके उसे पहले के दो तिहाई और एक तिहाई (67.33) के अनुपात से घटाकर 16 नवम्बर 2002 से प्रत्येक को आधा-आधा (अर्थात 50:50) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जहां सामान्य सुविधा, दरों की बहुलता को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से 30 अप्रैल 2003 से बैंक दर पर उपलब्ध करायी जाती रहेगी जिस दर पर पूंजी बैंकों में निविष्ट की जाती है। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) परिचालनों की क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किये गये :

- 'बैंक स्टाप' ब्याज दर को रिवर्स रिपो निर्दिष्ट दर पर रखा गया जिस पर निधियों को नियमित चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामियों में पूर्व दिन के दौरान निविष्ट किया गया हो।
- जहां चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामी के एक भाग के रूप में कोई रिवर्स रिपो-बोली स्वीकृत नहीं की गयी हो, वहां बैक स्टाप ब्याज दर चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत उस दिन के रिपो की निर्दिष्ट दर से सामान्यतः 2.0 प्रतिशत अंक अधिक होगी।
- जिस दिन रिपो या रिवर्स रिपो नीलामियों के लिए कोई बोलियां प्राप्त/स्वीकृत नहीं हुई हों, तब उस दिन बैक स्टाप ब्याज दर का निर्णय रिज़र्व बैंक द्वारा तदर्थ आधार पर किया जायेगा।

3.13 1 अप्रैल 2002 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को निर्यात ऋण पुनर्वित्त दूसरे पूर्वगामी पखवाड़ा के अंत तक पुनर्वित्त के लिए पात्र बकाया निर्यात ऋण के 15.00 प्रतिशत की सीमा तक प्रदान किया जाता है। निर्यात करनवाले लोगों से प्राप्त सुझावों के प्रतिसाद में (90 दिनों से अधिक 180 दिनों तक पोतलदानोत्तर रुपया निर्यात ऋण के अविनियमन के पश्चात) 1 मई 2003 से रिज़र्व बैंक ने यह घोषित किया कि पुनर्वित्त सुविधा 90 दिनों से अधिक 180 दिनों तक पोतलदानोत्तर रुपया ऋण के अंतर्गत पात्र निर्यात ऋण शेष बकाया निर्यात को प्रदान किया जाना जारी रहेगा।

3.14 वर्ष 2002-03 के दौरान उच्च निर्यात वृद्धि के साथ समग्र निर्यात ऋण में पर्याप्त वृद्धि हुई । तथापि, निर्यात ऋण पुनर्वित्त सीमा में 2002-03 के दौरान (और 2003-04 अब तक) विदेशी मुद्रा में पोतलदान पूर्व ऋण के रूप में बड़े पैमाने पर आहरण करने और निर्यात बिलों के पुनर्भुनाई जो पुनर्वित्त के लिए पात्र नहीं है, के कारण निरंतर गिरावट आयी (परिशिष्ट सारणी III.4) । निर्यात ऋण पुनर्वित्त सुविधा का औसत दैनिक उपयोग सीमा पर तनावों से उत्पन्न ब्याज दरों की अस्थायी वृद्धि के कारण मई 2002 में (17 मई 2002 को पात्रता सीमा का 48 प्रतिशत तक) बढ़ा, किंतु उसके बाद सहज चलनिधि स्थितियां लौटने के साथ वह नगण्य स्तरों तक आ गिरा। चलनिधि समायोजन सुविधा (सीएलएफ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उपलब्ध करायी गई चलनिधि सहायता का औसत दैनिक उपयोग अप्रैल-मई 2002 के दौरान 30 करोड़ रुपये से 175 करोड़ रुपये के बीच रहा और तब उसे 5 अक्तूबर 2002 को पूर्णतः हटा लिया गया तो यह वास्तविक रूप में नगण्य हो गया।

बैंक ऋण

3.15 2002-03 के दौरान बैंक ऋण (विलयनों के प्रभाव को छोड़कर) में वृद्धि हुई ।तथापि ऋण की निकासी की स्थिति में एक परिवर्तन आया।खाद्यान्य ऋण ने वर्ष के दौरान कम सरकारी खरीद परिचालनों के कारण गिरावट दर्ज की। दूसरी तरफ, खाद्येतर ऋण ने औद्योगिक माहौल में, विशेषकर, वर्ष के उत्तरार्ध में तेज वृद्धि दर्ज की, जो औद्योगिक परिवेश में बदलाव को दर्शाती है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा ऋण की मांग में तेज वृद्धि रही जो रुपया ऋणों की तुलना में उधारकर्ता को इन निधियों की अपेक्षाकृत कम लागत को दर्शाती है। 2003-04 के दौरान, बैंक ऋण वृद्धि साधारण-सी रही। खाद्यान्न ऋण कम रहा जो निम्न सरकारी खरीद और अधिक ऋण उठाव के कारण था। खाद्येतर ऋण की निकासी उद्योग में आयी तेजी के बीच मंद रही जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनियों द्वारा आंतरिक स्रोतों तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार पर बढ़ी हुई निर्भरता को दर्शाती है।तथापि, सितम्बर 2003 से खाद्येतर ऋण में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं।

अन्य निवेश

3.16 परंपरागत ऋणों के अलावा, बैंक निजी कंपनी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्रों, शेयरों, बाण्डों तथा डिबेंचरों के रूप में गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों में काफी निवेश करते रहे हैं (सारणी III.4) । 2002-03 के दौरान इन निवेशों में तीव्र वृद्धि भी विलयन के प्रभावों को अंशतः दर्शाती है। विशेष रूप में, वाणिज्यिक पत्र में निवेशों में पर्याप्त गिरावट आयी जो वर्ष की परवर्ती छमाही के दौरान इन्हें जारी करने में गिरावट दर्शाती है। बैंकों के गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश मुख्यतः

सारणी III.4 :अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के चुनिंदा गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेश

(राशि करोड़ रुपये)

	लिखत	22 मार्च 2002	21 मार्च 2003
	1	2	3
1.	वाणिज्यिक पत्र	8,497	4,007
		(10.5)	(4.3)
2.	निम्नलिखित द्वारा जारी शेयरों में निवेश (क + ख)	5,914	9,019
		(7.3)	(9.7)
	क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1,587	1,430
		(2.0)	(1.5)
	ख) निजी कंपनी क्षेत्र	4,327	7,589
		(5.3)	(8.2)
3.	निम्नलिखित द्वारा जारी बाण्डों/डिबेंचरों में निवेश (क + ख)	66,589	79,828
		(82.2)	(86.0)
	क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	39,520	46,854
		(48.8)	(50.5)
	ख) निजी कंपनी क्षेत्र	27,069	32,973
		(33.4)	(35.5)
जोड़ (1+2+3)		**81,000**	**92,854**
		(100.0)	**(100.0)**

टिप्पणी : आंकड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रस्तुत धारा 42 (2) की संविधिक विवरणियों पर आधारित हैं। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निवेश शामिल नहीं हैं। कोष्ठक के आंकड़े कुल से प्रतिशत हैं।

निजी कंपनी क्षेत्र के बाण्डों तथा डिबेंचरों में बैंकों के विनिवेशनों के कारण कुछ गिरावट दर्शाते हैं।

वाणिज्यिक पत्र (सीपी)

3.17 कंपनियों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्रों में बैंकों के निवेशों में वर्ष 2002-03 के दौरान विशेषतः वर्ष की दूसरी छमाही में गिरावट आयी। इसे आंशिक रूप से उप मूल उधार दर पर उधार लेने की पहुंचवाली विनिर्माता कंपनियों द्वारा प्राथमिक निर्गमों में गिरावट के रूप में देखा जा सकता है। वाणिज्यिक पत्रों के मुख्य निवेशकों में निम्नलिखित बैंक शामिल हैं, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नैशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वाणिज्यिक पत्र जारी करने वाले पांच सर्वोत्तम निर्गमकर्ता थे एक्ज़िम बैंक, आइडीबीआइ, भारतीय पेट्रोलियम निगम लि. (आइपीसीएल), भूतपूर्व आइसीआइसीआइ लि. और एचडीएफसी बैंक। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेशित वाणिज्यिक पत्र पर भुनाई दर मार्च 2002 में 7.4 - 10.3 प्रतिशत से लगातार गिरकर मार्च 2003 तक 6.0-7.08 प्रतिशत और उसके आगे सितम्बर 2003 तक 4.7-6.5 प्रतिशत रह गयी। उच्च दरवाली और मध्यम दरवाली कंपनियों के बीच भारित औसत भुनाई दर (डब्ल्यू एडीआर) की व्याप्ति अप्रैल 2002 के मध्य में 89 मूल (आधार) बिन्दुओं से नवम्बर 2002 की समाप्ति तक 156 (आधार) मूल बिन्दुओं तक विस्तृत हो गयी, किंतु मार्चांत 2003 तक 59 मूल बिन्दुओं तक तथा सितम्बर 2003 की समाप्ति तक 63 मूल (आधार) बिन्दुओं तक सिमट गयी।

वाणिज्यिक बिल

3.18 पुनर्भुनाई बिल बाजार ने 2002-03 के दौरान अपनी सक्रियता में सामान्य गिरावट दर्ज की। तथापि 2003-04 के दौरान अब तक इसने 2003-04 की प्रथम तिमाही के दौरान 281 करोड़ रुपये के औसत से उसके बाद की तिमाही के दौरान 567 करोड़ रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शायी। सिडबी का अंश 2002-03 के दौरान कुल लेनदेनों के 78.2 प्रतिशत तक और 2003-04 की प्रथम छमाही के दौरान कुल लेनदेनों के 84.5 प्रतिशत तक रहकर पर्याप्त बना रहा।

वायदा दर करार (एफआरए)/ब्याज दर स्वैप (आइआरएस)

3.19 वर्ष 2002-03 के दौरान बाजार में वायदा दर करारों (एफआरए) तथा ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) जैसे फ्यूचर्स उत्पादों की मात्रा में तीव्र वृद्धि हुई। जहां संविदाओं की संख्या तथा बकाया सांकेतिक मूल राशि दोनों में तेजी देखी गयी, वहीं बाजार में सहभागिता मुख्यतः चुनिंदा विदेशी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों तथा प्राथमिक व्यापारियों तक सीमित रही। इन संविदाओं में से अधिकांश में एनएसई-मुंबई अंतर बैंक ऑफर दर (मिबोर) और मुंबई अंतर बैंक ऑफर दर (मिफोर) का बेंचमार्क दरों के रूप में उपयोग किया गया। उपयोग किये गये अन्य बेंचमार्क दरों में 1 वर्षीय भारत सरकार प्रतिभूति द्वितीयक बाजार आय

और 364 दिवसीय खजाना बिलों पर प्राथमिक अधिकतम आय शामिल थे। 2003-04 के दौरान, एफआरए/आइआरएस लेनदेनों में तेजी जारी रही और ये तेजी से बढ़कर 19 सितम्बर 2003 तक 3,33,736 करोड़ रुपये के लिए 12,951 संविदाओं तक पहुंच गयी।

सकल बैंक ऋण के क्षेत्रीय नियोजन

3.20 चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल बैंक ऋण (इसमें अधिकांश प्रमुख बैंक शामिल हैं जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल बैंक ऋण के 85-90 प्रतिशत से अधिक बनता है) ने 2002-03 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से उच्चतर वृद्धि दर्ज की (सारणी III.5 तथा परिशिष्ट सारणी III.5)। खाद्येतर ऋण में मुख्यतः उद्योग (मझौले तथा बड़े) और आवास के लिए अग्रिमों में वृद्धि के कारण तीव्र वृद्धि हुई।

3.21 राजकोषीय वर्ष 2002-03 ने आवास ऋणों में तीव्र उठाव दर्शाया जिससे खाद्येतर बैंक ऋण की प्रमात्रा मार्चांत 2002 तक 4.6 प्रतिशत से बढ़कर मार्चांत 2003 तक 6.1 प्रतिशत हो गयी। जो इस संबंध में अनेक नीतिगत पहलों को दर्शाता है। वस्तुतः बैंक लगातार पिछले वर्ष के दौरान अपने वृद्धिशील जमाराशियों के न्यूनतम 3 प्रतिशत की सीमा तक आवास ऋण उपलब्ध करने के लक्ष्य के मुकाबले 2001-02 तथा 2002-03 में अधिक राशि उपलब्ध करा रहे हैं। (सारणी III.6)[3] ।

सारणी III.6: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आवास वित्त पोषण

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	अप्रैल-मार्च	
	2001-02	2002-03
1	2	3
न्यूनतम निर्धारित	5,046	8,574
आबंटन	(31.1)	(69.9)
संवितरण	14,746	33,841
	(51.9)	(129.5)

टिप्पणी : 1. आंकड़े अनंतिम हैं।
2. कोष्ठकों में आंकडे पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन प्रतिशत को दर्शाते है।

निर्यात वित्त का बदलता स्वरूप

3.22 निवल बैंक ऋण में निर्यात ऋण का हिस्सा पिछले वर्ष की तरह वर्ष के दौरान निर्यात में उच्चतम वृद्धि होते हुए भी 8.0 प्रतिशत की सीमा तक बना रहा (चार्ट III.2)। यह उदारीकृत नीति की व्यवस्था घरेलू और वैश्विक ब्याज दरों में आयी नरमी और प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्त के वैकल्पिक स्रोतों द्वारा आये निर्यात के वित्तीय ढांचे में परिवर्तन के कारण हो सकता है।

ऋण के उद्योगवार नियोजन

3.23 औद्योगिक ऋण में वृद्धि कमोबेश मिलाकर सभी क्षेत्रों में फैली हुई थी (चार्ट III.3 और परिशिष्ट सारणी III.6) । उद्योगवार

सारणी III.5 : सकल बैंक ऋण के क्षेत्रीय नियोजन :प्रवाह
(वर्ष की तुलना में घटबढ़)

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	2001-02		2002-03	
	वास्तविक	प्रतिशत	वास्तविक	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	20,845	13.5	28,540	16.3
2. उद्योग (मझौले तथा बड़े)	9,487	5.8	28,011	16.3
3. आवास	6,203	38.4	12,308	55.1
4. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	1,843	23.6	4,399	45.6
5. थोक व्यापार (खाद्यान्न की सरकारी खरीद से इतर)	2,614	14.6	1,939	9.5
6. अन्य क्षेत्र	12,595	18.0	9,481	11.5
7. जोड़ (1 से 6)	**53,587**	**12.5**	**84,678**	**17.5**
जिसमें से				
निर्यात ऋण	-343	-0.8	6,424	14.9

टिप्पणी : आंकडे अनंतिम हैं और चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित हैं जो समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बैंक ऋण का 85-90 प्रतिशत बैठता है।

[3] लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ, बैंकों को आवास वित्त आबंटन के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों में निधियों के नियोजन की अनुमति दी गई है , क) प्रत्यक्ष वित्त ख) अप्रत्यक्ष वित्त ग) एनएचबी/हुडको के बाण्डों में निवेश या उसके समुच्चय और घ) किसी विशेष प्रयोजन के साधन (एसपीवी) द्वारा जारी निर्धारित प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में बैंकों द्वारा निवेश अथवा अनुमोदित आवास वित्त कंपनियों (एनएचबी के पर्यवेक्षण के अंतर्गत) द्वारा स्वीकृत आवास ऋण का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था।

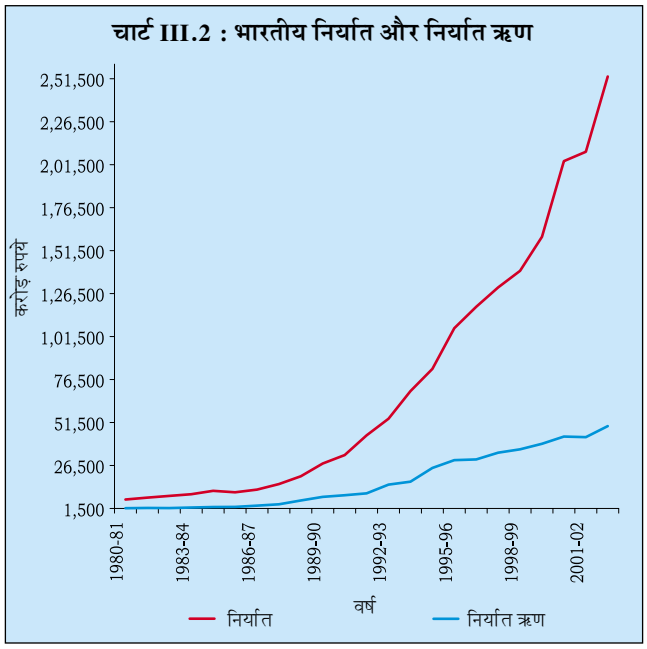

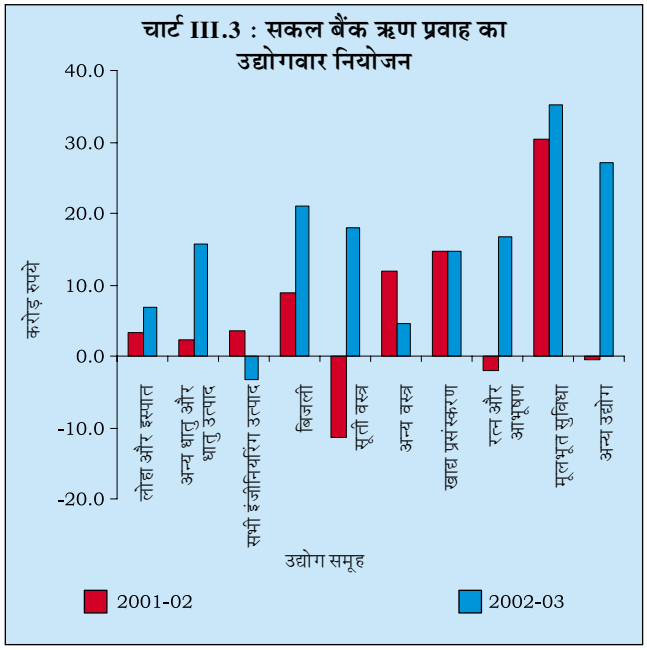

उल्लेखनीय ऋण वृद्धि विद्युत, सूती वस्त्रोद्योग, बुनियादी सुविधाओं तथा लोहा और इस्पात में देखी गयी। तथापि 26 उद्योगों में से 4 अर्थात कोयला, इंजीनियरिंग, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों तथा चीनी ने 2002-03 के दौरान ऋण में गिरावट दर्ज की।

रुग्ण /कमजोर उद्योगों को बैंक ऋण

3.24 हाल के वर्षों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषित रुग्ण लघु उद्योग और लघु उद्योगेतर (रुग्ण/कमजोर) औद्योगिक यूनिटों की संख्या में गिरावट आयी है (परिशिष्ट सारणी III.7)। रुग्ण/ कमजोर उद्योगों में अवरुद्ध बैंक ऋण की मात्रा मार्च 2002 में थोड़ी बढ़कर 26,065 करोड़ रुपये की हो गयी।

संवदेनशील क्षेत्र को ऋण

3.25 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संवदेनशील क्षेत्र जिसमें पूंजी बाजार, स्थावर संपदा और पण्य शामिल हैं, को दिये गये समग्र ऋण में 2002-03 के दौरान संरचनात्मक परिवर्तन हुआ (सारणी III.7 और परिशिष्ट सारणी III.8) । आवास वित्त में इतना अधिक उछाल आया कि अधिकांश बैंक समूहों का संवेदनशील क्षेत्र को समग्र ऋण बढ़ गया। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का अंश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संवेदनशील क्षेत्रों के कुल ऋण का लगभग दो तिहाई था।

3.26 विदेशी बैंक श्रेणी को छोड़कर अधिकांश बैंक समूहों ने 2002-03 के दौरान पूंजी बाजार को अपने ऋण कम कर दिये जिसका आंशिक कारण था 2002-03 के दौरान देखी गयी मंद गतिविधि के साथ पूंजी बाजार का मामूली कारोबार और अंशतः वृद्धि के नये प्रेरक आवास वित्त के कारण। अधिकांश वाणिज्य बैंक ग्राहकों को आवास के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और 'ग्राहक को सुविधाजनक' शर्तों पर खुदरा ऋण दे रहे हैं जोकि अपने ग्राहक की संतुष्टि बढ़ाने के पुरजोर विपणन प्रयासों से समर्थित

सारणी III.7 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण

(राशि करोड़ रुपये में)

निम्न को अग्रिम	बकाया		कुल की तुलना में प्रतिशत	
	2002	2003	2002	2003
1	2	3	4	5
1. पूंजी बाजार क्षेत्र	3,082	2,504	14.8	10.5
2. स्थावर संपदा क्षेत्र	9,012	12,464	43.3	52.0
3. पण्य क्षेत्र	8,727	8,979	41.9	37.5
जोड़ (1+2+3)	**20,821**	**23,947**	**100.0**	**100.0**

है। इसके परिणामस्वरूप, अधिकांश बैंक समूहों द्वारा स्थावर संपदा के लिए दिये गये ऋणों में मामूली से लेकर भारी मात्रा तक वृद्धि हुई है, इनमें गिरावट मात्र केवल पुराने निजी बैंकों के मामले में पायी गयी जिन्होंने वस्तुतः संवेदनशील क्षेत्र को दिये गये अपने समग्र ऋणों में कटौती की है। पण्यों के लिये दिये गये ऋण अधिकांश बैंक समूहों में निम्न स्तर पर थे, यह गिरावट स्टेट बैंक समूह और पुराने निजी बैंकों में उल्लेखनीय थी।

ऋण जमा अनुपात

3.27 मूलभूत सांख्यिकीय विवरणियों (बीएसआर) में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मार्च 2002 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात (खपत के अनुसार) 58.4 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी III.9)। जमाराशियों से ऋण तथा निवेश अनुपात (आइसीडी) में दर्शाये गये अनुसार संसाधनों के कुल प्रवाह में पिछले कुछ वर्षों में (खपत के अनुसार) वृद्धि हुई है । उक्त प्रवृत्ति पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर, सभी क्षेत्रों में पायी गयी । पश्चिम क्षेत्र में मार्च 2001 के अंत की तुलना में मार्च 2002 के अंत में गिरावट पायी गयी जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के आईसी-डी अनुपात में विलय के प्रभाव से आयी गिरावट के कारण थी।

सरकार को ऋण

3.28 वाणिज्य बैंकों ने सरकारी प्रतिभूतियों में भारी मात्रा में निवेश करना जारी रखा, क्योंकि श्रेष्ठ प्रतिभूति मूल्यों में ब्याज दरें निरंतर कम किये जाने से प्रतिस्पर्धा बढ़ती रही। इसके फलस्वरूप सांविधिक चलनिधि अनुपात में वाणिज्य बैंकों के एसएलआर निवेश मार्च 2002 के अंत में उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 36.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2003 के अंत में 38.5 प्रतिशत हो गया जो 25.0 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम मानदंड से काफी अधिक है। वित्तीय बाज़ारों में अधिक चलनिधि के बीच यह सितंबर 2003 तक निवल मांग और मीयादी देयताओं के 41.3 प्रतिशत तक पहुंच गया।

प्राधिकृत व्यापारियों के रूप में बैंकों की भूमिका

3.29 मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली के कार्यकलापों पर पूंजी प्रवाहों का बढ़ता प्रभाव नौवें दशक की एक उल्लेखनीय विशेषता रही है (बाक्स III.1)। न केवल बाह्य क्षेत्र के उदारीकरण ने निवासियों और अनिवासियों के बीच निधियों की मात्रा उल्लेखनीय रूप से काफी बढ़ायी वरन विदेशी मुद्रा परिचालनों के संबंध में तुलनपत्र पर प्रतिबंधों में

बॉक्स III.1 : प्राधिकृत व्यापारियों के रूप में बैंक

रिज़र्व बैंक विभिन्न विदेशी मुद्रा लेनदेनों के कार्य करने के लिए विशिष्ट बैंकों को प्राधिकृत व्यापारियों के रूप में नामित करता है। वर्तमान में 92 बैंक (35 विदेशी बैंकों सहित) 27,762 शाखाओं के जरिये प्राधिकृत व्यापारी के रूप में कार्य करते हैं। रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा के लेनदेन दो अन्य माध्यमों, अर्थात पूर्ण मुद्रा परिवर्तक (एफएफएमसी) जिन्हें भारतीय रुपये पर विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने की अनुमति है और सीमित मुद्रा परिवर्तक (आरएमसी) जो भारतीय रुपये से केवल विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं, से करने के लिए कम्पनियों को प्राधिकृत करता है। रिज़र्व बैंक प्राधिकृत व्यापारियों और पूर्ण मुद्रा परिवर्तकों को कतिपय शर्तों पर सीमित मुद्रा परिवर्तक कारोबार करने के प्रयोजन के लिए संस्थाओं के साथ एजेंसी/(फ्रेंचायजिंग) करार निष्पादित करने की भी अनुमति देता है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक कतिपय विकास वित्त संस्थाओं को उनके अपने मुख्य कारोबार से प्रासंगिक विशिष्ट प्रकार के विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के प्राधिकार भी देता है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 में भारत के किसी प्राधिकृत व्यापारी या किसी भारतीय बैंक की भारत से बाहर की शाखा को कतिपय शर्तों के अधीन विदेशी मुद्रा में ऋण प्रदान करने की अनुमति देता है। किसी प्राधिकृत व्यापारी को भारत के अपने ग्राहक, विदेश स्थित पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था, भारतीय संस्थाओं के विदेश स्थित संयुक्त उद्यमों और भारत के दूसरे प्राधिकृत व्यापारियों को ऋण प्रदान करने की अनुमति है। भारत का कोई प्राधिकृत व्यापारी, भारत के बाहर के अपने प्रधान कार्यालय या शाखा या प्रतिनिधि सहित, कतिपय शर्तों के अधीन अपनी क्षतिरहित टीयर I पूंजी या 10 मिलियन अमरीकी डालर, जो भी अधिक हो, के 25 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा में उधार ले सकता है।

भारत के विदेशी मुद्रा बाजार की गतिविधियों में प्राधिकृत व्यापारियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। धीरे-धीरे बाह्य क्षेत्र के उदारीकरण हेतु अपनाये जानेवाले दृष्टिकोण को देखते हुए प्राधिकृत व्यापारियों को रिज़र्व बैंक के हस्तक्षेप के बिना उचित प्रलेखीकरण को सुनिश्चित करते हुए निहित प्राधिकृत लेनदेन को कवर करने के लिए पर्याप्त समझी जानेवाली सीमा की शर्त पर अपने ग्राहकों की ओर से विदेशी मुद्रा खरीदने और बेचने की शक्तियां दी गयी हैं। तथापि, विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित सीमा से ऊपर के विदेशी मुद्रा लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति आवश्यक है। शिक्षा, डाक्टरी चिकित्सा, रोजगार, आप्रवास, परिवार निर्वाह और निजी यात्रा जैसे प्रयोजनों से संबंधित निर्दिष्ट चालू खाता लेनदेनों के लिए केवल स्वयं प्रमाणन जरूरी है।

विदेशी मुद्रा कारोबार चलाने के लिए उपलब्ध पर्याप्त स्वतंत्रता को देखते हुए प्राधिकृत व्यापारी फेमा और इस अधिनियम के अधीन जारी अधिसूचनाओं के कार्यन्वयन के लिए उत्तरदायी मुख्य एजेंसी के रूप से उभरे हैं । रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा के लेनदेन करते समय प्राधिकृत व्यापारी द्वारा सत्यापित किये जानेवाले प्रलेख निर्दिष्ट न करने का निर्णय किया है। प्राधिकृत व्यापारी और विदेशी मुद्रा के लेनदेन करने के इच्छुक उनके ग्राहक, दोनों ही पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि वे अपने कारोबारी कार्यों में लागू सभी विनियामक अपेक्षाओं और मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन करें।

रिज़र्व बैंक मुख्य रूप से उदारीकृत परिवेश में प्राधिकृत व्यापारियों के कार्यों की कारगर निगरानी पर ध्यान देगा। इसके फलस्वरूप, रिज़र्व बैंक का निरीक्षण दृष्टिकोण अब लेनदेन विशिष्ट निरीक्षण से बदलकर प्रणालीगत पर्यवेक्षण का हो रहा है। प्राधिकृत व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक को दैनंदिन आधार पर अपने व्यापार की सूचना दें। रिज़र्व बैंक प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की संवीक्षा करता है ताकि फेमा विनियमों/अधिसूचनाओं का कारगर कार्यानवयन सुनिश्चित किया जा सके।

अधिकाधिक ढील दिये जाने से बैंकों में बदलाव आया है और वे विदेशी मुद्रा बाजारों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। अतः, पूंजी प्रवाह के रुख का अब बैंक की चलनिधि पर सीधे प्रभाव पड़ता है। दूसरे, ब्याज दरों का इसका परिणामी प्रभाव बैंकों की लाभप्रदता को प्रभावित कर रहा है। । तीसरे, देशी और अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दरों में अंतर को देखते हुए देशी और विदेशी आस्तियों के बीच आबंटन से भी बैंक की लाभप्रदता, विशेष रूप से, बैंकों के विदेशी मुद्रा परिचालनों के अधिकाधिक उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रभावित होती है। बैंकों के विदेशी मुद्रा कारोबार की मात्रा 1997-98 और 2002-03 के बीच की अवधि में अमेरिकी डालर के रूप में औसतन लगभग 4 प्रतिशत वार्षिक बढ़ी है। जहां अंतर-बैंक लेनदेन अभी भी कुल कारोबार के करीब 80 प्रतिशत बने हुए हैं, वहीं प्राधिकृत व्यापारियों का वणिक बैंकिंग कारोबार हाल के वर्षों में काफी तेजी से बढ़ा है (सारणी III.8)।

आंतरिक बैंकिंग सांख्यिकी

3.30 बाह्य क्षेत्र के अधिकाधिक उदारीकरण के मद्देनजर निधियों के सीमा पार प्रवाह पर निगरानी रखना काफी महत्त्वपूर्ण हो गया है। अब रिज़र्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआइएस) द्वारा बनायी गयी सूचना देने की प्रणाली के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी संकलित करता है और प्रसारित करता है। ऐसी सांख्यिकी में बैंकिंग तंत्र की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों और देयताओं की कुल मात्रा तथा उनकी संरचना मुख्य रूप से परिपक्वता अवधि, मुद्रा घटक और निवास के देश के रूप में उपलब्ध रहती है। अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों/देयताओं में सूचना देनेवाले बैंकों की अनिवासियों के पास/के प्रति किसी मुद्रा में और निवासियों के पास/के प्रति केवल विदेशी मुद्रा में दावे/देयताएं शामिल होती हैं।

3.31 अवस्थैतिक बैंकिंग सांख्यिकी में भारत स्थित सभी बैंकिंग कार्यालयों की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों और अंतर्राष्ट्रीय देयताओं की सकल स्थिति उपलब्ध होती है। वे केवल बैंकों के भारत के बाहर स्थित उनकी अपनी शाखाओं /सहयोगी संस्थाओं/संयुक्त उद्यमों में से किसी के साथ हुए लेनदेनों सहित अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों की सूचना देते हैं।

3.32 बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय देयताओं में 2001-02 और 2002-03 दोनों वर्षों में तीव्र वृद्धि दर्ज हुई जो बड़ी मात्रा के उनके विदेशी मुद्रा उधारों से थी (सारणी III.9)। रुपया अनिवासी जमाराशियों के बड़े आकार को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय देयताओं को मुख्यतः अमरीकी डालर में या भारतीय रुपये में अंकित किया गया था।

3.33 दूसरी ओर बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियां मार्च 2003 के अंत में मौटे तौर पर मार्च 2002 के अंत के समान रहीं (सारणी III.10) । तथापि, बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों की संरचना में अनिवासी बैंकों के पास मीयादी जमाराशियों, निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋणों सहित भारी मात्रा में नोस्ट्रो शेष राशियों का प्रतिस्थापन जो अपेक्षाकृत सस्ते विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए उच्चतर देशी मांग को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों का भारी अंश अमरीकी डालर में ही रखना जारी रहा, हालांकि यूरो के अंश में निरंतर रूप से वृद्धि दर्ज हुई।

3.34 समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस) अन्य देशों पर बैंकों के वित्तीय दावों संबंधी व्यापक और निरंतर तिमाही आंकड़े, देश

सारणी III.8 : प्राधिकृत व्यापारियों के विदेशी मुद्रा कारोबार की संरचना

(राशि करोड़ रु.)

वर्ष	वणिक		अंतर बैंक		कुल	
	खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री	खरीद	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7
1997-98	97,937 (14.9)	1,11,989 (17.2)	5,58,019 (85.1)	5,38,103 (82.8)	6,55,956 (100.0)	6,50,091 (100.0)
1998-99	1,18,097 (17.9)	1,34,587 (20.1)	5,40,752 (82.1)	5,34,294 (79.9)	6,58,849 (100.0)	6,68,881 (100.0)
1999-2000	1,23,747 (21.0)	1,28,294 (21.6)	4,66,042 (79.0)	4,65,844 (78.4)	5,89,789 (100.0)	5,94,139 (100.0)
2000-01	1,33,214 (18.4)	1,48,018 (20.8)	5,90,638 (81.6)	5,62,379 (79.2)	7,23,852 (100.0)	7,10,397 (100.0)
2001-02	1,34,966 (18.2)	1,37,420 (18.4)	6,04,678 (81.8)	6,10,295 (81.6)	7,39,644 (100.0)	7,47,715 (100.0)
2002-03	1,65,544 (21.0)	1,63,664 (20.6)	6,24,151 (79.0)	6,31,380 (79.4)	7,89,695 (100.0)	7,95,044 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल कारोबार में अंश हैं।

सारणी III.9 : बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय देयताएं - प्रकारानुसार वर्गीकृत

(राशि करोड़ रु.)

देयता का प्रकार	मार्च के अंत में बकाया राशि		
	2001	2002	2003
1	2	3	4
1. जमाराशियां और ऋण	1,04,148	1,20,604	1,45,930
जिनमें से			
विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक अनिवासी बैंक (एफसीएनआर(बी) योजना	37,991	39,636	43,989
विदेशी मुद्रा उधार*	1,222	5,514	18,411
अनिवासी विदेशी रुपया (एनआरई) खाते	29,413	33,233	53,124
अनिवासी गैर-प्रत्यावर्तनीय (एनआरएनआर) रुपया जमाराशियां	25,867	27,181	15,207
2. प्रतिभूति बांडों (आइएमडी/आर आइबी सहित) के अपने निर्गम	43,652	43,582	44,087
3. अन्य देयताएं	4,580	7,150	10,475
एडीआर/जीडीआर	850	1,862	3,833
अनिवासियों द्वारा धारित बैंकों की इक्विटी	382	547	556
भारत स्थित विदेशी बैंकों की पूंजी/प्रेषणयोग लाभ और अन्य			
अवर्गीकृत अंतर्राष्ट्रीय देयताएं	3,348	4,741	6,086
कुल अन्तर्राष्ट्रीय देयताएं	**1,52,380**	**1,71,336**	**2,00,493**

* भारत में और विदेश से अंतर बैंक उधार बेंकों के बाह्य वाणिज्यिक उधार

सारणी III.10 : बैंकों की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियां - प्रकारानुसार वर्गीकृत

(राशि करोड़ रु.)

आस्ति का प्रकार	मार्च के अंत में बकाया राशि		
	2001	2002	2003
1	2	3	4
1. ऋण और जमाराशियां	80,389	95,794	97,657
जिनमें से			
अनिवासियों को ऋण*	4,397	5,218	4,634
निवासियों को विदेशी मुद्रा ऋण **	13,446	19,561	36,859
निवासियों द्वारा अनिवासियों पर आहरित बकाया निर्यात बिल	11,119	15,190	19,242
नास्ट्रो शेष राशियां @	51,287	55,642	36,708
2. ऋण प्रतिभूतियों के धारण	607	952	1,027
3. अन्य आस्तियां@@	2,237	4,629	5,890
कुल अंतर्राष्ट्रीय आस्तियां	**83,233**	**1,01,375**	**1,04,574**

* अनिवासी जमाराशियों में से दिये गये रुपया ऋण और विदेशी मुद्रा (एफसी) ऋण शामिल है।

** इसमें एफसीएनआर(बी) जमाराशियों, पीसीएफसी में से दिये गये ऋण, भारत स्थित बैंकों को दिये गये विदेशी मुद्रा ऋण और के पास विदेशी मुद्रा जमराशियां आदि शामिल हैं।

@ अनिवासी बैंकों के पास रखी मीयादी जमाराशियों (विदेश में धारित एफसीएनआर निधियों सहित) में शेष राशि सहित।

@@ भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं/सहयोगी संस्थाओं को आपूर्ति की गयी पूंजी और उनसे प्राप्य लाभ तथा अन्य अवर्गीकृत अंतर्राष्ट्रीय आस्तियां।

अंतरण जोखिम का मापन उपलब्ध कराने के लिए तत्काल उधारकर्ता आधार पर और देशी बैंकिंग प्रणाली की देश ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए अंतिम जोखिम आधार पर, दोनों ही संबंध में उपलब्ध कराती है। निकटवर्ती देश जोखिम से आशय है, वह देश जहां मूल जोखिम है और अंतिम जोखिम से आशय है, वह देश जहां अंतिम जोखिम रहता है। निकटवर्ती देश जोखिम आधार पर मार्च 2003 के अंत में बैंकों के समेकित दावे मुख्य रूप से अमरीका, हांगकांग और ब्रिटेन पर केंद्रित थे। (सारणी III.11)।

3.35 अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार भारत को छोड़कर विभिन्न देशों संबंधी बैंकों के समेकित अंतर्राष्ट्रीय दावों के संवितरण से इस बात का पता चलता है कि, हालांकि आलोच्य वर्ष के दौरान दीर्घतर परिपक्वता अवधि की ओर रुख बदल गया था किंतु बैंकों ने अल्पावधि प्रयोजनों के लिए निवेश /ऋण देना पसंद करना जारी रखा (सारणी III.12)।

3.36 2002-03 के दौरान वाणिज्य बैंकों द्वारा चलनिधि के प्रबंधन की रुपरेखा 2001-02 से भिन्न थी, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि औद्योगिक गतिविधियों में स्थिति पलटने से ऋण की मांग बहाल हो गयी थी। बैंकों के चलनिधि प्रबंधन के विश्लेषण में वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण के मुद्रा आपूर्ति : संकलन की विश्लेषण और पद्धति पर कार्य दल (अध्यक्ष: डा. वाई वी रेड्डी) की सिफारिशों के बाद किये गये संकलन से सुविधा हुई है। (बॉक्स III.2, सारणी III.13 और परिशिष्ट सारणी III.10)।

3.37 समानान्तर रूप से रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा और सरकारी प्रतिभूति बाजारों के परिचालनों से शक्ति प्राप्त बैंकों के निवेश संविभाग से 2002-03 के दौरान देशी और विदेशी आस्ति प्रवाह का सुचारु रूप से आबंटन हो सका है (चार्ट III.4)। इसके अलावा, 2002-03 के दौरान केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और खजाना बिलों की नीलामी के लिए सांकेतिक कैलेंडर की घोषणा द्वारा बैंकों को अपने निवेशों की कुशल आयोजना करने और चलनिधि का कुशल प्रबंध करने के लिए अवसर प्राप्त हुए। बैंकिंग प्रणाली के साथ अतिरिक्त चल-निधि की उपलब्धता[4] ने ऋण

[4] बैंकिंग तंत्र के पास उपलब्ध निवल मांग को घटाकर और मीयादी देयताओं का अधिशेष सांविधिक पूर्वक्रय और ऋण निकासी)

III.11 : बैंकों के समेकित अंतर्राष्ट्रीय दावों का (अवशिष्ट) परिपक्वता वार वर्गीकरण

(समेकित बैंकिंग सांख्यिकी विवरण के आधार पर)

(करोड़ रुपये)

देश	अंतिम देश जोखिम आधार के अंत में बकाया राशि			निकटवर्ती जोखिम आधार		
	मार्च 2001	सितंबर 2001	मार्च 2002	जून 2002	सितंबर 2002	मार्च 2003
1	2	3	4	5	6	7
फ्रान्स	1,638	2,445	2,230	2,582	2,599	2,461
	(2.2)	(2.9)	(2.4)	(2.7)	(2.7)	(2.7)
जर्मनी	4,542	4,567	4,078	3,689	3,463	3,281
	(6.1)	(5.4)	(4.4)	(3.9)	(3.6)	(3.6)
हांगकांग	2,025	2,869	3,107	14,317	14,115	13,416
	(2.7)	(3.4)	(3.3)	(15.1)	(14.7)	(14.7)
इटली	2,666	4,623	3,706	3,362	3,362	2,832
	(3.6)	(5.5)	(4.0)	(3.6)	(3.5)	(3.1)
सिंगापुर	1,936	3,239	4,118	6,080	5,976	5,776
	(2.6)	(3.8)	(4.4)	(6.4)	(6.2)	(6.3)
ब्रिटेन@	7,900	8,599	11,351	12,140	13,500	12,779
	(10.6)	(10.2)	(12.2)	(12.8)	(14.0)	(14.0)
संयुक्त राज्य अमरीका	30,037	31,704	35,473	20,940	21,607	20,446
	(40.4)	(37.5)	(38.2)	(22.1)	(22.5)	(22.5)
अन्य सभी देश	23,621	26,446	28,762	31,534	31,609	30,070
	(31.8)	(31.3)	(31.0)	(33.3)	(32.8)	(33.0)
कुल समेकित अंतर्राष्ट्रीय दावे (भारत पर दावों सहित)	**74,365**	**84,492**	**92,825**	**94,644**	**96,231**	**91,061**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

@ गुर्नसो, मान और जर्सी डच द्वीप को छोड़कर

टिप्पणियां : 1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े संबंधित स्तंभों के जोड़ की तुलना में प्रतिशत है।
2. देशवार समेकित बैंकिंग सांख्यिकी को मार्च 2002 तक 'अंतिम जोखिम देश' के आधार पर संकलित किया गया है। जून 2002 में समाप्त तिमाही से बाद के डेटा के लिए निकटवर्ती देश जोखिम आधारित वर्गीकरण अपनाया गया है। अत : मार्च 2003 के आंकड़े निश्चित रूप से पहले के वर्षों तिमाहियों से पूर्णतः तुलनीय नहीं है।

की उच्चतर मांग के लिए निधि प्रदान करते हुए नरम ब्याज दर की स्थिति को जारी रखना सुनिश्चित किया (चार्ट III.5) । 2002-03 के दौरान समग्रतः उच्चतर मात्रा में लिये गये ऋणों को आस्तियों के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियां प्रदान की गयीं - मुख्य रूप से सहज

सारणी III.12 : बैंकों के समेकित अंतर्राष्ट्रीय दावों का परिपक्वता (अवशिष्ट) वर्गीकरण

(समेकित बैंकिंग सांख्यिकी विवरण पर आधारित)

(करोड़ रुपये)

अवशिष्ट परिपक्वता	अंतिम देश जोखिम आधार के अंत में बकाया राशि			निकटवर्ती देश जोखिम आधार		
	माच 2001	सितंबर 2001	माच 2002	जून 2002	सितंबर 2002	मार्च 2003
1	2	3	4	5	6	7
6 महीने तक	35,679	52,572	70,879	61,842	63,285	59,831
	(48.0)	(62.2)	(76.4)	(65.3)	(65.8)	(65.7)
6 महीने - एक वर्ष	2,105	3,830	4,401	10,502	7,245	6,412
	(2.8)	(4.5)	(4.7)	(11.1)	(7.5)	(7.0)
एक वर्ष - दो वर्ष	971	2,213	3,674	3,916	4,887	4,247
	(1.3)	(2.6)	(4.0)	(4.1)	(5.1)	(4.7)
दो वर्षों से अधिक	7,683	8,213	9,224	14,197	18,895	18,861
	(10.3)	(9.7)	(9.9)	(15.0)	(19.6)	(20.7)
अनआबंटित	27,927	17,664	4,647	4,185	1,919	1,710
	(37.6)	(20.9)	(5.0)	(4.4)	(2.0)	(1.9)
जोड़	**74,365**	**84,492**	**92,825**	**94,644**	**96,231**	**91,061**
	(100.0)	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**	**(100.0)**

टिप्पणिया: 1. अनाबंटित अवशिष्ट परिपक्वता में परिपक्वता लागू न होना (उदा. के लिए इक्विटियां) और बैंक शाखाओं से उपलब्ध न करायी गयी परिपक्वता सूचना शामिल है।
2. कोष्ठकों में दिये गे आंकड़े जोड़ की तुलना में प्रतिशत है।
3. देशवार समेकित बैंकिंग सांख्यिकी मार्च 2002 तक अंतिम जोखिम वाले देश के आधार पर संकलित की गयी है। जून 2002 को समाप्त तिमाही से ये आंकड़े तत्काल प्रथम जोखिमवाले देश के आधार पर संकलित हैं। अतः मार्च 2003 के लिए आंकड़े अपने पूर्ववर्ती वर्षों /तिमाहियों के आंकड़ों से पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं।

बॉक्स III.2 : वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण

रिज़र्व बैंक मुद्रा आपूर्ति : संकलन के विश्लेषण और पद्धति विज्ञान पर कार्य दल (अध्यक्ष : डा. वाय वी.रेड्डी) की सिफारिशों के अनुसरण में वाणिज्य बैंकों की आस्तियों और देयताओं का वाणिज्य बैंकों का विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण (सीबीएस) प्रकाशित करता है। समेकित बैंकिंग सांख्यिकी (सीबीएस) में केवल बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के अधीन प्रस्तुत फार्म 'ए' जो वाणिज्य बैंकों संबंधी पाक्षिक आंकड़ों का पारंपरिक स्रोत है, से ही नहीं, बल्कि रेड्डी कार्य दल की सिफारिशों के अनुसार फार्म ए के साथ दिये जानेवाले ज्ञापन और अनुबंध ए और बी से सूचना एकत्रित की जाती हैं। इससे रिज़र्व बैंक को वित्तीय क्षेत्र के सुधार के परिप्रेक्ष्य में बैंक तुलनपत्र में होनेवाले महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों को भी पकड़ना संभव हो जाता है:

- बैंक ऋण की संकल्पना को विस्तृत करके उसमें पारंपरिक ऋण (ऋणों, नकदी ऋणों, ओवरड्राफ्टों और खरीदे और भुनाये गये बिलों के रूप में) गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार लिखतों को शामिल करना।
- वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी आस्तियों की संरचना जिसमें अनिवासी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा सावधि जमाराशियों विदशी मुद्रा आस्तियों की धारिताओं को घटाकर भी शामिल हैं।इसके फलस्वरूप अनिवासियों की जमाराशियां निकालने के लिए बैंक जमाराशियों को इन अनिवासी जमाराशियों से समायोजित किया जाता है।
- पूंजी खाता की शुरुआत, पूंजी और प्रारक्षित निधियों सहित।

पूंजी और प्रारक्षित राशियों सहित पूंजी खाते की शुरुआत रेड्डी कार्य दल की रिपोर्ट के आधार पर वाणिज्य बैंकों के लिए बनायी गयी सूचना देने की प्रणाली धीरे-धीरे सुदृढ़ बनाने से वित्तीय प्रणाली के भीतर आंतर वर्षीय निधि प्रवाह का व्यापक परिदृश्य उपलब्ध होता जा रहा है। समेकित बैंकिंग सांख्यिकी की व्याप्ति बढ़ाये जाने से मार्च 2003 के अंत में फार्म 'ए' में वाणिज्य बैंक डेटा में पहचानी गयी देयताओं और आस्तियों के बीच खाई को लगभग 84,000 करोड़ रुपयों (जमाराशियों के 6-6 प्रतिशत) से लगभग 6,000 करोड़ रुपये या जमाराशियों के 0.5 प्रतिशत तक पाटा गया है।

संदर्भ :

भारतीय रिज़र्व बैंक (1998) मुद्रा आपूर्ति : संकलन के विश्लेषण और पद्धति विज्ञान पर कार्यदल (अध्यक्ष : डा. वाई.वी.रेड्डी), मुंबई की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक (2000), नये मौद्रिक समुच्चय भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, मुंबई

भारतीय रिज़र्व बैंक (2003), वार्षिक रिपोर्ट, मुंबई

चलनिधि की स्थिति के पिछले चरण में देशी और विदेशी निवेशों के परिसमापन द्वारा, ताकि बैंकों को ब्याज दरों पर तत्काल दबाव डाले बिना या जमाराशियों के लिए मांग किये बिना अपनी श्रेष्ठ प्रतिभूतियों की धारिताओं को कम नहीं करना पड़ा। 2002-03 के दौरान निधियों

सारणी III.13 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन

(करोड रुपये)

परिवर्ती	मार्च 2003 के अंत में बकाया	2002-03				2001-02			
		ति.4	ति.3	ति.2	ति.1	ति.4	ति.3	ति.2	ति.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. घटक									
निवासियों की कुल जमाराशियां	**11,58,942**	**24,073**	**37,484**	**32,201**	**52,675**	**32,122**	**29,675**	**20,856**	**53,337**
मांग जमाराशियां	1,70,289	5,405	11,654	-4,535	4,717	4,412	10,074	-9,382	5,392
निवासियों की मीयादी जमाराशियां	9,88,653	18,668	25,829	36,735	47,958	27,710	19,601	30,237	47,945
वित्तीय संस्थाओं से मांग/ मीयादी निधीयन	**12,638**	**2,142**	**227**	**792**	**6,448**	**-1,471**	**409**	**1,865**	**-341**
II. स्रोत									
सरकार को ऋण	**5,23,417**	**23,798**	**22,680**	**18,716**	**47,047**	**12,049**	**13,791**	**21,088**	**24,213**
वाणिज्य क्षेत्र को ऋण	**8,46,494**	**27,881**	**39,481**	**20,322**	**22,825**	**33,676**	**31,320**	**11,217**	**9,349**
खाद्य ऋण	49,479	-2,468	-1,415	-7,645	7,030	1,702	4,015	-2,079	10,349
खाद्येतर ऋण	6,35,192	39,439	32,541	19,945	7,522	28,347	25,673	12,649	-2,367
प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	4,093	-5,886	959	5,817	2,874	526	115	-401	221
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	24,129	-306	-965	-459	-1,233	-644	-1,452	62	-997
अन्य निवेश (गैर एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1,33,601	-2,898	8,361	2,664	6,633	3,745	2,970	986	2,143
वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	**-68,366**	**-8,820**	**-9,027**	**-15,136**	**2,748**	**-2,670**	**-3,544**	**-941**	**4,952**
विदेशी मुद्रा आस्तियां	31,082	-5,345	-7,955	-14,412	4,718	-3,483	-1,996	2,023	5,886
अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय सावधि जमाराशियां	92,240	-703	-230	669	1,655	475	1,425	2,018	835
समुद्रपारीय विदेशी मुद्रा उधार	7,208	4,178	1,302	55	315	-1,288	123	946	99
निवल बैंक प्रारक्षित निधियां	**65,823**	**-5,700**	**-1,619**	**11,055**	**-2,943**	**-3,929**	**-1,277**	**-7,373**	**16,304**
पूंजी खाता	**86,541**	**1,625**	**-1,815**	**-742**	**15,152**	**1,150**	**958**	**2,297**	**4,403**
ज्ञापन:									
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात में परिवर्तन के जरिये जारी संसाधन	—	0	3,500	0	6,500	0	8,000	0	4,500
वाणिज्य बैंकों को खुले बाजार की निवल बिक्री	—	7,338	12,803	13,228	3,131	0	1,904	9,614	4,106

टिप्पणी: 1. ति.1 जून में समाप्त तिमाही को तथा इसी प्रकार ति. 2,3,4 अन्य तिमाहियों को इंगित करता है।
2. 3 मई 2003 से जमाराशियों को विलयन के पूर्ण प्रभाव के लिए समायोजित किया गया हैं वहीं ऋण का इसी के प्रारंभिक प्रभाव के लिए समायोजित किया गया है।

चार्ट III.4: बैंकिंग क्षेत्र की निवल घरेलू आस्तियों और निवल विदेशी मुद्रा आस्तियों में घट-बढ़

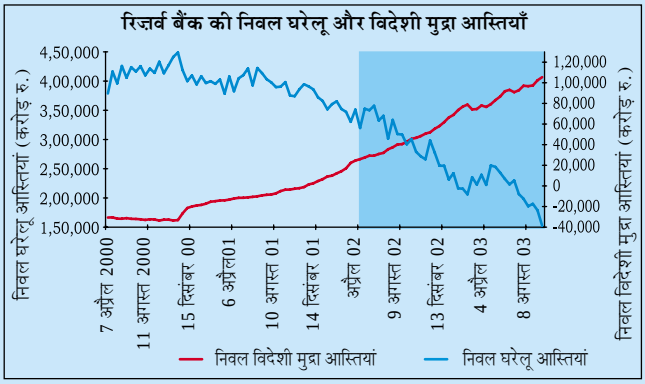

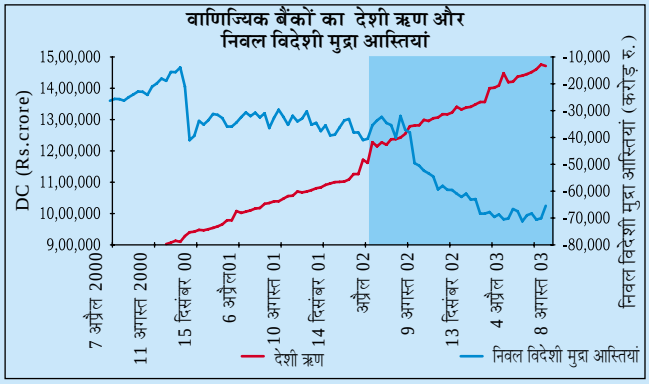

के स्रोतों में जमाराशि संग्रहण का अंश पिछले वर्ष के 96.6 प्रतिशत से गिरकर (विलयन के प्रभाव को घटाकर 91.7 प्रतिशत) रह गया। इसके फलस्वरूप आये अंतर को वित्तीय संस्थाओं, समुद्र पारीय विदेशी मुद्रा उधारों से मिले जुले रूप में उच्चतर मांग/मीयादी निधियां प्रदान कर और विदेशी मुद्रा आस्तियों को कम करते हुए पूरा किया गया। 2001-02 के विपरीत जब विदेशी आस्तियों में विदेशी मुद्रा प्रवाहों से उभरी चलनिधि का मांग के अभाव में एक बड़ा भारी अंश अलग रखा गया था, उन्होंने ऐसे निवेशों का उपयोग करने के लिए देशी कंपनियों को विदेशी मुद्रा में ऋण दिये।

3.38 बैंकों की विदेशी मुद्राओं के निवेश संविभाग आबंटन के कई स्थूल और मौद्रिक प्रभाव पड़े हैं। यदि बैंक अपनी शेष राशियां विदेश में रखना पसंद करें तो समूचा लेनदेन ढांचा धन और उत्पादन की दृष्टि से निष्प्रभावी हो जाता है। यदि बैंक निवासियों को विदेशी मुद्रा में ऋण देते हैं तो लेनदेन ढांचा धन की दृष्टि से निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि निधियां तब भी विदेशों में विनियोजित होती हैं, परंतु देशी उद्योग को प्राप्त निधियों से निर्मित प्रभाव से कुछ उपलब्धि होती है। यदि बैंक देशी कंपनियों को रुपया और अग्रिम ऋण देने के लिए रिज़र्व बैंक के पास अपनी विदेशी मुद्रा परिवर्तित करते हैं तो इसमें मौद्रिक तथा उत्पादक प्रभाव प्राप्त होगा। यदि रुपया संसाधन सरकारी पत्र में निवेशित किये जाएं तो इसमें कोई मौद्रिक प्रभाव नहीं मिलेगा क्योंकि तब रिज़र्व बैंक सरकार को घाटा पहुंचाते हुए बाह्य क्षेत्र के अधिशेषों का मात्र व्यापार कर सकेगा।

चार्ट III.5 : अधिशेष बैंक चलनिधि और ब्याज दर

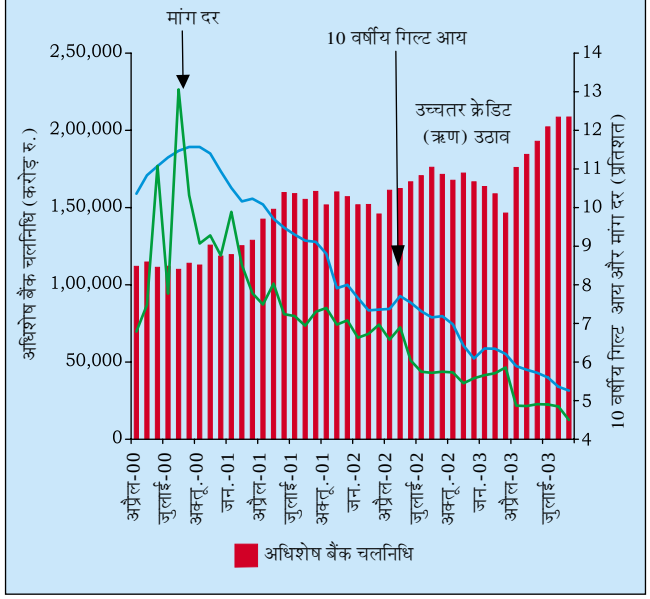

3.39 राजकोषीय वर्ष 2002-03 की शुरूआत अप्रैल के दौरान आम तौर पर पर्याप्त चलनिधि की स्थिति के साथ हुई तथा उसके द्वारा वर्ष के अंत में बाजार में निधियों की कमी खत्म हुई। इसका केंद्र सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की शुरूआत के जरिए प्रतिसंतुलन किया गया तथा यह रिज़र्व बैंक के खुला बाजार (रिपो सहित) क्रयों से और मजबूत हुआ। वास्तव में, मई के प्रथम पखवाड़े में सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की प्रगति तथा खाद्य ऋण में पर्याप्त वृद्धि के कारण चलनिधि कमी की स्थिति उत्पन्न हो गयी तथा इसके फलस्वरूप चलनिधि समायोजन सुविधा नीलामियों से बैंक हट गए तथा रिज़र्व बैंक के पास शेष में गिरावट आयी। इसके अतिरिक्त सीमा पर तनाव के कारण

बाजार में अनिश्चितता उत्पन्न हो गयी तथा इसके फलस्वरूप मई के दूसरे पखवाड़े में रिज़र्व बैंक के पास सरकारी प्रतिभूतियों के निजी स्थान नियोजन की शृंखला अनिवार्य हो गयी। नकदी प्रारक्षित अनुपात में 50 आधार अंकों की कटौती तथा सरकारी बॉण्ड के शोधन में वृद्धि के फलस्वरूप जून में चलनिधि की स्थिति में बढ़ोत्तरी हुई जिसमें सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियां तथा अग्रिम कर बहिर्वाह में बैंकों का अभिदान सहज हो गया। 27 जून को रिपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती के फलस्वरूप पहले का रुख लौट आया तथा सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार में अभिरुचि फिर से उत्पन्न हो गयी।

3.40 वर्ष 2003-04 की विशेषता यह रही कि इसमें अब तक अधिशेष चलनिधि की स्थिति बनी रही जो पूँजी अंतर्वाहों में सतत उछाल से उत्पन्न हुई है जो वाणिज्यिक बैंकों के घरेलू जमा संग्रहण और सापेक्षत: मामूली ऋण मांग में कमी से हुए प्रतिसंतुलन से अधिक है। जून 2003 में निवल मांग और मीयादी देयताओं के 4.5 प्रतिशत तक 25 आधार अंकों की कटौती करके बैंकिंग प्रणाली को अतिरिक्त निधियाँ जारी कीं। सुगम चलनिधि स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हुए रेपो दर अगस्त 2003 में 50 आधार अंक की कटौती करके 4.5 प्रतिशत तक कम कर दी गई। परिणामस्वरूप, सरकारी प्रतिभूतियों में वाणिज्यिक बैंकों के निवेश प्राथमिक नीलामियों और खुला बाज़ार परिचालनों (रिपो सहित) के माध्यम से सुदृढ़ स्थिति में बने रहे।

3.41 वर्ष 2002-03 के उत्तरार्ध में चलनिधि की स्थिति में भारी सुधार से इस अवधि में मांग मुद्रा बाज़ारों के टर्न ओवर में गिरावट आयी जिसके लिए उधाकरकर्ताओं से उधार लेने में उल्लेखनीय कमी आयी। साथ ही, इसका बाज़ार में कुछ पुराने उधारकर्ता कभी-कभारवाले उधारदाता बन गये। इसके अलावा, चलनिधि समायोजन सुविधा के अधीन रेपो दरें अप्रैल से मध्य अक्तूबर 2003 के दौरान मांग दरों की तुलना में लगातार ऊंची रहीं जिसके कारण उधारदाताओं की प्रवृत्ति रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा में ज्यादा निधियाँ लगाने की रही और उसके द्वारा मांग / सूचना मुद्रा खण्ड में टर्नओवर मंद हो गया।

बैंकों की आस्तियों और देयताओं की परिपक्वता संबंधी रूपरेखा

3.42 वाणिज्यिक बैंकों की देयताओं की परिपक्वता रूपरेखा अपेक्षाकृत छोटी है क्योंकि इनकी जमाराशियों का अधिकांश भाग एक से तीन वर्ष के परिपक्वता समूह में था (सारणी III.14)। आस्तियों के मामले में निवेश संविभाग का एक बड़ा भाग दीर्घावधि प्रकृति का है तथा इसकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से अधिक है। ऋणों और अग्रिमों का संविभाग अपेक्षाकृत जमाराशि संविभाग के अनुरूप है तथा इसका पर्याप्त भाग तीन वर्ष से कम की परिपक्वता अवधि में है।

बैंक स्टॉक का मूल्य

3.43 पूंजी बाजार में मंदी की स्थिति के बावजूद पूरे 2002-03 के दौरान बैंक शेयरों में प्रभावी वृद्धि दर्ज की गई जैसा कि बीएसई में हाल ही में शुरू किए गए बैंकेक्स (बैंक सूचकांक) तथा एनएसई के एसएण्डपी सीएनएक्स बैंक सूचकांक दोनों में स्टाक सूचकों से इंगित होता है (चार्ट III.6)। बैंक शेयरों के प्रति बाजार की वरीयता बैंक शेयरों, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों के व्यापार की मात्रा में तीव्र वृद्धि से भी परिलक्षित होती है (सारणी III.15)। एनएसई के पूंजी बाजार क्षेत्र में 16 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 9 बैंकों की दैनिक औसत आय धनात्मक रही तथा 19 निजी बैंकों में से 15 बैंकों की दैनिक औसत आय धनात्मक रही (सारणी III.16), यद्यपि कतिपय निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में अधिग्रहण और विलय की बाजार प्रत्याशाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में विनिवेश ने भी बैंक स्टॉक के मूल्यों में तीव्र वृद्धि की लेकिन फिर भी इसने मुख्य रूप से निम्नलिखित दो कारकों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाया:

- विशेषकर कम होती ब्याज दरों की व्यवस्था में व्यापार लाभ के परिणामस्वरूप बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि से ऐसा प्रतीत होता है समीक्षाधीन वर्ष के दौरान नीतिगत दरों में कमी जैसे मौद्रिक नीति के उपायों के कारण बैंक स्टॉक मूल्यों की संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है।
- निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडी आइ) मानदंडों में छूट सहित बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों में प्रगति ने निजी क्षेत्र के सुधारों में प्रगति ने निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों की स्थिति सुधार दी है जिसकी प्रवृत्ति इक्विटी

सारणी III.14: चुनिंदा देयताओं / आस्तियों की बैंक समूहवार परिपक्वता रूपरेखा

(प्रतिशत)

देयताएं	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नए बैंक		विदेशी बैंक	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. जमाराशियां	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
क) एक वर्ष तक	29.4	34.2	50.5	49.4	58.5	53.4	54.5	53.4
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	52.2	44.7	40.5	39.2	37.3	41.9	23.6	42.6
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	9.7	9.4	4.0	5.3	2.2	1.9	10.8	3.9
घ) पांच वर्ष से अधिक	8.7	11.7	5.0	6.1	2.0	2.8	11.1	0.1
II. उधार राशियां	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
क) एक वर्ष तक	60.9	74.9	92.1	82.9	52.9	45.7	77.4	87.4
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	15.9	14.9	4.1	13.2	31.3	39.2	4.7	12.4
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	11.9	5.5	2.4	2.1	9.5	6.6	16.2	0.0
घ) पांच वर्ष से अधिक	11.3	4.7	1.4	1.8	6.3	8.5	1.7	0.2
III. ऋण और अग्रिम	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
क) एक वर्ष तक	41.6	39.3	41.3	43.5	35.8	36.1	65.6	64.7
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	33.2	35.2	37.5	36.1	28.5	29.6	20.3	22.1
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	11.4	11.7	10.4	8.8	13.9	12.9	6.2	5.9
घ) पांच वर्ष से अधिक	13.8	13.8	10.8	11.6	21.8	21.4	7.8	7.3
IV. निवेश (बही मूल्य पर)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
क) एक वर्ष तक	11.6	12.3	14.2	18.9	40.0	44.9	45.7	46.6
ख) एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक	15.9	13.7	16.5	14.6	22.0	29.0	23.2	24.8
ग) तीन वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	15.6	15.8	9.4	9.6	12.6	6.3	16.2	12.4
घ) पांच वर्ष से अधिक	56.9	58.2	59.9	56.9	25.4	19.8	14.9	16.2

स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलन पत्र

बाजारों में पहले से अपेक्षाकृत कम मूल्य आंकने की होती थी।

3.44 समकालिकता परीक्षण (जो स्टॉक के अंश को निर्दिष्ट करता है तथा जो एक साथ उसी दिशा में बढ़ता है तथा इस प्रकार उद्योगव्यापी बनाम शेयरवार कारकों की सापेक्षिक क्षमता की माप करता है) से यह स्पष्ट होता है कि मोटे तौर पर बैंक शेयरों में बाजार की रूचि उद्योग विशिष्ट कारकों से निर्धारित होती है। प्रमुख लाभ कमाने वालों में बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, विजया बैंक, देना बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शामिल हैं (सारणी III.16)। औसत दैनिक लेन-देन के संदर्भ में सर्वाधिक सक्रिय शेयर भारतीय स्टेट बैंक, सिंडिकेट बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया के रहे हैं।

चार्ट III.6 : बैंक शेयरों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव

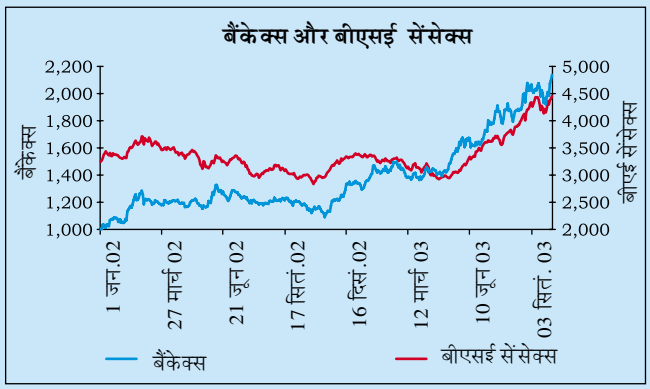

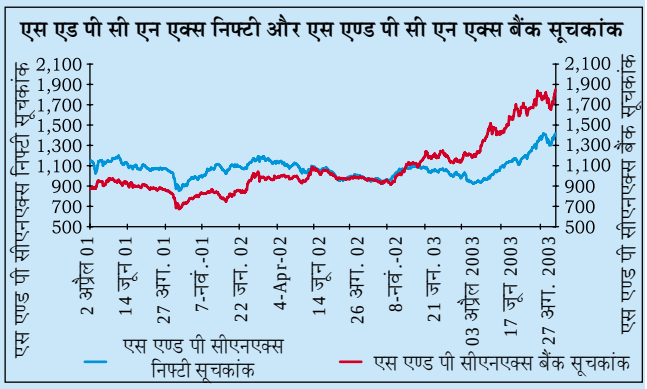

सारणी III.15 : एनएसई में बैंक शेयरों के लेनदेन के ब्यौरे

श्रेणी	2001-02		2002-03	
	मूल्य (लाख रुपए)	कुल के प्रति प्रतिशत	मूल्य (लाख रुपए)	कुल के प्रति प्रतिशत
1	2	3	4	5
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4,33,567	0.8	16, 40,648	2.7
निजी बैंक	2,19,800	0.4	4,26,216	0.7
कुल	6,53,367	1.2	20,66,864	3.3
कुल बाजार मूल्य	**5,13,16,740**		**6,17,98,860**	

सारणी III.16 : बैंकों के शेयर मूल्य में परिवर्तन

बैंक का नाम	औसत अंतिम मूल्य (रुपया)	
	2001-02	2002-03
1	2	3
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक		
इलाहाबाद बैंक	—	13.5 *
आंध्र बैंक	8.5	17.0
बैंक ऑफ बड़ौदा	45.9	59.3
बैंक ऑफ इंडिया	16.2	31.2
केनरा बैंक	—	61.5 +
कार्पोरेशन बैंक	130.4	120.9
देना बैंक	6.9	10.8
इंडियन ओवरसीज बैंक	8.1	12.9
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	35.6	46.7
पंजाब नैशनल बैंक	—	56.1 @
सिंडिकेट बैंक	9.4	14.6
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	—	20.0 #
विजया बैंक	7.5	12.4
भारतीय स्टेट बैंक	208.0	250.7
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	286.2 **	—
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	263.1 **	—
निजी क्षेत्र के बैंक		
बैंक ऑफ राजस्थान लि.	10.5	15.3
सिटी यूनियन बैंक लि.	21.3	30.9
फेडरल बैंक लि.	50.2	87.1
जम्मू और कश्मीर बैंक लि.	48.8	95.2
कर्नाटक बैंक लि.	33.8	61.2
करूर वैश्य बैंक लि.	127.8	194.7
लक्ष्मी विलास बैंक लि.	45.9	65.9
नेदुंगुडी बैंक	41.5	34.9 ++
साउथ इंडियन बैंक लि.	29.1	36.5
यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक	22.8	22.8
वैश्य बैंक लि.	132.6	258.3
बैंक ऑफ पंजाब लि.	12.9	13.9
सेंचुरियन बैंक लि.	9.3	8.7
ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि.	22.4	18.9
एचडीएफसी बैंक लि.	227.0	217.6
आइसीआइसीआइ बैंक लि.	117.0	137.4
आइडीबीआइ बैंक लि.	19.5	18.9
इंडसइंड बैंक लि.	12.5	15.9
यूटीआइ बैंक लि.	30.3	38.9

* 29 नवंबर 2002 से;
\+ 23 दिसंबर 2002 से;
** 27 दिसंबर 2001 तक;
++ 30 सितंबर 2002 तक;
@ 26 अप्रैल 2002 से;
# 24 सितंबर 2002;
टिप्पणी : अंतिम मूल्य आंकड़े औसत आधार पर है।
स्रोत : राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज

3. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का वित्तीय निष्पादन

3.45 2002-03 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की लाभप्रदता में काफी वृद्धि हुई। लाभ में यह वृद्धि मुख्यतः दो कारणों से हुई। पहला, बाजार में व्याप्त सहज चलनिधि दशाओं के फलस्वरूप व्यापार से आय में काफी वृद्धि हुई जिसने बैंकिंग क्षेत्र की 'अन्य आय' बढ़ाई। दूसरा, जमा दरों में कटौती के फलस्वरूप आमतौर पर ब्याज का विस्तार हो गया तथा विशेषकर जमाराशियों पर दिया गया ब्याज मोटे तौर पर नियंत्रित रहा (सारणी III.17)।

आय

3.46 2002-03 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आय 14.1 प्रतिशत बढ़ गयी जो 1997-2002 की अवधि में हासिल 12.1 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर से उच्चतर थी। बैंक समूहों में निजी क्षेत्र के नए बैंक समूह की आय में सर्वाधिक वृद्धि हुई। वास्तव में, विदेशी बैंकों की कुल आय में कमी मुख्यतः भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों की संख्या में कमी के कारण आयी। निजी क्षेत्र के नए बैंक की श्रेणी में आय में उच्च वृद्धि का अभिप्राय है - अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों के प्रति आय का अनुपात 2001-02 के 9.8 प्रतिशत बढ़कर 2002-03 में 10.2 प्रतिशत हो गया। तथापि, नए निजी बैंकों के छोड़कर सभी अन्य बैंक समूहों के इस अनुपात में कमी देखी गयी (परिशिष्ट सारणी III.11)। चूँकि रिज़र्व बैंक ने समयातिक्रमण वाली कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं के कुछ श्रेणियों के संदर्भ में बैंकों को उपचय आधार पर आय निर्धारित करने की अनुमति दी, इस कारण कतिपय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की लाभप्रदता में भी सुधार हुआ (परिशिष्ट सारणी III.12(क) से (ज)।

ब्याज आय

3.47 ब्याज आय में अधिकांश बैंक समूहों की प्रमुख आय सम्मिलित होती है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए ब्याज आय में विशिष्ट रूप से उनकी कुल आय का 80 प्रतिशत

सारणी III.17 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के महत्त्वपूर्ण वित्तीय संकेतक

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	2000-01		2001-02		2002-03	
	राशि	कुल आस्तियों के प्रति प्रतिशत	राशि	कुल आस्तियों के प्रति प्रतिशत	राशि	कुल आस्तियों के प्रति प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1. आय (क+ख)	1,32,076	10.2	1,51,032	9.8	1,72,374	10.1
क) ब्याज आय	1,15,091	8.9	1,26,958	8.3	1,40,718	8.3
ख) अन्य आय	16,985	1.3	24,074	1.6	31,656*	1.9
2. व्यय (क+ख+ग)	1,25,672	9.7	1,39,456	9.1	1,55,297	9.1
क) लगा हुआ ब्याज	78,141	6.0	87,516	5.7	93,607	5.5
ख) परिचालन व्यय	34,178	2.6	33,679	2.2	38,085	2.2
जिसमें से:						
मजदूरी बिल	23,218	1.8	21,785	1.4	23,613	1.4
ग) प्रावधान और आकस्मिकताएं	13,353	1.0	18,261	1.2	23,605	1.4
3. परिचालन लाभ	19,757	1.5	29,837	1.9	40,682	2.4
4. निवल लाभ	6,403	0.5	11,576	0.8	17,077	1.0
5. अंतर (1क -2क)	36,950	2.9	39,441	2.6	47,111	2.8

टिप्पणी : 2000-01, 2001-02 और 2002-03 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्रमशः 100, 97 और 93 थी।
* भूतपूर्व आइसीआइसीआइ लि. द्वारा धारित आइसीआइसीआइ बैंक लि. के शेयरों पर लाभ शामिल है।

सम्मिलित होता है। ब्याज आय के दो प्रमुख स्रोत हैं - अग्रिम पर आय और निवेश पर आय। पहले संविदाकृत उच्च ब्याज वाले ऋणों के कारण अग्रिमों पर ब्याज अभी भी ब्याज आय का बड़ा हिस्सा है, जो 2002-03 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की ब्याज आय का लगभग 46 प्रतिशत है जबकि 1997-98 में यह 50 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वृहतर ऋण उठाव का प्रभाव भी देखा गया था। बैंकों की आय का दूसरा प्रमुख घटक निवेश से आय है। ब्याज से होने वाली आय के हिस्से में कमी की क्षतिपूर्ति काफी हद तक निवेश से होनेवाली आय में बढ़ोत्तरी से हो गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इस आय का हिस्सा 1977-98 के 43 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 47 प्रतिशत हो गया। विशिष्ट रूप से पिछले पांच वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों के प्रति ब्याज आय लगभग 8.3 प्रतिशत के इर्द-गिर्द रही है।

3.48 आपूर्ति पक्ष में दृढ़ पूंजी प्रवाह तथा माँग पक्ष में कमजोर ऋण उठाव और विवेक सम्मत मानदण्डों को सख्त करने के कारण सहज चलनिधि की स्थिति व्याप्त होने की अनुक्रिया में हाल के वर्षों में वाणिज्यिक बैंकों की आस्तियों की संरचना बदलती रही है। इसके परिणामस्वरूप 1997 से 2003 के दौरान निवेश में वृद्धि की दर अग्रिमों के आय अर्जन की दर (यानी अग्रिमों, गैर निष्पादक आस्तियों के समायोजन) से उच्चतर थी। आस्ति संरचना और अंतःवर्ती व्यापक आर्थिक दशाओं में परिवर्तन की अनुक्रिया में आय की संरचना बदलती रही है। कुल आय में अग्रिमों पर ब्याज का हिस्सा कम होता रहा है जो ऋण के मंदतर प्रसार और कम होती ब्याज दर, दोनों को दर्शाता है। दूसरी ओर कुल आय में निवेश से प्राप्त ब्याज आय का हिस्सा निवेश के वृहतर समूह के कारण बढ़ा जो आय में कमी के कारण आंशिक रूप से कम हो गया।

अन्य आय

3.49 आय का अन्य प्रमुख घटक है शुल्क आधारित गतिविधियों से उत्पन्न आय जैसे कि कमीशन और दलाली, जमीन भवन की बिक्री से लाभ के साथ-साथ विनिमय कार्यों से उत्पन्न निवल आय। इनमें से, कमीशन, विनिमय और दलाली अन्य आय के प्रमुख भाग के रूप में विशेषरूप से इसके अंतर्गत आते हैं। तथापि, हाल के वर्षों में बैंकों, मूलतः सरकारी बैंकों और कुछ कम हद तक निजी बैंकों में उनकी कारोबार आय में तेज वृद्धि के कारण महत्त्वपूर्ण लाभ दिखाई पड़ा है। आय में निरंतर कमी तथा सघन होते सरकारी प्रतिभूति बाजार के फलस्वरूप निवेश की बिक्री से लाभ में तीव्र वृद्धि हुई। इसलिए यह मुद्दा उठ खड़ा हुआ है कि क्या खजाना बैंक आय का प्रमुख स्रोत है (बॉक्स III.3)। वास्तव में 2002-03 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कारोबारी आय पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 65 प्रतिशत तक बढ़ी है जो दर्शाती है कि इस संबंध में लगभग सभी बैंकों द्वारा लाभ कमाया गया है और कतिपय बैंकों के मामले में यह कारोबारी आय वस्तुतः चौगुनी हो गयी है। दूसरी ओर, विदेशी बैंक समूह के मामले में विदेशी मुद्रा आय पारंपरिक रूप से ऊंची रही है जो

बॉक्स III.3 : क्या बैंक आय का प्रमुख स्रोत खजाना से प्राप्त आय है ?

वाणिज्यिक बैंकों की आय के स्रोतों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि हाल के वर्षों में उनकी आय की संरचना में परिवर्तन आया है। अग्रिमों / बिलों पर अर्जित ब्याज / बट्टा बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है तथा यह उनकी कुल आय का 40 प्रतिशत से भी कम तक गिर गया है। 2002-03 में निवेश से प्राप्त ब्याज आय का हिस्सा कुल आय का 36 प्रतिशत था।

आय की संरचना में उपयुक्त परिवर्तन बैंकों के तुलन-पत्र में आस्तियों की बदलती हुई संरचना के अनुरूप है। जबकि 1997 से 2003 के दौरान निवेश में 20.7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से चक्रीय वृद्धि दर्ज की गयी, इसी अवधि के दौरान अर्जक अग्रिमों (यानी अग्रिमों से परंतु गैर-निष्पादक आस्तियों को घटाकर) में 18.6 प्रतिशत की निम्नतर दर से वृद्धि हुई।

आस्ति सरंचना में परिवर्तन के कारण निवेश से आय में 1969-97 से 2002-03 की अवधि के दौरान 17.4 प्रतिशत की चक्रीय वार्षिक वृद्धि दर से उच्चतर वृद्धि दर्ज की गयी जबकि अग्रिमों पर ब्याज 10.2 प्रतिशत की दर से रहा जिसके फलस्वरूप कुल आय में उनके अंश का अंतर कम हो गया। ऋण देने की दर में तीव्र कमी के कारण भी आय की संरचना में परिवर्तन आया (चार्ट क)।

चार्ट क: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अग्रिमों / निवेश पर ब्याज आय

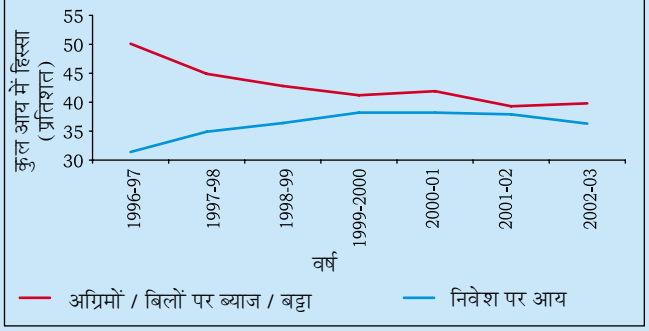

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निवेश (प्रतिभूतियों के व्यापार) बिक्री से लाभ 39 प्रतिशत बढ़कर 13,245 करोड़ रुपए हो गया जो पिछले वर्ष 9,541 करोड़ रुपए था। 2002-03 के दौरान 51 बैंकों ने व्यवसाय में वृद्धि दर्ज की। दूसरी ओर 9 बैंकों ने निवेश पर निवल हानि की सूचना दी। 2002-03 के दौरान बैंकों की कुल आय में व्यवसाय से लाभ का हिस्सा 7.7 प्रतिशत तथा उनके परिचालन लाभ का हिस्सा लगभग 33 प्रतिशत था।

1996-97 से 2000-01 के दौरान परिचालन लाभ में व्यवसाय लाभ का हिस्सा काफी कम था तथा यह 3.5 से 16.1 प्रतिशत के बीच रहता था, उसके बाद 2001-02 में इसमें काफी वृद्धि हुई तथा यह 32 प्रतिशत हो गया और 2002-03 में और बढ़कर 32.6 प्रतिशत हो गया (चार्ट - ख)।

चार्ट ख: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश की बिक्री पर लाभ

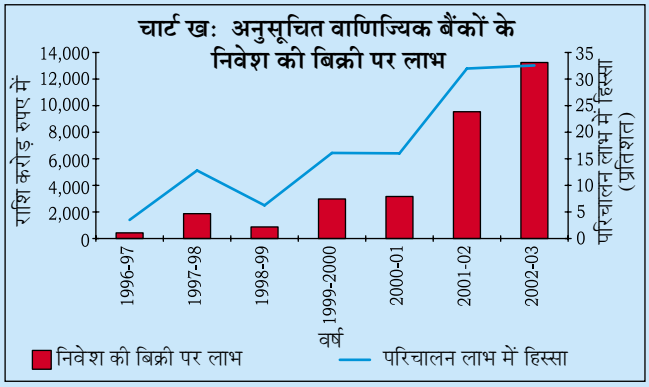

प्रतिभूतियों के व्यापार से लाभ का हिस्सा विभिन्न बैंक समूहों में बदलता रहा। निजी क्षेत्र के पुराने बैंक प्रतिभूतियों के व्यापार पर अत्यधिक निर्भर करते है तथा जिसका 2001-02 और 2002-03 दोनों वर्षों में उनके परिचालन लाभ का 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान था। 2001-02 में विदेशी बैंकों ने प्रतिभूतियों के व्यापार से 1000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ कमाया तथा उनके व्यवसाय लाभ कम होकर 504 करोड़ रुपए रह गए जिसने उनके परिचालन लाभ में केवल 13.5 प्रतिशत का योगदान दिया। भारतीय स्टेट बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों के व्यापार से 2,675 करोड़ रुपए का उच्चतर लाभ कमाया जो 2001-02 में 1,034 करोड़ रुपए था। तथापि परिचालन लाभ में इसका हिस्सा 25 प्रतिशत से भी कम था जो 32.6 प्रतिशत के सिस्टम औसत से निम्नतर है।

बैंक स्तर पर जबकि 27 बैंकों (जिनके पास बैंकिंग प्रणाली की कुल आस्तियों का लगभग 14 प्रतिशत है) ने प्रतिभूतियों के व्यापार से अपने लाभ का 50 प्रतिशत से अधिक अर्जित किया, 16 बैंकों (मुख्यतः छोटे विदेशी बैंकों जिनका कुल आस्तियों में हिस्सा 0.5 प्रतिशत से कम है) ने प्रतिभूतियों के व्यापार से कोई लाभ नहीं कमाया। अन्य 15 बैंकों के लिए व्यवसाय लाभ उनके परिचालन लाभ के 15 प्रतिशत से कम था। 2002-03 में 38 बैंकों में से प्रत्येक ने प्रतिभूतियों के व्यापार से 100 करोड़ रुपए से अधिक कमाया।

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि 2002-03 के दौरान सिस्टम स्तर पर बैंकों की लाभप्रदता में व्यवसाय लाभ का महत्त्वपूर्ण हिस्सा था। बैंक स्तर पर यद्यपि कुछ बैंकों के लिए यह लाभ का प्रमुख स्रोत था, परंतु कुछ अन्य बैंक प्रतिभूतियों के व्यापार से कोई लाभ नहीं अर्जित कर पाए।

तुलनपत्र से इतर गतिविधियों, मूलतः वायदा विनिमय संविदाओं को दर्शाती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने भी पिछले दो वर्ष में काफी विदेशी मुद्रा आय दर्ज की है।

व्यय

3.50 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के व्यय में 2002-03 में लगभग 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 1997-2002 की अवधि में देखी गई 11.7 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि से कम है। बैंक समूहों के बीच विदेशी बैंकों ने तीन कारणों से अपने व्यय में भारी कमी दर्शायी: (क) उनके ब्याज व्यय में महत्वपूर्ण कमी, (ख) उनके मजदूरी और वेतन लागतों में कमी और (ग) प्रावधानों और आकस्मिकताओं को कम करना; और इस सबका परिणाम यह हुआ कि आस्तियों से समग्र व्यय का अनुपात पिछले वर्ष के 10.1 प्रतिशत से घटकर 8.8 प्रतिशत हो गया। अन्य बैंक समूहों ने भी ब्याज व्यय और परिचालन व्ययों के नियंत्रण से उत्पन्न समग्र व्यय में महत्त्वपूर्ण कमी अनुभव की। तथापि, एक अपवाद यह था कि निजी क्षेत्र के नये बैंक जिनके व्यय उल्लेखनीय रूप से बढ़े, जो आंशिक रूप से अन्य व्ययों (निर्गमित 'नोटों' और बांडों पर ब्याज, पिछले वर्ष से प्रभावी) तथा आंशिक रूप से इस संदर्भ में एक और नये निजी क्षेत्र के बैंक के प्रवेश के कारण यह वृद्धि दिखाई दी।

ब्याज व्यय

3.51 जमाराशियों पर ब्याज ब्याज-व्यय का प्रमुख घटक है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह कुल व्यय का लगभग 65 प्रतिशत और पिछले पांच वर्षों के दौरान ब्याज व्यय के 90 प्रतिशत से भी ज्यादा बैठता है। विदेशी बैंकों के मामले में, जमाराशियों पर ब्याज, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में और ब्याज व्यय के रूप में दोनों ही प्रकार से सरकारी और निजी क्षेत्रों में अपने प्रतिपक्षियों की तुलना में काफी कम है। विगत कुछ वर्षों में सभी स्तरों पर ब्याज दरों में गिरावट के साथ और रिज़र्व बैंक द्वारा अस्थायी दर वाली जमाराशियां शुरू करने से बैंकों की सभी श्रेणियों के बीच ब्याज व्यय में भारी गिरावट आयी है। यह इस तथ्य में परिलक्षित है कि अधिकांश बैंकों के ब्याज व्यय के हिस्से में ध्यान देने योग्य गिरावट आई है। उदाहरणात्मक रूप से, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल व्यय में ब्याज व्यय का हिस्सा जो कि 1997-98 में 65 प्रतिशत था 2002-03 में गिरकर 60 प्रतिशत पर आ गया है। इसी प्रकार की गिरावटें अन्य बैंक समूहों में भी दिखाई दी थीं।

परिचालनीय व्यय

3.52 परिचालनीय व्यय में पारश्रिमिक (वेज) व्यय और पारिश्रमिकेतर व्यय जैसे कि भाड़ा, कर और बिजली, विज्ञापन, निदेशकों के शुल्क और भत्ते तथा कानूनी प्रभार आते हैं। अधिकांश बैंक समूहों के लिए परिचालन व्ययों में मामूली वृद्धि हुई खास तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में ऊंचे मूल्यह्रास, लेखा-परीक्षा शुल्क और मरम्मत एवं रखरखाव के कारण। अतिरिक्त रूप से, छुट्टी नकदीकरण से संबंधित सेवानिवृत्ति लाभ प्रभारित करने के कारण सरकारी क्षेत्र के अनेक बैंकों के पारश्रिमिक व्यय में वृद्धि हुई। दूसरी ओर विदेशी बैंकों के परिचालन व्ययों में कमी दिखाई दी जो उनके पारिश्रमिक (वेज) बिल में ठहराव को दर्शाती है जोकि बैंक समूहों के बीच विशेषरूप से न्यूनतम है। बैंक समूहों के बीच परिचालन व्ययों में क्रमिक कमी को देखते हुए, समग्र रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए कुल आस्तियों से परिचालन व्ययों की स्थिति में विगत कुछ वर्षों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है।

पारिश्रमिक बिल

3.53 कर्मचारियों को भुगतान और उसके लिए प्रावधान करना परिचालन व्ययों की प्रमुख मद है, खास तौर पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए और पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह उनके कुल व्ययों का लगभग 20 प्रतिशत रहा है। 2000-01 में पारिश्रमिक बिल का हिस्सा बढ़ गया, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जब स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना प्रारंभ की गयी तो उनके परिश्रमिक बिल बढ़ गये और परिणामस्वरूप उनके परिचालन व्ययों में भी वृद्धि हुई। 1997-2001 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पारश्रिमिक बिलों में वृद्धि 12.5 प्रतिशत थी जिसमें 2001-02 की 8.6 प्रतिशत वृद्धि का समावेश था। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के बाद श्रमशक्ति के यौक्तिकीकरण ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पारश्रिमिक बिल को तेजी से छोटा कर दिया है और कुल व्यय में इसका प्रतिशत घटाकर लगभग 17 प्रतिशत के आस-पास कर दिया है। तथापि, यह अंश भविष्य निधि, उपदान (ग्रैच्युटी) निधि में ऊंचे अंशदान और छुट्टी नकदीकरण सुविधा के लिए प्रावधान के कारण लगातार ऊंचा बना हुआ है। अधिकांश अन्य बैंक समूहों के लिए कुल व्यय में पारिश्रमिक बिल का हिस्सा उल्लेखनीय रूप से कम है जो 2002-03 में निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के लिए लगभग 13 प्रतिशत और निजी क्षेत्र के नये बैंकों के लिए 5 प्रतिशत से कम है। वास्तव में, अधिक प्रौद्योगिकी उन्मुख निजी क्षेत्र के नये बैंकों और विदेशी बैंकों की प्रवृत्ति उनके पुराने और सरकारी क्षेत्र के प्रतिपक्षियों की तुलना में कुल व्यय में पारिश्रमिक बिल का अनुपात काफी कम रहा है।

प्रावधान और आकस्मिकताएं

3.54 प्रावधानों और आकस्मिकताओं संबंधी प्रमुख मदें ऋण हानियों के लिए प्रावधान, निवेश मूल्य में मूल्यह्रास हेतु प्रावधान और करों हेतु प्रावधानों से बनती हैं। ये प्रावधान विशिष्ट रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल व्ययों के लगभग 10-12 प्रतिशत का निर्माण करते हैं किंतु बैंक समूहों के बीच उल्लेखनीय अंतर है। अपनी भारी गैर-निष्पादक आस्तियों के कारण जो उनका पिछला इतिहास बताती है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को विदेशी बैंकों की तुलना में ऋण हानि के लिए भारी प्रावधान करने पड़ते हैं जबकि विदेशी बैंकों को उनकी बेहतर समग्र आस्ति गुणवत्ता के कारण साधारणतया कम प्रावधान करने पड़ते हैं। सभी बैंक समूहों और खासतौर से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रावधानों में तेज वृद्धि दिखाई दी और खासतौर पर ऋण हानि के प्रावधानों में यह वृद्धि दोनों ही अर्थों में थी अर्थात् प्रतिशत के अर्थ में और कुल व्ययों से अनुपात दोनों ही अर्थ में थी। आसन्न 90-दिवसीय बकाया संबंधी मानदंडों के लिए किये गये तदर्थ सामान्य प्रावधानों के अलावा मार्चांत 2000 से प्रभावी रूप से प्रारंभ किये गये वैश्विक निवेश संविभाग के आधार पर मानक आस्तियों के संबंध में किये गये प्रावधानों ने प्रावधानीकरण के समग्र स्तरों को बढ़ा दिया है। प्रावधानीकरण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव सामान्यतया इस तथ्य का समर्थन करता है कि ऋण हानि प्रावधानों की प्रवृत्ति प्रतिचक्रीय (काउंटर साइक्लिकल) होती है (बाक्स III.4)।

बाक्स III.4 : ऋण हानि प्रावधानों की चक्रीयता

व्यापक रूप से यह माना जाता है कि जोखिम आधारित न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं की प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था पर विपरीत चक्रीय प्रभाव डालने की रीति है। आखिरकार, आर्थिक मंदी में बैंक ऋण निवेश संविभागों की गुणवत्ता का क्षरण होता है जो ऐसे ऋणों के लिए प्रावधानीकरण हेतु पूंजी आवश्यकताओं में वृद्धि को जन्म देती है।

ऋण-हानि प्रावधानीकरण हेतु आय को सरल बनाने की अवधारणा के अनुभवजन्य परीक्षणों के विभिन्न परिणाम आये हैं। अलग-अलग अमरीकी बैंकों के आंकड़ों के आधार पर ऋण-हानि प्रावधानों और बैंक आय के बीच एक सकारात्मक संबंध पाया गया (ग्रीनवाल्ट एण्ड सिंकी, 1988)। अभी हाल ही में, स्पेनिश बैंकों के लिए ऋण हानि प्रावधानों और कारोबारी चक्र के बीच 1986-2000 की अवधि के लिए एक सुदृढ़ और महत्त्वपूर्ण संबंध दिखाई दिया था (फर्नांडिज़ और अन्य, 2002)।

हाल ही के आंतरिक अनुभवजन्य अनुसंधान में भारतीय बैंकों (चार्ट क और चार्ट ख) द्वारा किये गये ऋण - हानि प्रावधानीकरण की प्रवृत्तियों पर विचार किया गया है। 1997-2003[5] की अवधि के लिए 75 भारतीय बैंकों (27 सरकारी क्षेत्र के बैंक, 8 नये निजी, 20 पुराने निजी और 20 विदेशी बैंक) के लिए वार्षिक ऋण-हानि प्रावधानीकरण ने दर्शाया कि ऋण-हानि प्रावधानीकरण की प्रवृत्ति ने इस अवधि में अधोमुखी-प्रवृत्ति दर्शायी जब सकल देशी उत्पाद की वृद्धि ऊंची थी। इस प्रश्न की और गहराई से जांच-पड़ताल करने पर यह परिकल्पित किया गया कि यदि निम्नलिखित तीन शर्तों में से एक शर्त पूरी होती है तो बैंकों की प्रवृत्ति अविवेकी ऋण-हानि व्यवहार दर्शाने की रहती है और उनकी पूंजी पर अति संवेदनशील अनुकूल चक्रीय प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है:

1. ऋण-हानि प्रावधान बैंकों की आय के साथ नकारात्मक रूप से संबद्ध हैं (अर्थात् आखिरकार, यदि कोई बैंक अपनी आय को नियंत्रित बना रहा है तो उसे बेहतर आय की अवधि में ऊंचे प्रावधान करके अलग रखने चाहिए)।
2. ऋण-हानि आस्तियां वास्तविक ऋण वृद्धि के साथ नकारात्मक रूप से संबद्ध हैं जो यह दर्शाती हैं कि क्या बैंक की उधार देने की गति में तेज वृद्धि उसके ऋण निवेश संविभाग की गुणवत्ता में क्षरण के साथ जुड़ी है।
3. ऋण हानि प्रावधान आर्थिक चक्र के साथ अपना संबंध व्यक्त करने के लिए वास्तविक सकल देशी उत्पाद की वृद्धि के साथ नकारात्मक रूप से संबद्ध है।

तदनुसार, ऋण-हानि प्रावधानों के व्यवहार (बैंक आस्तियों के प्रतिशत के रूप में) की व्याख्या निम्नलिखित कारकों यथा परिचालनगत लाभ (कुल आस्तियों द्वारा सामान्यीकृत), ऋण वृद्धि और सकल देशी उत्पाद वृद्धि के अर्थ में की जानी थी। इसके अलावा, समय विशेष प्रभाव जैसे कि विनियामक दृष्टिकोण में प्रवृत्तियों, को प्राप्त करने के लिए वर्ष नियंत्रित डमी की शुरूआत की गयी थी। परिणाम बताते हैं कि ऋण-हानि आस्तियों और बैंक आय के बीच एक नकारात्मक और महत्त्वपूर्ण संबंध है जो इस तथ्य का उललेख करता है कि औसतन बैंकों ने आय-नियमन पैटर्न का अनुसरण नहीं किया है। जबकि इसके ठीक विपरीत वास्तविक ऋण वृद्धि दर के पास एक सकारात्मक गुणांक है। यह दर्शाता है कि तेज ऋण वृद्धि अवधियों के दौरान बैंक विवेकशील रहे हैं। सकल देशी उत्पाद वृद्धि और ऋण हानि प्रावधानों के बीच पाया गया नकारात्मक संबंध बताता है कि भारत में बैंक आर्थिक मंदियों के पहले पर्याप्त प्रावधान नहीं करते हैं।

इसके अलावा, बैंकों के बीच (बैंक समूहवार डमी वैरिएबल डालकर) ऋण-हानि प्रावधानीकरण के व्यवहार की भिन्नता सुनिश्चित करने का एक प्रयास किया गया था। यह पाया गया कि विदेशी बैंक श्रेणी की तुलना में निजी क्षेत्र के नये और पुराने बैंकों के ऋण - हानि प्रावधान कम है।

भारतीय बैंकों के ऐसे प्रेक्षित व्यवहार के लिए अनेक नीतिगत निहितार्थ हैं। पहला, बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन है ताकि वे अनिवार्यताओं का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त प्रावधान करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय बजट 2002-03 में अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए बैंकों द्वारा किये गये प्रावधानों पर उनकी कुल आय के 5 प्रतिशत की कटौती करने की अनुमति बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दी। दूसरे, मानक ऋणों (जो वस्तुतः सामान्य प्रावधान के बराबर है) के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक प्रगतिशील प्रणाली की एक न्यूनतम आवश्यकता मानी जा सकती है, जिसमें अन्य बातें यथावत् रहेंगी। यह वांछनीय होगा कि मंदी की तुलना में आर्थिक वृद्धि की अवधियों के दौरान ज्यादा संसाधनों को निकालकर अलग रखा जाए। सामान्य प्रावधानीकरण का यह पैटर्न 'गतिशील प्रावधानीकरण' कहलाता है। ऐसे प्रावधानों को सहारा देनेवाला आधारभूत सिद्धांत यह है कि दीर्घकालिक प्रत्याशित हानि के अनुमान सहित प्रत्येक लेखांकन अवधि में बकाया ऋणों के विरुद्ध प्रावधान किये जाते हैं।

संदर्भ :

ल्यूवेन एल.एण्ड जी. मेजनोनी (2003), "लोन लॉस प्रोविज़निंग एण्ड इकोनौमिक स्लो डाउन: ॲ मच टू लेट?," *जर्नल आफ फायनांशियल इंटरमीडिएशन,* वाल्यूम.12

फर्नांडिज लिस, जे.एम. पेजेज एण्ड जे. सौरीना (2002), "क्रेडिट ग्रोथ, प्राब्लेम लोन्स एण्ड क्रेडिट रिस्क प्रोविज़निंग इन स्पेन," *बीआइएस पेपर* नं.1, बी आइ एस, बेसल।

घोष सैबल एण्ड डी.एम.नाचने (2003), "आर बेसल कैपिटल स्टैण्डर्ड्स प्रो. साइक्लिकल? सम इम्पीरिकल इवीडेन्स फार इंडिया", *इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली,* जनवरी-फरवरी।

ऋण - हानि प्रावधानीकरण (%) परिवर्तन और सकल देशी वृद्धि

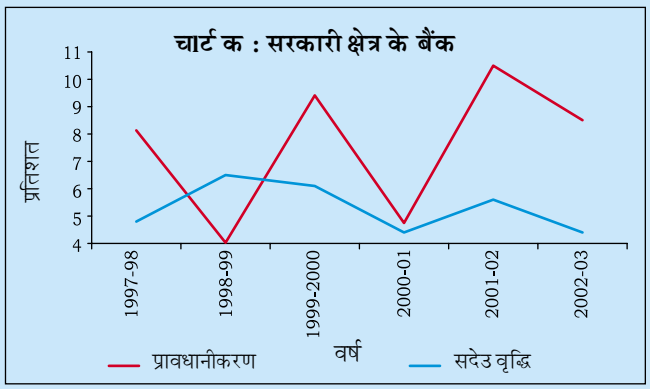

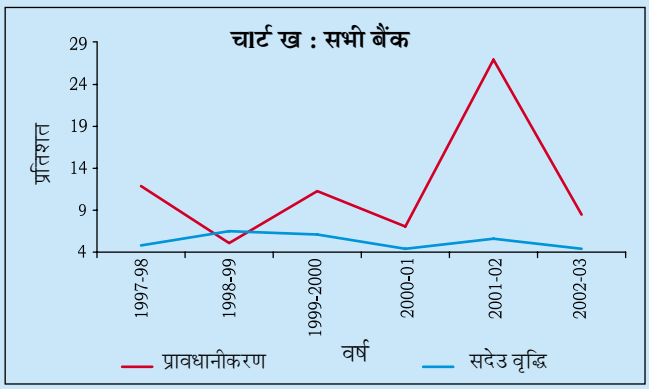

[5] अतिरिक्त प्रकटीकरण के एक अंग के रूप में बैंकों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे 1996-97 वर्ष से अपने तुलनपत्र में 'लेखों पर टिप्पणियां' शीर्षक के अंतर्गत ऋण हानि के संबंध में किये गये प्रावधानो को प्रकट करें।

परिचालन लाभ

3.55 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (अनु. वा. बैं.) के परिचालन लाभ ने पिछले वर्ष की तुलना में 36 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई जो विगत छह वर्षों में रिकार्ड की गई 16 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर से बहुत ऊंची है। वास्तव में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के परिचालन लाभों ने 2002-03 में सर्वोच्च वृद्धि दर्शायी और निजी क्षेत्र के नये बैंकों को उन्होंने एक किनारे कर दिया जिनकी वृद्धि दर निजी क्षेत्र के एक नये बैंक के शामिल होने और पिछले वर्ष में एक विलय के कारण आये अग्रणी प्रभाव के कारण सर्वोच्च थी। परिणामस्वरूप, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का कुल आस्तियों से परिचालन लाभ का प्रतिशत जो सामान्यतः 1.4 - 1.8 के दायरे में रहा है, उछलकर 2002-03 में 2.3 प्रतिशत पर आ गया। निजी क्षेत्र के नये बैंकों के मामलो में इसमें तेज वृद्धिऔर विदेशी बैंकों के मामले में इसमें मामूली वृद्धि दिखाई दी। निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों के मामले में यह अनुपात पिछले वर्ष के स्तर के आसपास ही रहा लेकिन फिर भी यह विगत तीन वर्षों के उनके आँकड़े से काफी ऊंचा है।

निवल लाभ

3.56 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवल लाभ 2002-03 में पिछले वर्ष की 81 प्रतिशत की वृद्धि के ऊपर लगभग 50 प्रतिशत बढ़े। बैंक समूहों के बीच यद्यपि अधिकांश अन्य बैंक समूहों ने भी भारी वृद्धि दर्ज की किंतु निजी क्षेत्र के नये बैंकों के निवल लाभ में सर्वोच्च वृद्धि हुई (चार्ट III.7)। सरकारी क्षेत्र बैंक समूह के भीतर स्टेट बैंक समूहों की तुलना में राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में यह वृद्धि काफी ऊंची थी। यह मुख्यतः खजाना परिचालनों से उत्पन्न भारी ब्याजेतर आय के कारण थी। हाल की अवधि में भारतीय बैंकों के लिए खजाना परिचालन एक प्रमुख आय केन्द्र के रूप में उभरे हैं, वस्तुतः

चार्ट III.7 : प्रमुख बैंक समूहों की लाभप्रदता : 1996-97 से 2002-03

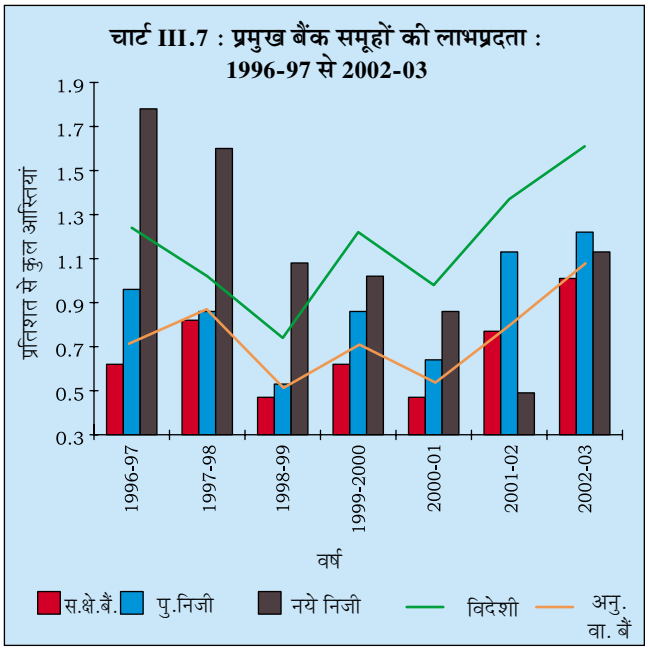

उनकी आय 2001-02 की तुलना में दुगनी हो गयी है। विदेशी मुद्रा आय यद्यपि खजाना आय जितनी भारी नहीं रही है लेकिन हाल के वर्षों में उसने बैंकों के परिचालन लाभों में महत्त्वपूर्ण रूप से योगदान दिया है, बावजूद इसके कि मार्जिनों पर दबाव बढ़ा है और अंतर - बैंक स्प्रेड भी कम होते चले गये हैं (सारणी III.18 और परिशिष्ट सारणी III.13)।

2003-04 की पहली तिमाही में प्रवृत्तियां

3.57 जून 2003 को समाप्त तिमाही के दौरान वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के निष्पादन की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के आंतरिक परिचालनों का अप्रत्यक्ष विवरणियों के आधार पर विश्लेषण किया गया है। आंकड़े बताते हैं कि जून 2002 की संबंधित अवधि की तुलना

सारणी III.18: प्रमुख आय का बैंक समूहवार ब्यौरा

(करोड़ रुपये)

बैंक समूह	कारोबारी आय		विदेशी मुद्रा आय		परिचालन लाभ	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
सरकारी क्षेत्र के बैंक	**9,541**	**13,245**	**2,464**	**2,813**	**29,837**	**40,682**
निजी क्षेत्र बैंक	5,999	9,924	1,547	1,672	21,677	29,715
राष्ट्रीयकृत बैंक	4,965	7,249	998	1,035	12,957	18,486
स्टेट बैंक समूह	1,034	2,675	549	638	8,720	11,229
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	1,408	1,466	113	123	2,516	2,804
निजी क्षेत्र के नये बैंक	1,109	1,351	135	129	2,131	4,434
विदेशी बैंक	1,024	504	668	888	3,514	3,728

टिप्पणी : 1. कारोबार आय - निवेश बिक्री पर निवल लाभ
2. विदेशी मुद्रा आय - विनिमय लेन देन पर निवल लाभ

में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निष्पादन में महत्त्वपूर्ण सुधार आया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल आस्तियों से निवल लाभ के प्रतिशत जून 2002 को समाप्त अवधि के 0.24 प्रतिशत की तुलना में जून 2003 को समाप्त अवधि में 0.32 प्रतिशत रहा। निवल लाभ में यह सुधार सामान्य रूप में व्ययों के सीमन और विशेष रूप में विस्तारित किये गये ब्याज के कारण संचालित दर और यह बैंक समूहों के बीच प्रावधानों में तेज वृद्धि और आकस्मिकताओं के बावजूद था। परिचालन व्यय थी कमोबेश जून 2002 के अंत के उसी स्तर के आसपास बने रहे; अपवाद मात्र निजी क्षेत्र के नये बैंक थे जिनके संबंध में ये व्यय वर्ष के प्रारंभ में इस खंड में निजजी क्षेत्र के एक नये बैंक के प्रवेश के कारण पारिश्रमिक बिल में वृद्धि के कारण बढ़ गये थे।

3.58 बैंक लाभप्रदता के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय अनुभव 2002 में निम्न था किंतु खराब आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए यह साधारणतया पर्याप्त था। तथापि, देशों के बीच गतिविधियां विविध रही हैं (सारणी III.19)।

3.59 भारत में सुधार प्रक्रिया का फोकस बैंकिंग प्रणाली की उत्पादकता, दक्षता और लाभ प्रदता बढ़ाने पर रहा है। वास्तव में, परिचालन लागत को कम करने के लिए अधिकाधिक श्रम उत्पादकता और प्रोद्योगिकी के अधिकाधिक विनियोजन के माध्यम से दक्षता स्तरों को बढ़ाना बैंकिंग क्षेत्र सुधार उपायों का मुख्य लक्ष्य रहा है। अतः पिछले सुधार उपायों के लाभों को समेकित करने के प्रयास जारी हैं। इस संदर्भ में, मुद्दा यह उठा है कि क्या वित्तीय क्षेत्र में सुधार उपायों के परिणाम स्वरूप दक्षता लाभ मिला है।

तुलनपत्रेतर गतिविधियां

3.60 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलनपत्रेतर गतिविधियां जिसमें हाजिर वायदा संविदाएं, गारंटियां, स्वीकृतियां और पृष्ठांकन कार्य शामिल हैं, 2002-03 में तेजी से बढ़ीं (परशिष्ट सारणी III.14) तदनुसार, कुल देयताओं के अर्थ में तुलनपत्रेतर परिचालन 2002-03 में लगभग 69 प्रतिशत बढ़ गये। इसमें से, लगभग तीन चौथाई हाजिर वायदा संविदाएं थीं और अधिकांशतः निर्यात एवं आयात से संबंधित थीं।

3.61 विदेशी बैंक खासतौर पर तुलनपत्रेतर गतिविधियों में सक्रिय थे जिसका परिणाम यह हुआ कि कुल देयताओं से उनकी तुलनपत्रेतर गतिविधि का अनुपात 2001-02 के 394 प्रतिशत से बढ़कर 2002-03 में 483 हो गया।

निधियों की लागत

3.62 एक सुदृढ़ आस्ति-देयता प्रबंधन ढांचे के भीतर विवेकसम्मत संसाधन प्रबंध ने बैंक समूहों के बीच निधियों की लागत घटा दी है (सारणी III.20)। गिरती ब्याज दरों का अर्थ यह है कि अग्रिमों और निवशों दोनों पर प्रतिलाभ बैंक समूहों के बीच नीचे गया है। निजी

सारणी III.19 : प्रमुख बैंकों की लाभप्रदता

(कुल आस्तियों से प्रतिशत के रूप में)

देश	कर-पूर्व लाभ		प्रावधानीकरण व्यय		निवल ब्याज मार्जिन		परिचालन लागत	
	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002
1	2	3	4	5	6	7	8	9
संयुक्त राज्य (10)	1.49	1.66	0.71	0.72	3.10	3.11	4.06	3.46
जापान (12)	-0.93	0.04	1.36	0.28	1.14	0.81	1.20	0.82
जर्मनी (4)	0.14	0.05	0.24	0.39	0.90	0.80	1.62	1.50
ब्रिटेन (4)	1.27	1.11	0.31	0.36	2.07	2.02	2.48	2.40
फ्रांस (4)	0.74	0.58	0.22	0.20	0.94	1.03	1.87	1.81
इटली (6)	0.81	0.48	0.55	0.67	2.04	2.16	2.39	2.61
स्पेन (4)	1.20	0.93	0.44	0.49	2.86	2.66	2.60	2.37
कनडा (6)	0.92	0.51	0.41	0.59	1.95	2.06	2.84	2.76
स्वीडन (4)	0.82	0.70	0.10	0.09	1.49	1.48	1.51	1.44
ज्ञापन:								
भारत*	0.49	0.75	1.03	1.19	2.85	2.57	2.64	2.19

* 2001 में 100 और 2002 में 97 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है। वित्त वर्ष अप्रैल - मार्च है।

टिप्पणी: 1. आंकड़े कुल आस्तियों के प्रतिशत हैं ।

2. कोष्ठक के आंकड़े लिये गये प्रमुख बैंकों की संख्या दर्शाते हैं।

स्रोत: बी आइ एस वार्षिक रिपोर्ट (2003)

बाक्स III.5 : भारतीय बैंकिंग में दक्षता

वित्तीय मध्यस्थन की प्रक्रिया में दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सुधार प्रारंभ किये गये थे। आशा की गयी थी कि बैंक इस बदलते परिचालनीय वातावरण का लाभ उठायेंगे और अपना कार्य निष्पादन सुधारेंगे। इस दिशा में रिज़र्व बैंक ने स्पर्धात्मक वातावरण के सृजन हेतु ढेर सारे उपाय किये थे। जमाराशियों और उधारों दोनों के संबंध में ब्याज दरों के अविनियमन ने बैंकों को इस बात की स्वतंत्रता दी कि वे अपने उत्पादों और सेवाओं का उचित रूप से मूल्य निर्धारण कर सकें। गैर-बैंकिंग संस्थाओं से कारगर रूप से स्पर्धा करने के लिए बैंकों को अनुमति दी गई कि वे नई से नई गतिविधियों जैसे कि निवेश बैंकिंग, प्रतिभूति व्यापार और बीमा कारोबार करने की अनुमति दी गई। यह स्पर्धा सत्संबंधित अधिनियमों में संशोधनों के माध्यम से सुसाध्य बनाई गई जिसने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को इस बात की अनुमति दी कि वे प्रारंभिक सीमा (49 प्रतिशत) तक बाजार से इक्विटी जुटा सकें तथा निजी क्षेत्र के नये और विदेशी बैंकों को प्रवेश मिल सके। बैंकिंग के इस बदलते चेहरे से पारंपरिक बैंकिंग कारोबार संबंधी मार्जिनों का क्षरण होने लगा और बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाने लगा कि वे अपनी शुल्क आय बढ़ाने के लिए नई गतिविधियों की खोज करें। साथ ही बैंकों को अपनी परिचालन दक्षता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पड़ी ताकि वे अपनी लेन-देन लागतों को सीमित कर सकें। अविनियमकारी उपायों के साथ-साथ विवेकसम्मत मानदंडों की भी स्थापना की गई ताकि बैंकिंग प्रणाली की सुरक्षा और मजबूती को बढ़ाया जा सके।

अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में, यह पाया गया है कि, समग्र रूप में, निक्षेपी वित्तीय संस्थाओं/बैंकों की वार्षिक औसत दक्षता लगभग 79 प्रतिशत के आसपास रहती है उसी स्तर की निविष्टियों में उत्पादन बढ़ाने की पर्याप्त गुंजाइश रहती है। अदक्षताएं इन दो में से किसी एक घटक से उत्पन्न होती हैं अर्थात तकनीकी और कार्यबंटन स्थिति। पहली वजह से संसाधनों का काफी कम उपयोग होता है अथवा बरबादी होती है। दूसरी ओर उच्च कार्यबंटन स्थिति की अदक्षताओं के कारण बैंक निविष्टियों (इनपुट) के मूल्य के अर्थ में सही निविष्टि योगों का चुनाव नहीं कर सकते हैं। यह भी पाया गया है कि वित्तीय संस्थाओं में अदक्षता सामान्यतया लागतों के एक काफी बड़े हिस्से को खा जाती है और यह कि यह मात्रा अथवा उत्पाद मिश्र अदक्षताओं की तुलना में कार्यनिष्पादन संबंधी समस्याओं का एक काफी बड़ा स्रोत है और असफलता की उच्च संभाव्यताओं के साथ इसका जबर्दस्त अनुभवसिद्ध संबंध है।

हाल ही के आंतरिक अनुभवजन्य अनुसंधान ने पाया कि 1999-2003 की अवधि के दौरान भारतीय बैंकों की दक्षता में इंद्रियगोचर अर्थात् साफ-साफ दिखाई पड़नेवाला सुधार आया है। स्वामित्व का स्वरूप चाहे जो हो लेकिन दक्षता की वृद्धिशील प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से समान रही है। तथापि इस सुधार की दर पर्याप्त रूप से ऊंची नहीं रही है। यह श्लेषण यह भी बताता है कि भारत में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और निजी क्षेत्र के बैंकों में उनकी दक्षता मापन के अर्थ में महत्त्वपूर्ण रूप से कोई भिन्नता नहीं है। जबकि दूसरी ओर, विदेशी बैंकों ने अपने भारतीय प्रतिपक्षियों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक सुधार दिखाया।

दक्षता सुधार का पैटर्न मोटे तौर पर इस बात के अनुरूप है कि अविनियमन और रुपांतरण के दौर से गुजर रहे उद्योग से जो आशा की जाती है वह उसमें परिलक्षित है। स्पष्टतः सभी बैंक समूहों ने वित्तीय बाजार में बढ़ती स्पर्धा के माहौल में भी दक्षता में सुधार दर्ज किया है। तथापि, दक्षता में वर्तमान प्रवृत्ति को बरकरार रखते हुए बैंकों के पास इस बात की पर्याप्त संभावनाएं हैं कि वे उत्पादन प्रौद्योगिकी में नवोन्मेषों को अपनाकर अपनी निविष्टियों (इनपुट) के सापेक्ष अपने आस्ति आधार का विस्तार करें।

संदर्भ :

ए. चार्नेस डब्ल्यू. डब्ल्यू. कूपर और ई. रोड्स, (1978), "मेज़रिंग द इफिसिएन्सी आफ डिसीज़न मेकिंग यूनिट्स," यूरोपियन जर्नल आफ आपरेशनल रिसर्च, वाल्यूम 6

ए. दास (1997), "टेक्निकल, एलोकेटिव एण्ड स्केल इफीसिएन्सी आफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया," आर बी आई आकेज़नल पेपर्स, वाल्यूम 18,

आर. मोहन, (2002), "ट्रांसफार्मिंग इंडियन बैंकिंग : इन सर्च आफ ए बेटर टुमारो," बैंक अर्थशास्त्री सम्मेलन, दिसंबर.

क्षेत्र के नये बैंकों के लिए जमाराशियों और लिये गये उधारों दोनों पर अदा किया गया ब्याज ऊंचा रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ ऊंचे उधारों के साथ निजी क्षेत्र के नये बैंक और साथ ही मार्च 2003 से प्रारंभ हुए नए अनुसूचित बैंक के शामिल हो जाने से आने वाले विलंबकारी प्रभाव को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, इन कारकों के कारण इस बैंक समूह के लिए निधियों की लागत में वृद्धि हुई है।

स्प्रेड

3.63 वर्ष 2002-03 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का स्प्रेड 19.4 प्रतिशत तक बढ़ा। अधिकांश बैंक समूहों ने स्प्रेड में दो-अंकों में वृद्धि दर्ज की जो अधिकांशतः कम ब्याज दर व्यवस्था में ब्याज व्यय में सीमन से उपजी है। विदेशी बैंकों के स्प्रेड उनके सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के प्रतिपक्षियों की तुलना में जमाराशियों पर उनकी

सारणी III.20 : बैंक समूहवार निधियों की लागत

(प्रतिशत)

परिवर्ती / बैंक समूह	सरकारी क्षेत्र के बैंक		निजी क्षेत्र के पुराने बैंक		निजी क्षेत्र के नये बैंक		विदेशी बैंक	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निधियों की लागत	6.8	6.1	7.6	6.6	3.8	4.4	6.2	5.3
अग्रिमों पर प्रतिलाभ	9.6	9.0	10.9	9.7	4.7	10.3	11.0	10.3
निवेशों पर प्रतिलाभ	10.2	9.2	10.5	9.2	5.8	8.2	10.5	7.7

टिप्पणी : 1. निधियों की लागत = (जमाराशियों पर प्रदत्त ब्याज के लिए गए उधारों के संबंध में अदा किया गया ब्याज) / (जमाराशियां + लिए गए उधार)
2. अग्रिमों पर प्रतिलाभ = अग्रिमों पर अर्जित ब्याज / अग्रिम
3. निवेशों पर प्रतिलाभ = निवेश पर अर्जित ब्याज / निवेश

कम ब्याज लागतों के कारण विशिष्टरूप से ऊंचे हैं। तथापि, अधिकांश बैंक समूहों के लिए कुल आस्तियों से स्प्रेड का अनुपात लगातार कम होता जा रहा है क्यों कि देयताओं की लागत[6] की तुलना में आस्तियों पर प्रतिलाभ आनुपातिक रूप से ज्यादा गिरे हैं।

निवेश घटबढ़ प्रारक्षित

3.64 बैंकों को सूचित किया गया था कि वे 31 मार्च 2003 को समाप्ति वर्ष से प्रारंभ करके पांच वर्ष की अवधि के भीतर अपने निवेश संविभागों में 'बिक्री के लिए उपलब्ध' (एएफएस) और 'व्यापार हेतु धारित' (एच एफ टी) श्रेणियों में धारित निवेश के न्यूनतम पांच प्रतिशत का एक निवेश घटबढ़ प्रारक्षित तैयार करें। बैंक समूहवार स्थिति दर्शाती है कि मार्च 2003 की स्थिति के अंत में जहाँ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने 1.8 प्रतिशत का निवेश घटबढ़ प्रारक्षित अनुपात (ए एफ एम और एच एफ टी श्रेणियों के अंतर्गत निवेशों के प्रतिशत के रूप में एक साथ मिलाकर लिया गया निवेश घटबढ़ प्रारक्षित) निर्मित किया है वहीं कतिपय बैंक समूहों का निवेश घटबढ़ प्रारक्षित का आंकड़ा इससे ऊंचा है (सारणी III.21 और परिशिष्ट सारणी III.18)। यह पाया गया है कि निजी क्षेत्र के नये बैंक अपनी आइ एफ आर स्थिति के संबंध में पिछड़ रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से संबंध में बैंकवार स्थिति बताती है कि उनमें से कई ने भारी प्रगति की है और एक आसान आइ एफ आर अनुपात तैयार कर लिया है क्योंकि रिज़र्व बैंक ने इस मामले के संबंध में जनवरी 2002 में ही बैंकों को सूचित कर दिया था। जहां बैंकों को पांच वर्ष की अवधि में उनके निवेशों के न्यूनतम पांच प्रतिशत का आइ एफआर पोर्टफोलियो बनाना अनिवार्य है, वहीं यह पाया गया है कि 17 बैंकों ने पहले ही 2.0 प्रतिशत या उससे अधिक का आइएफ आर अनुपात तैयार कर लिया है।

सारणी III.21 : बैंक समूहवारनिवेश घटबढ़ प्रारक्षित (आइएफआर)
(मार्च 2003 के अंत में)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह	बिक्री के लिए उपलब्ध (ए एफ एस)	व्यापार हेतु धारित (एच एफ टी)	आइ एफ आर	आ एफ आर /(ए एफ एस +एच एफ टी) (प्रतिशत)
1	2	3	4	5=4/(3+2)
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	**5,13,190**	**28,637**	**9,635**	**1.8**
सार्व. क्षेत्र के बैंक	4,09,268	13,782	7,697	1.8
राष्ट्रीयकृत बैंक	2,35,003	3,210	4,334	1.8
स्टेट बैंक समूह	1,74,265	10,572	3,363	1.8
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	31,078	1,964	694	2.1
निजी क्षेत्र के नये बेंक	45,702	4,161	559	1.1
विदेशी बैंक	27,142	8,730	685	1.9

3.65 ब्याज दर वातावरण में भारी नीति-प्रेरित परिवर्तनों से बैंकों के तुलनपत्र की ब्याज दर संवेदनशीलता के मुद्दे को आगे कर दिया है। ऐसी परिस्थितियों में बैंकों की लाभप्रदता पर असर इस बात पर निर्भर रहने की संभावना है कि क्या भावी ब्याज दर का उतार-चढ़ाव संबंधित बैंक की ब्याज दर प्रत्याशाओं के साथ-साथ है। अनुकूल ब्याज दर वातावरण में एक पर्याप्त कुशन निर्मित करने से जैसा कि आइ एफ आर की मांग है, ब्याज दर उतार-चढ़ाव के प्रतिकूल प्रभावों के समाप्त हो जाने की संभावना है (बाक्स III.6)।

4. गैर - निष्पादक आस्तियां

3.66 ऋण जोखिम वित्तीय संस्थाओं पर प्रभाव डालने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक है। वित्तीय प्रणालियों की शोध क्षमता का संकट जैसे कि 1980 का अमरीकी बचत और ऋण संकट, 1990 के प्रारंभ में नोर्डिक बैंकिंग संकट और एक हाल ही की जापान और तुर्की में हुई बैंकिंग क्षेत्र की समस्याएं, बड़े पैमाने पर, एक समयावधि में समस्यामूलक ऋणों के इकट्ठे हो जाने का परिणाम है। गैर-निष्पादक आस्तियों में वृद्धि को सीमित कर देने के लिए वसूली प्रबंधन हाल के वर्षों में बैंकिंग उद्योग के लिए एक महत्त्वपूर्ण शब्द बन गया है। भारतीय संदर्भ में, सरकार के साथ मिलकर रिज़र्व बैंक ने अनेक कदम उठाए हैं ताकि बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों को नियंत्रित रखा जा सके। परिणामस्वरूप, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की गैर-निष्पादक आस्तियों में आय निर्धारण और आस्ति वर्गीरकण (आइ आर ए सी) मानदंडों के लागू होने के बाद से एक दीर्घकालिक गिरावट दिखाई दी है। गैर-निष्पादक आस्तियों के संचयन के पीछे रहने वाले कारकों को बताने वाले उपलब्ध, संबद्ध अनुभवजन्य एवं सैद्धांतिक साहित्य के पन्ने पलटकर अनुदेशात्मक है (बाक्स III.7)।

3.67 वर्ष 2000-01 को छोड़कर बैंक समूहों के बीच गैर-निष्पादक आस्तियों में गिरावट दिखाई दी है।[7] गिरावट की इस प्रवृत्ति के अनुरूप 2002-03 में गैर-निष्पादक आस्तियों में तेज गिरावट आई जो अन्य बातों के साथ-साथ गैर-निष्पादक आस्तियों में कमी तथा न्यायालय अथवा अधिकरण के हस्तक्षेप बिना त्वरित वसूली सुनिश्चित करने के लिए सरफेसी (एसएआरएफएईएसआइ) अधिनियम के अधिनियमन की दिशा में किये गये पिछले उपायों का हितकारी प्रभाव है (बाक्स III.8)। इस अधिनियम के तहत हुई प्रगति पर्याप्त रही है जैसा कि इस तथ्य में परिलक्षित है कि 2002-03 में, विशेषरूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए, वसूलियां आय से अधिक रहीं और इसका परिणाम यह रहा कि गैर-निष्पादक ऋणों में समग्र रूप से कमी आई और यह 1998-99 में अग्रिमों के 14.7 प्रतिशत से घटकर 9.3 प्रतिशत पर आ गया (सारणी III.22 से सारणी III.25)।

[6] सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों के चुनिंदा मानदंडों के बैंकवार ब्यौरे क्रमशः परिशिष्ट सारणी III.15 (ए) से 17 (एच) में प्रस्तुत करते हैं।

[7] गैर-निष्पादक आस्तियों का आशय गैर-निष्पादक ऋणों एवं अग्रिमों से है।

बाक्स III.6: बैंकों की आय पर ब्याज दर में परिवर्तन का प्रभाव

ब्याज दरों में परिवर्तन निवल ब्याज आय ओर अन्य ब्याज-संवेदी आय का स्तर तथा परिचालन व्ययों के माध्यम से बैंक आय को प्रभावित करते हैं। यह बैंक आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्रेतर लिखतों के पूर्णता प्राप्त मूल्य पर प्रभाव डालता है क्योंकि जब ब्याज दरों में परिवर्तन होता है तब भावी निधि प्रवाह का वर्तमान मूल्य (ओर कुछ मामलों में तो स्वयं नकदी प्रवाह ही) बदलता है। बैंक निवेशों से ब्याज दर जोखिम तब उत्पन्न होती है जब ब्याज दरों का रुख विपरीत हो जाता है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि जोखिम बैंकिंग का एक सामान्य अंग है और लाभप्रदता और शेयर धारक मूल्य का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हो सकता है, बहुत ज्यादा ब्याज दर जोखिम उठाने से बैंक की आय और पूंजी आधार को भारी धक्का लगने का भय हो सकता है। ब्याज दर जोखिम का प्राथमिक रूप परिपक्वता की समाावधियों में अंतर (निर्दिष्ट दर के लिए) और बैंक आस्तियों, देयताओं और तुलनपत्रेतर (ओबीएस) स्थितियों के पुनर्मूल्यन (अस्थायी दर के लिए) से उत्पन्न होता है। इस प्रकार, बैंक की सुरक्षा और मजबूती हेतु विवेकसम्मत स्तरों के भीतर ब्याज दर जोखिम को बनाये रखने के लिए कारगर जोखिम प्रबंध अनिवार्य है।

आय और आर्थिक मूल्य दोनों के ब्याज दर जोखिम निवेश के मापन हेतु अनेक तकनीक उपलब्ध हैं। उनकी जटिलता साधारण गणनाओं से लेकर स्टेटिक सिमुलेशन तक है जिसमें वर्तमान धारिताओं से लेकर अत्यंत जटिल डायनामिक माडलिंग तकनीकों का उपयोग किया जाता है जो संभाव्य भावी कारोबार और कारोबारी निर्णय को प्रतिबिम्बित करती हैं। बैंक के ब्याज दर जोखिम निवेश को मापने के लिए अंतर पद्धति (गैप मेथड) बदलती ब्याज दरों के प्रति आय और आर्थिक मूल्य दोनों की ब्याज दर जोखिम संवेदनशीलता के सरल संकेतक उत्पन्न करती है। यह अनिवार्यतः एक विशिष्ट समयावधि (टाइम बैण्ड) में ब्याज संवेदी आस्तियों और देयताओं (तुलनपत्रेतर स्थितियों सहित) के बीच अंतर को मापती है जिसमें ये ब्याज संवेदी आस्तियां और देयताएं रहती हैं। यह अंतर तब धनात्मक (ऋणात्मक) रहता है जब परिपक्व हो रही / पुनर्मूल्यांकित की जा रही आस्तियां देयताओं की तुलना में अधिक (कम) रहती हैं। हेजिंग के लिए समायोजित प्रत्येक समयावधि के भीतर अंतरों को जोड़ करके निवल अंतर की गणना करने के बाद बैंकों द्वारा अर्जित निवल ब्याज आय (एन आइ आइ) के अर्थ में ब्याज दर में परिवर्तन की स्थिति में संभावित हानि या लाभ की गणना करके आय पर प्रभाव का अनुमान लगाया जाता है। निवल ब्याज आय में ब्याजी देयताओं पर अर्जित ब्याज और प्रदत ब्याज दोनों को हिसाब में लिया जाता है और इस प्रकार ब्याज दर उतार-चढ़ाव से उत्पन्न जोखिम बैंकों द्वारा अर्जित निवल ब्याज आय को सीधे प्रभावित करेगी। 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार बैंकों की आस्ति देयता स्थिति के संदर्भ में बैंकों की निवल ब्याज आय पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव की गणना करने के लिए अंतर पद्धति का उपयोग करते हुए रिज़र्व बैंक के अंदर किये गये एक आरंभिक आंतरिक अभ्यास में, जैसे की उनके अप्रत्यक्ष निरीक्षण संबंधी विवरण में सूचित किया गया है, निम्नलिखित सुझाव दिये गये हैं (बीआइएस, 2003):

- ब्याज दरों में 200 आधार बिंदुओं की वृद्धि करने की स्थिति में बैंकिंग प्रणाली पर समग्र रूप से उसकी निवल ब्याज आय पर 4.9 प्रतिशत का एक धनात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- बैंक समूहों की दृष्टि से ब्याज दरों में 200 आधार बिंदुओं की वृद्धि करने से जो सकारात्मक प्रभाव होगा वह सबसे ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक समूहों के बारे में होगा ।
- दूसरी ओर, ब्याज दरों में 200 आधार बिंदुओं की कमी किये जाने की स्थिति में निजी क्षेत्र के नये बैंकों और निजी क्षेत्र के पुराने बैंकों की निवल ब्याज आय में धनात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- ब्याज दरों के बढ़ने या गिरने से निवल ब्याज आय में सबसे कम प्रभाव विदेशी बैंक समूह पर होगा ।

यह मानने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के अनुमान अनिवार्यतः सांकेतिक हैं। उदाहरण के लिए, यह अध्ययन बैंकों की आस्ति-देयता संरचना के संदर्भ में किया गया है जो कि सामान्यतः अंतर-पद्धति (गैप मेथड) का उपयोग करने की सीमाओं से सम्बद्ध है। इसके अलावा बैंकों की ब्याज दर जोखिम की स्थिति अपने स्वरूप में परिवर्तनशील है। साथ ही, इस विश्लेषण में इन ब्याज दर परिवर्तनों के कारण बैंकों के प्रतिभूति निवेश संविभाग में हुई किसी वृद्धि /गिरावट को शामिल नहीं किया जाता। विद्यमान विनियामक व्यवस्था के अधीन बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे वसूल न किये गये पूंजी गत लाभ के संबंध में रूढ़िवादी लेखांकन पद्धति अपनाएं और इसलिए गुप्त रूप से प्रारक्षित निधियां रखते हैं जो ब्याज दर में होनेवाले उतार-चढ़ाव से उपजे आघात से निपटने के लिए एक कुशन के रूप में कार्य कर सके।

संदर्भ:

बैंक फॉर इंटरनेशनल सैटलमेंट (2003) प्रिंसपल्स फॉर द मैनेजमेंट एण्ड सुपरवीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, बसेल (सितंबर)

अग्रिमों / आस्तियों से प्रतिशत के रूप में बैंकवार सकल / निवल गैर-निष्पादक परिशिष्ट सारणी III.19 (ए) से 19 (एफ) में दी गई हैं। अलग-अलग सरकारी और निजी क्षेत्र के बैंकों की क्षेत्रवार गैर-निष्पादक आस्तियां परिशिष्ट सारणी III.20 (ए) और 20 (बी) में प्रस्तुत की गई हैं।

बाक्स III.7 : ऋण जोखिम के निर्धारक तत्व

ऋण जोखिम की व्यापक सैद्धांतिक और अनुभवमूलक अध्ययन किया गया है (सैंटोमेरो, 1997; होम्सट्राम एण्ड टिरोल, 2000)। तथापित, यह अनुसंधान अधिकांशतः उधारकर्ताओं की प्रत्याशित जोखिमों और / या एकल ऋण परिचालनों के मूल्यांकन और ऐसे मूल्यांकनों के अध्ययनों पर केंद्रित रहा है। ऋण स्प्रेड, संपार्श्विक प्रतिभूतियों, ऋण अवधि संरचनाओं और उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के बीच एक समयावधि में वचनबद्धताएं (अर्थात् सापेक्षिक उधार देना) व्यापक रूप से अध्ययन किये गये कुछ विषय रहे हैं। अन्य संबद्ध चर राशियां जैसे कि ऋण हानियों को खास तौर पर वित्तीय संस्थाओं के समष्टि स्तर पर संभवतः ऋण हानियों के संबंध में विश्वसनीय आंकड़ों की कमी के परिणामस्वरूप व्यापक रूप से अनदेखा किया गया है।

ऋण जोखिम के निर्धारक तत्वों से संबंधित अधिकांश अध्ययनों में मूलतः अमरीकी बैंकिंग उद्योग का वर्णन किया जाता है और लैटिन अमरीकी बैंकिंग क्षेत्र का कम उल्लेख किया जाता है। ऋण हानियों की व्याख्या करने के लिए इन अध्ययनों में मूलः समष्टि आर्थिक चरों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संदर्भ में इस विषय पर उपलब्ध अनुसंधानों में गैर-निष्पादक ऋणों के क्षेत्रीय आयाम को परखने का प्रयास किया गया है ओर हाल ही में इस विषय पर कि गैर-निष्पादक ऋणों की परिचालनीय दक्षता कमजोर अथवा अन्यथा रही है। इन अध्ययनों मे भारतीय बैंकों में अनर्जक ऋणों की व्याख्या करने के लिए व्यष्टि - आर्थिक चरों का प्रयोग किया गया। तथापि, व्यापक रूप से यह विश्वास किया जाता है समस्यामूलक ऋण व्यष्टि और समष्टि दोनों ही प्रकार के कारकों से प्रेरित होते हैं।

सकल देशी उत्पाद वृद्धि (समष्टि आर्थिक) और बैंक विशेष से संबंधित (व्यष्टि-आर्थिक) कारकों के अर्थ में समस्यामूलक ऋणों की व्याख्या करने का लिए हाल ही में आंतरिक अनुभवमूलक अनुसंधान में प्रयास किया गया है। साक्ष्यों ने संकेत किया कि : (क) समस्यामूलक ऋणों को तुरंत बट्टे खाते में नहीं डाला जाता, बल्कि वास्तव में उन्हें कई-कई अवधियों तक ढोया जाता है, (ख) सकल देशी उत्पाद की वृद्धि दर (विद्यमान और विलंबित) ने समस्यामूलक ऋण अनुपात को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। तथापि, यह पाया गया कि समसामयिक प्रभाव जबर्दस्त रूप से महत्त्वपूर्ण था जबकि विलंबित प्रभाव मानक स्तरों पर महत्त्वपूर्ण नहीं थां अनेक व्यष्टि आर्थिक चर जैसे कि विलंबित ऋण वृद्धि और परिचालनीय दक्षता की भी समस्यामूलक ऋणों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव देखा गया।

संदर्भ :

बर्गर अलन एण्ड रॉबर्ट डी यंग (1997), प्राब्लेम लोन्स एण्ड कास्ट इफिशिएनसी इन कमर्शियल बैंक्सड, *जर्नल आफ बैंकिंग एण्ड फायनान्स,* वाल्यूम 21.
दास अभिमान एण्ड सैबल घोष (2003), डिटरमिनेन्टस आफ क्रेडिट रिस्क इन इंडियन स्टेट ओन्ड बैंक्स : एन इम्पीरिकल इन्वेस्टीगेशन, पेपर प्रजेन्टेड एट द कांफ्रेंस आन मनी, फायनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट: नाटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, यू.के.
राजाराम, इंदिरा एण्ड गरिमा वशिष्ठ (2002), नान- पर्फार्मिंग लोन्स आफ पी एस यू बैंक्स : सम पैनल रिज़ल्ट्स, *इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली,* स्पेशल इशू आन मनी, बैंकिंग एण्ड फायनांस।

बॉक्स : III. 8 : प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत प्रगति

प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अधिनियमन से बैंकों को निरंतर वसूली को सुनिश्चित किए जाने का महत्वपूर्ण प्रोत्साहन उपलब्ध हुआ है। अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिनियम न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों के हस्तक्षेप के बगैर बकाये की वसूली के लिए प्रतिभूति हित को लागू करता है। भारत सरकार ने भी प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 अधिसूचित किया है ताकि सुरक्षित जमाकर्ता प्रतिभूतियों को लागू करने तथा उधारकर्ताओं से बकाए की वसूली के लिए अपने अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकें। बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं ने पहले ही इस अधिनियम के अंतर्गत वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया है कि वे प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करें तथा इसके अनुपालन की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को करें। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने एक सीमित अवधि तक के लिए इस अध्यादेश के संचालन को स्थगित कर दिया है ताकि सुरक्षित आस्तियाँ इस अध्यादेश के अन्तर्गत जब्त की जा सकें लेकिन उन्हें बेची / पट्टे पर दिया जाना अथवा सौंपा न जा सके।

अब जबकि यह अधिनियम बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय आस्तियों को इसके अन्तर्गत गठित प्रतिभूतिकरण कंपनियों (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनियों (आरसी) को बेचे जाने का प्रावधान करता है, बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को दिशा-निर्देश का एक सेट जारी कर दिया गया है ताकि आस्ति पुनर्निर्माण की प्रक्रिया समान रुप में सहज तथा मजबूत तरीके से जारी रह सके। अन्य बातों के साथ-साथ ये दिशा-निर्देश उन वित्तीय आस्तियों का निर्धारण करते हैं जिन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों/ पुनर्निर्माण कंपनियों को बेचा जा सके। ऐसे विक्रय के लिए प्रक्रियाओं (मूल्यांकन तथा मूल्य-निर्धारण पहलुओं सहित) बिक्री लेन-देन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों (अर्थात प्रावधानीकरण/मूल्यांकन मानदंडों, पूँजी पर्याप्तता मानदंडों) तथा संबंधित घोषणाओं को उनके तुलन-पत्रों के लेखा नोट में दर्ज किया जाना अपेक्षित हो।

जून 2003 के अंत तक प्रतिभूतिकरण अधिनियम के प्रारंभ/लागू किए जाने तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 12,147 करोड़ रुपये की बकाया राशि के लिए 33,736 नोटिसें जारी की हैं तथा 9,946 मामलों से 499.20 करोड़ रुपये की वसूली की है। 30 जून 2003 तक इसके बैंक-वार ब्योरे सारणी ए में दिए जा रहे हैं।

सारणी ए : प्रतिभूतिकरण तथा वित्तीय आस्ति पुनर्संरचना और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत बैंकवार प्रगति के ब्यौरे

(जून 2003 के अंत तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक का नाम	जारी नोटिसें	बकाया राशि	वसूली संबंधी मामले	वसूली गई राशि	बकाया राशि के प्रतिशत में वसूली की राशि
1	2	3	4	5	6
इलाहाबाद बैंक	1,579	514.8	610	21.9	4.2
आंध्रा बैंक	401	73.9	118	9.5	12.8
बैंक ऑफ बड़ौदा	125	429.5	19	7.8	1.8
बैंक ऑफ इंडिया	1,241	405.8	692	34.3	8.4
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	332	52.7	61	2.6	4.9
केनरा बैंक	1,011	350.5	393	34.5	9.8
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2,617	1,204.9	395	39.1	3.3
कॉपोरेशन बैंक	247	155.0	98	18.5	11.9
देना बैंक	348	358.6	147	22.3	6.2
इंडियन बैंक	1,007	425.8	240	19.5	4.6
इंडियन ओवरसीज बैंक	1,879	509.9	747	29.4	5.8
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	2,217	427.5	1,184	41.9	9.8
पंजाब नैशनल बैंक	3,015	711.8	1,086	39.3	5.5
पंजाब और सिंध बैंक	1,102	499.0	509	23.0	4.6
सिंडीकेट बैंक	1,226	156.9	480	17.2	10.9
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,601	757.2	524	22.6	2.9
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	148	14.1	54	1.8	13.0
यूको बैंक	1,130	88.4	138	4.6	5.2
विजया बैंक	1,988	239.9	638	26.4	11.0
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	7,141	3,974.0	1,037	48.0	1.2
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	606	114.5	217	3.9	3.4
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	827	282.5	102	9.8	3.5
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	403	68.6	123	6.6	9.6
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	344	102.1	34	4.6	4.5
स्टेट बैंक ऑफ पाटियाला	807	126.0	210	4.4	3.5
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	325	70.8	59	3.6	5.1
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	69	32.5	31	2.1	6.6
जोड़	**33,736**	**12,147.2**	**9,946**	**499.2**	**4.1**

संदर्भ :

भारतीय रिज़र्व बैंक, *वार्षिक रिपोर्ट*, 2002-03, मुंबई

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति तथा प्रगति पर रिपोर्ट, 2001-02, मुंबई

सारणी III.22 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बैंक समूह वार सकल तथा निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ

(मार्च के अंत तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह / वर्ष	सकल अग्रिम	सकल गैर-निष्पादक आस्तियां			निवल अग्रिम	निवल गैर-निष्पादक आस्तियां		
		राशि	सकल अग्रिमों से प्रतिशत	कुल आस्तियों से अग्रिमों		राशि	निवल अग्रिमों से प्रतिशत	कुल आस्तियों से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक								
2000	4,75,113	60,408	12.7	5.5	4,44,292	30,073	6.8	2.7
2001	5,58,766	63,741	11.4	4.9	5,26,328	32,461	6.2	2.5
2002	6,80,958	70,861	10.4	4.6	6,45,859	35,554	5.5	2.3
2003	7,78,043	68,714	8.8	4.0	7,40,473	32,764	4.4	1.9
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक								
2000	3,79,461	53,033	14.0	6.0	3,52,714	26,187	7.4	2.9
2001	4,42,134	54,672	12.4	5.3	4,15,207	27,977	6.7	2.7
2002	5,09,368	56,473	11.1	4.9	4,80,681	27,958	5.8	2.4
2003	5,77,813	54,086	9.4	4.2	5,49,351	24,963	4.5	1.9
पुराने निजी क्षेत्र के बैंक								
2000	35,404	3,815	10.8	5.2	33,879	2,393	7.1	3.3
2001	39,738	4,346	10.9	5.1	37,973	2,771	7.3	3.3
2002	44,057	4,851	11.0	5.2	42,286	3,013	7.1	3.2
2003	51,329	4,568	8.9	4.3	49,436	2,741	5.5	2.6
नये निजी क्षेत्र के बैंक								
2000	22,816	946	4.1	1.6	22,156	638	2.9	1.1
2001	31,499	1,617	5.1	2.1	30,086	929	3.1	1.2
2002	76,901	6,811	8.9	3.9	74,187	3,663	4.9	2.1
2003	94,718	7,232	7.6	3.8	89,515	4,142	4.6	2.2
भारत में विदेशी बैंक								
2000	37,432	2,614	7.0	3.2	35,543	855	2.4	1.0
2001	45,395	3,106	6.8	3.0	43,063	785	1.8	0.8
2002	50,631	2,726	5.4	2.4	48,705	920	1.9	0.8
2003	54,184	2,829	5.2	2.4	52,171	918	1.8	0.8

स्रोत : 1. संबंधित बैंकों का तुलन पत्र।
2. संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत तुलन पत्र।

गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

3.68 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष से बैंकों को यह निर्देश दिया गया है कि वे (क) गैर-निष्पादक ऋणों के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव, तथा (ख) निवेश में मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव के संबंध में अपने तुलन-पत्र में लेखा-नोट के एक भाग के रूप में अतिरिक्त विवरणियाँ प्रस्तुत करें। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के प्रावधानों के

सारणी III.23 : गैर-निष्पादक आस्तियों में बैंक समूह-वार उतार-चढ़ाव - 2002-03

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (93)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (27)	पुराने निजी बैंक (21)	नये निजी क्षेत्र के बैंक (9)	विदेशी बैंक (36)
1	2	3	4	5	6
सकल गैर-निष्पादक आस्तिया					
मार्च, 2002 के अंत तक	70,153	56,473	4,389	6,821	2,469
वर्ष के दौरान वृद्धि	21,863	16,065	1,625	2,649	1,523
वर्ष के दौरान कमी	23,302	18,452	1,447	2,239	1,164
मार्च, 2003 के अंत तक	68,714	54,086	4,568	7,232	2,829
निवल गैर-निष्पादक आस्तियां					
मार्च, 2002 के अंत तक	35,256	27,958	2,775	3,663	860
मार्च, 2003 के अंत तक	32,764	24,963	2,741	4,142	918
ज्ञापन:					
सकल अग्रिम	7,78,043	5,77,813	51,329	94,718	54,184
निवल अग्रिम	7,40,473	5,49,351	49,436	89,515	52,171
अनुपात					
सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ/सकल अग्रिम	8.8	9.4	8.9	7.6	5.2
निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ/निवल अग्रिम	4.4	4.5	5.5	4.6	1.8

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े वर्ष 2002-03 के लिए उस श्रेणी में बैंकों की संख्या का उल्लेख करते हैं।
स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलन-पत्र ।

सारणी III.24: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण आस्तियों का वर्गीकरण बैंक समूहवार (मार्च के अंत तक)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह/ वर्ष	मानक आस्तियाँ		गैर-मानक आस्तियाँ		संदेहास्पद आस्तिया		हानिप्रद आस्तियाँ		कुल गैर-निष्पादक आस्तियाँ		कुल आस्तियाँ
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक											
2000	4,14,917	87.2	19,594	4.1	33,688	7.1	7,558	1.6	60,840	12.8	4,75,757
2001	4,94,716	88.6	18,206	3.3	37,756	6.8	8,001	1.4	63,963	11.4	5,58,679
2002	6,09,972	89.6	21,382	3.1	41,201	6.0	8,370	1.2	70,953	10.4	6,80,925
2003	7,09,260	91.2	20,078	2.6	39,731	5.1	8,971	1.2	68,780	8.8	7,78,040
सार्व. क्षेत्र के बैंक											
2000	3,26,783	86.0	16,361	4.3	30,535	8.0	6,398	1.7	53,294	14.0	3,80,077
2001	3,87,360	87.6	14,745	3.3	33,485	7.6	6,544	1.5	54,774	12.4	4,42,134
2002	4,52,862	88.9	15,788	3.1	33,658	6.6	7,061	1.4	56,507	11.1	5,09,369
2003	5,23,724	90.6	14,909	2.6	32,340	5.6	6,840	1.2	54,089	9.4	5,77,813
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक											
2000	31,447	88.8	1,577	4.5	2,061	5.8	347	1.0	3,985	11.2	35,432
2001	35,166	88.7	1,622	4.1	2,449	6.2	413	1.0	4,484	11.3	39,650
2002	39,262	89.0	1,834	4.2	2,668	6.1	348	0.8	4,850	11.0	44,112
2003	46,761	91.1	1,474	2.9	2,772	5.4	321	0.6	4,567	8.9	51,328
निजी क्षेत्र के नये बैंक											
2000	21,870	95.9	560	2.5	294	1.3	92	0.4	946	4.1	22,816
2001	29,905	94.9	963	3.1	620	2.0	11	0.0	1,594	5.1	31,499
2002	70,010	91.2	2,904	3.8	3,871	4.9	41	0.0	6,816	8.8	76,826
2003	87,487	92.4	2,700	2.9	3,675	3.9	856	0.9	7,231	7.6	94,718
भारत में विदेशी बैंक											
2000	34,817	93.0	1,096	2.9	798	2.1	721	1.9	2,615	7.0	37,432
2001	42,285	93.1	876	1.9	1,202	2.6	1,033	2.3	3,111	6.9	45,396
2002	47,838	94.5	856	1.7	1,004	2.0	920	1.8	2,780	5.5	50,618
2003	51,288	94.7	995	1.8	944	1.7	954	1.8	2,893	5.3	54,181

टिप्पणी : 1. इस सारणी में दिए गए आँकड़े, सारणी III.22 में दिए गए आँकड़ों से आँकड़ा संग्रह के विभिन्न स्रोतों के चलते मेल नहीं खाते हैं।
2. आँकड़े अनंतिम हैं।
3. पूर्णांकन के चलते घटक मदें कुल योग में जोड़ी नहीं जा सकतीं।

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट।

एक प्रमुख अंश को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा हिसाब में लिया गया जो मार्च 2003 के अंत तक सकल गैर-निष्पादक आस्तियों का 47.3 प्रतिशत था। स्टेट बैंक समूह के लिए उनकी आस्ति गुणवत्ता में वृद्धि को दर्शाते हुए पिछले वर्ष की तुलना में प्रावधान कम रहे। अन्य बैंकों के साथ-साथ अपनी उन्नत आस्ति गुणवत्ता के साथ विदेशी बैंकों में भी प्रावधान विशेष रूप से कम रहे (सारणी III.26)।

सारणी III.25 : निवल अग्रिमों के साथ निवल गैर-निष्पादक आस्तियों के अनुपात द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का वितरण

(बैंकों की संख्या)

निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ/निवल अग्रिम	मार्च के अंत तक				
	1999	2000	2001	2002	2003
1	2	3	4	5	6
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	**27**	**27**	**27**	**27**	**27**
1. 10 प्रतिशत तक	18	22	22	24	25
2. 10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक	8	5	5	3	2
3. 20 प्रतिशत से अधिक	1	—	—	—	—
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	**25**	**24**	**23**	**22**	**21**
1. 10 प्रतिशत तक	17	18	16	17	19
2. 10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक	5	5	4	3	1
3. 20 प्रतिशत से अधिक	3	1	3	2	1
निजी क्षेत्र के नए बैंक	**9**	**8**	**8**	**8**	**9**
1. 10 प्रतिशत तक	9	8	8	8	8
2. 10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक	—	—	—	—	1
3. 20 प्रतिशत से अधिक	—	—	—	—	—
भारत में विदेशी बैंक	**41**	**42**	**42**	**40**	**36**
1. 10 प्रतिशत तक	27	31	31	26	28
2. 10 प्रतिशत से अधिक और 20 प्रतिशत तक	11	7	6	5	4
3. 20 प्रतिशत से अधिक	3	4	5	9	4

सारणी III.26 : गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधानों में बैंक समूह-वार उतार-चढ़ाव - 2002-03

(करोड़ रुपये)

विवरण	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 93)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (27)	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक (21)	निजी क्षेत्र के नए बैंक (9)	विदेशी बैंक (36)
1	2	3	4	5	6
मार्च, 2002 के अंत तक गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए प्रावधान	30,749	24,807	1,432	3,097	1,414
वृद्धि : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	13,181	9,861	778	1,731	810
कमी : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए, आधिक्य का प्रतिलेखन	12,049	9,131	573	1,786	559
मार्च, 2003 के अंत तक	31,881	25,537	1,637	3,042	1,665
ज्ञापन					
सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ	68,714	54,086	4,568	7,232	2,829
सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ के संचयी प्रावधान (प्रतिशत)	46.4	47.2	35.8	42.1	58.9

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े वर्ष 2002-03 के लिए उस समूह में बैंकों की संख्या को दर्शाते हैं।
स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलन-पत्र निवेश में मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

3.69 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वर्ष के दौरान निवेश में मूल्यह्रास के अपने प्रावधानों में प्रतिलेखन से अधिक की राशि तक वृद्धि की है। दूसरी ओर, नये निजी बैंकों ने एएफएस तथा एचएफटी श्रेणियों (सारणी III.27) में निवेश के उच्चतम अनुपात को संभवतः दर्शानेवाले अपने प्रावधानों को अक्षत रखा है।

वृद्धिशील गैर-निष्पादक आस्तियाँ

3.70 2002-03 में गैर-निष्पादक आस्तियों की वसूली इसे समाविष्ट करते हुए परिवर्धन से अधिक हो गई है कि वृद्धिशील गैर-निष्पादक आस्तियाँ, सकल तथा निवल दोनों ही प्रकार से नकारात्मक हो गई हैं। निरपेक्ष रूप में, सम्पूर्ण रूप से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ 2,249 करोड़ रुपये तक कम हुई हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों की वृद्धिशील सकल गैर-निष्पादक आस्तियों में, वसूली को अलग रखते हुए परिवर्धन के साथ सीमांत वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ वर्ष के दौरान उनके द्वारा तैयार किए गए वृद्धिशील प्रावधानों को दर्शाते हुए 1,800 करोड़ रुपये तक कम हुई हैं। सबसे अधिकतम कमी स्टेट बैंक समूह में हुई है। इसके प्रभाव से वर्ष 2002-03 के दौरान अधिकतम बैंक समूहों में सकल गैर-निष्पादक आस्तियों का सकल अग्रिमों के साथ वृद्धिशील अनुपात नकारात्मक रहा है। वृद्धिशील निवल गैर-निष्पादक आस्तियों में भी समान प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है (सारणी III.28 तथा सारणी III 29)।

5 पूँजी पर्याप्तता

3.71 मार्च 2003 के अंत तक सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 27 बैंकों में जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) 9 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम स्तर से उपर था। इनमें से 26 बैंकों में जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात स्तर 10 प्रतिशत से अधिक था। सम्पूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए मार्च 2003 के अंत तक जोखिम भारित आस्ति

सारणी III.27 : निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में बैंक समूह-वार उतार-चढ़ाव - 2002-03

(करोड़ रुपये)

विवरण	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (93)	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (27)	निजी क्षेत्र के पुराने बैंक (21)	निजी क्षेत्र के नए बैंक (9)	विदेशी बैंक (36)
1	2	3	4	5	6
मूल्यह्रास के लिए प्रावधान मार्च, 2002 के अंत तक	4,524	2,400	124	1,894	107
वृद्धि : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	925	985	79	-191	52
कमी : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए आधिक्य का प्रतिलेखन	575	458	62	41	14
मार्च, 2003 के अंत तक	4,875	2,927	141	1,662	145

नोट : कोष्ठक में दिए गए आँकड़े वर्ष 2002-03 के लिए उस समूह में बैंकों की संख्या का उल्लेख करते हैं।
स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलन-पत्र।

सारणी III.28: बैंक समूह-वार वृद्धिशील सकल तथा निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ

(करोड़ रुपये)

बैंक समूह	वृद्धिशील सकल गैर-निष्पादक आस्तियाँ		वृद्धिशील निवल गैर-निष्पादक आस्तियाँ	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	**7,120**	**-2,147**	**3,093**	**-2,790**
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	1,801	-2,387	-19	-2,995
राष्ट्रीयकृत बैंक	2,681	119	468	-1,822
स्टेट बैंक समूह	-880	-2,506	-487	-1,173
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	505	-283	243	-272
निजी क्षेत्र के नए बैंक	5,195	421	2,734	479
विदेशी बैंक	-380	103	135	-2

स्रोत : संबंधित बैंकों का तुलन-पत्र।

की तुलना में पूँजी का अनुपात स्तर विशिष्ट रूप से मार्च 2002 के अंत तक के 11.80 प्रतिशत की तुलना में अधिक होकर 12.68 प्रतिशत रहा। शीर्षस्थ पाँच बैंकों के लिए पूँजी पर्याप्तता (कुल आस्तियों के अनुसार) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समग्र जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात के आस-पास अधिक अथवा कम रहा (चार्ट III.8)। संभवतः नयी पूँजी सहमति के आसन्न संचालनात्मकता की दृष्टि से बैंकों, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय उपस्थितिवाले बैंकों में निर्धारित स्तर से पर्याप्त अधिक पँजी रही है।

3.72 निजी क्षेत्र के सभी पुराने बैंकों तथा भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों में जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात निर्धारित स्तर से उपर था। निजी क्षेत्र के दो नए बैंकों में जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात निर्धारित न्यूनतम स्तर से नीचे था (सारणी III.30)। विभिन्न बैंकों के जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात का बैंक-वार ब्यौरा परिशिष्ट सारणी III.20(क) से 20(ग) में दिया गया है।

चार्ट III.8: शीर्षस्थ पाँच बैंकों की जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी का अनुपात

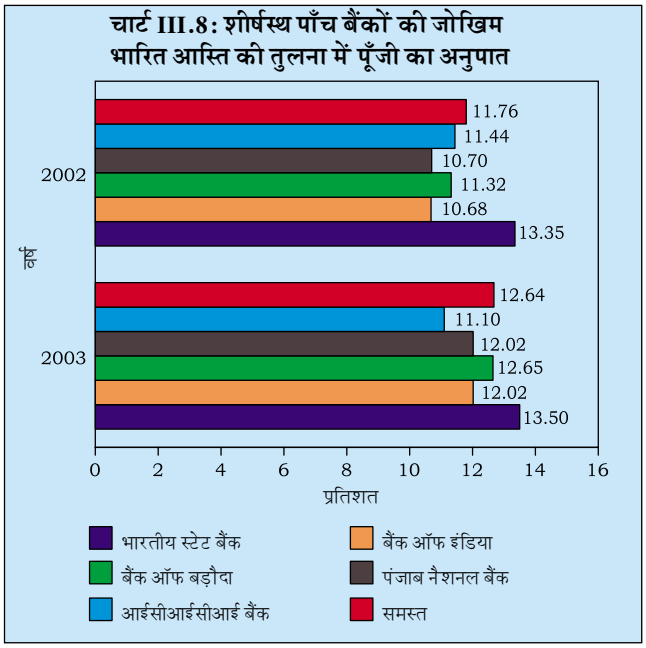

सारणी III.29: सकल तथा निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का बैंक समूह-वार वृद्धिशील अनुपात

(प्रतिशत)

बैंक समूह	निम्न के संबंध में सकल गैर-निष्पादक आस्तियों का वृद्धिशील प्रतिशत				निम्न के संबंध में निवल गैर-निष्पादक आस्तियों का वृद्धिशील प्रतिशत			
	सकल अग्रिम		कुल आस्तियाँ		सकल अग्रिम		कुल आस्तियाँ	
	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	**5.8**	**-2.2**	**3.0**	**-1.3**	**2.6**	**-2.9**	**1.3**	**-1.7**
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	2.7	-3.5	1.4	-1.8	0.0	-4.4	0.0	-2.3
राष्ट्रीयकृत बैंक	5.0	0.3	3.4	0.1	0.9	-4.1	0.6	-2.1
स्टेट बैंक समूह	-6.4	-11.0	-1.9	-5.6	-3.5	-4.8	-1.1	-2.6
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	11.7	-3.9	5.8	-2.4	5.6	-3.8	2.8	-2.3
निजी क्षेत्र के नए बैंक	11.4	2.1	5.4	2.4	6.2	3.1	2.9	2.7
विदेशी बैंक	-7.3	2.9	-3.4	3.3	2.4	-0.1	1.2	-0.1

स्रोत 1. संबंधित बैंकों के तुलन-पत्र।
2. संबंधित बैंकों से प्राप्त विवरणियाँ।

सारणी III.30 : जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूँजी के अनुपात द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का वितरण

(बैंकों की संख्या)

बैंक समूह	2001-02				2002-03			
	4 प्रतिशत के नीच	4-9 प्रतिशत के बीच	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक	4 प्रतिशत के नीचे	4-9 प्रतिशत के बीच	9-10 प्रतिशत के बीच	10 प्रतिशत से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
स्टेट बैंक समूह	—	—	—	8	—	—	—	8
राष्ट्रीयकृत बैंक	1	1	2	15	—	—	1	18
निजी क्षेत्र के पुराने बैंक	—	—	2	19	—	—	2	19
निजी क्षेत्र के नए बैंक	—	1	1	6	2	—	1	6
विदेशी बैंक	—	—	2	33	—	—	—	36
कुल	**1**	**2**	**7**	**81**	**2**	**—**	**4**	**87**

इक्विटी पूँजी

3.73 भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) अधिनियम, 1955 तथा बैंकिंग कंपनीज (उपक्रमों के अभिग्रहण तथा अंतरण) अधिनियमों, 1970/1980 के अर्थ यह हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपने पूँजीगत आधार को स्थायी बनाने के लिए पूँजी बाजार का लगातार आश्रय लेते रहे हैं। 1993-2002 की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 12 बैंकों ने सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से 6,501 करोड़ रुपये तक की पूँजी वसूल की है।

3.74 2002-03 के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया ने प्रति शेयर 16 रुपये के मूल्य पर कुल मिलाकर 288 करोड़ रुपये के 18 करोड़ इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक निर्गम द्वारा अगस्त 2002 में प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव किया। बैंक ने सरकार को इस निर्गम के पहले ही तत्काल 58 करोड़ रुपये की पूँजी भी वापस की। इस सार्वजनिक प्रस्ताव के फलस्वरूप सरकार की बैंकों में शेयरधारिता घटकर 60.9 प्रतिशत हो गई है। इलाहाबाद बैंक ने प्रति शेयर 10 रुपये की दर से कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपये के सम मूल्य के 10 करोड़ इक्विटी शेयरों के सार्वजनिक निर्गम द्वारा अक्तूबर 2002 में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आई पी ओ) किया। इस निर्गम के परिणामस्वरूप, बैंक में सरकार की शेयरधारिता घटकर 71.2 प्रतिशत हो गई। सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने प्रति शेयर 35 रुपये के मूल्य पर कुल मिलाकर 385 करोड़ रुपये के 11 करोड़ इक्विटी शेयरों का सार्वजनिक निर्गम किया। इस निर्गम के तुरंत बाद, बैंक में सरकार की शेयरधारिता घटकर 73.2 प्रतिशत रह गई। इसके साथ, 1993-2002 की अवधि में इक्विटी निर्गमों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा वसूली गई कुल राशि, कुल मिलाकर 7,274 करोड़ रुपये रही। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की शेयरधारिता न्यूनतम 59.7 प्रतिशत से अधिकतम 75 प्रतिशत तक के बीच रही है।

पूँजी की वापसी

3.75 2002-03 के दौरान, तीन राष्ट्रीयकृत बैंकों, यथा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया (58 करोड़ रुपये) केनरा बैंक (278 करोड़ रुपये) तथा आंध्र बैंक (50 करोड़ रुपये) ने सरकार को पूँजी वापस की है। इसके साथ, मार्च 2003 के अंत तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकार को लौटाई गई कुल पूंजी, कुल मिलाकर 1,253 करोड़ रुपये थी।

प्रदत्त पूँजी के बदले में हानि को बट्टे खाते डालना

3.76 केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया तथा यूको बैंक ने अपनी प्रदत्त पूँजी से वर्ष 2001-02 तथा वर्ष 2002-03 के दौरान क्रमशः 681 करोड़ तथा 1,665 करोड़ *रुपये की हानि को बट्टे खाते में डाला है।*

विदेश में भारतीय बैंकों का परिचालन

3.77 संसार भर के दूसरे देशों में कई भारतीय बैंक कार्य कर रहे हैं। सितम्बर 2003 के अंत तक विदेशों में कार्यरत भारतीय बैंकों की संख्या नौ रही है जिनमें से आठ बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के हैं तथा एक निजी क्षेत्र का है। अमेरिका में भारतीय स्टेट बैंक की फ्लाशींग, न्यूयॉर्क शाखा तथा कोलम्बो में इंडियन ओवरसीज़ बैंक की विदेशी मुद्रा बैंकिंग इकाई के बन्द होने के साथ विदेशों में इन नौ भारतीय बैंकों की शाखाओं की संख्या घटकर 92 हो गई है।

3.78 विदेशों में भारतीय बैंकों के प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या, आईसीआईसीआई बैंक लि. के प्रतिनिधि कार्यालयों को लंदन तथा न्यूयॉर्क में, एचडीएफसी बैंक की दुबई में, बैंक ऑफ इंडिया की शेनज़ेन (चीन) तथा हो-ची-मिन्ह सिटी (वियतनाम) में तथा पंजाब नेशनल बैंक का लंदन में खोले जाने के साथ 15 से बढ़कर 18 हो गई है। भारतीय स्टेट बैंक ने पहले ही हो-चि-मिन्ह (वियतनाम) में, सावो पावलो (ब्राजील) तथा जकार्ता (इंडोनेशिया) में अपने प्रतिनिधि कार्यालय बन्द कर दिए हैं।

3.79 भारतीय बैंकों के विदेशों में संयुक्त उद्यमों तथा सहायक बैंकों की संख्या क्रमशः 5 और 15 है।

भारत में विदेशी बैंकों का परिचालन

3.80 आर्थिक सुधारों के शुरू होने के बाद से विदेशी बैंकों को भारतीय वित्त बाजार में अधिक उदारता के साथ प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। सितम्बर 2003 के अंत तक, भारत में विदेशी बैंकों की संख्या 207 शाखाओं के साथ 35 थी। तथापि, उनके प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या 26 पर अपरिवर्तित ही रही।

3.81 समामेलन तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 44ए के अनुसरण में स्टैण्डर्ड चार्टर्ड ग्रिन्डलेज़ बैंक लिमिटेड (एससीजीबी) की भारतीय शाखाओं का स्टैण्डड चार्टर्ट बैंक (एससीबी) की भारतीय शाखाओं के साथ विलय हो गया। तदनुसार एससीजीबी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उप-धारा(6) के खण्ड (बी) के अनुसार अगस्त 2002 में गैर-अधिसूचित कर दिया गया।

3.82 मुंबई में अपनी एक शाखा के साथ डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड ने सिंगापुर में निगमित होकर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 का2) की धारा 42 की उप-धारा(6) के खण्ड (सी) के अनुसार अपना नाम बदलकर 21 जुलाई 2003 से 'डीबीएस बैंक लिमिटेड' रख लिया।

3.83 पाँच बैंकों यथा कॉमर्जबैंक, ड्रेस्डनर बैंक एजी केबीसी बैंक, द श्याम कमर्शियल बैंक, पी.सी.एल. तथा टोरण्टो डोमिनियन बैंक ने भारत में अपने बैंकिंग परिचालनों को बन्द कर दिया है। द ओवरसीज़- चाइनीज़ बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत में अपना परिचालन बन्द करने की प्रक्रिया में है।

6. बैंकिंग का क्षेत्रीय प्रसार

3.84 जून 2003 के अंत तक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की शाखाओं की कुल संख्या 66,514 थी। विगत पाँच वर्षों में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं के प्रसार में औसतन वार्षिक वृद्धि निकटतम एक प्रतिशत दर्ज की गई है। शाखाओं के युक्तिकरण की नीति को दर्शाती हुई जून 2002 के अंत तक की तुलना में ग्रामीण शाखाओं का हिस्सा जून 2003 के अंत में 49.0 प्रतिशत से कम होकर 48.7 प्रतिशत हो गया जिसमें दो वाणिज्यिक बैंक शाखाओं (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) द्वारा दी जा रही सेवा में केन्द्रों पर हानि उठा रही ग्रामीण शाखाओं को परस्पर विचार-विमर्श द्वारा बन्द किया जा सकता था। शहरी शाखाओं के हिस्से में सीमांत वृद्धि हुई जबकि मेट्रोपॉलिटन शाखाओं का अनुपात पूर्व की भाँति उसी स्तर पर रहा (परिशिष्ट सारणी III.22)।

3.85 शाखाओं का राज्य-वार वितरण यह प्रकट करता है कि जुलाई 2002 से जून 2003 की अवधि में सभी क्षेत्रों में शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई, यद्यपि निरपेक्ष शब्दों में, विगत कुछ वर्षों में बैंक शाखाओं में परिवर्धन लगातार कम होता रहा है। राष्ट्रीय आय के क्षेत्रीय वितरण के समरूप, दक्षिणी तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में बैंक की शाखाओं के उच्चतम प्रतिशत प्राप्त हुए हैं। वस्तुतः दक्षिणी क्षेत्र में, विषेशकर आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों में वर्ष के दौरान अधिकतम संख्या में शाखाएँ खोली गई हैं। उत्तरी क्षेत्र में भी विशेषकर पंजाब (31) तथा दिल्ली (26) (परिशिष्ट सारणी III.23ऋ। वर्ष के दौरान खोली गई शाखाओं की संख्या में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

3.86 जबकि दक्षता आधार पर भारत में .'सामाजिक बैंकिंग' की उपयोगिता के संबंध में प्रश्न उठाए गए हैं, वर्ष 1997 तथा 1990 के बीच भारतीय ग्रामीण शाखा विस्तार कार्यक्रम पर हाल के साक्ष्य यह सुझाव देते हैं कि कार्यक्रम ने ग्रामीण निर्धनता पर महत्तवपूर्ण प्रभाव डाला है और गैर-कृषि उत्पादन (बॉक्स III.9) में वृद्धि की है।

7. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज दर

3.87 2002-03 राजकोषीय वर्ष में अधिकतम बाजारों (सारणी III.31) में ब्याज-दर की सुलभता रही है। ऋण बाजारों में, वाणिज्यिक बैंकों की जमा दरें बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चल-निधि को दर्शाते हुए लगातार गिरती रही हैं। उधार दरें संरचनात्मक कारकों के साथ ही वर्ष के उत्तरवर्ती आधी अवधि के दौरान ऋण की माँग के फिर जारी होने के प्रभाव को दर्शाते हुए सापेक्षिक रूप से स्थिर रही हैं। परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान दीर्घावधि जमा दरें तथा उधार दरों के बीच फैलाव और बढ़ा है (चार्ट III.9)।

3.88 विशेषतया दीर्घावधि परिपक्वता के लिए जमा दरें मुद्रास्फीति अपेक्षाओं में आधुनिकीकरण का पालन करते हुए (सारणी III.32) वर्ष 2002-03 के दौरान नीचे गिरी हैं। परिपक्वता-वार, वाणिज्यिक बैंकों की दीर्घावधि जमा दरों में अल्पावधि दरों की तुलना में बड़ी गिरावट आई है।

3.89 रिज़र्व बैंक, जमाकर्ताओं से असंतोषजनक उत्तर प्राप्त करने के बावजूद भी बैंकों को अस्थायी दर जमा योजना स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है क्योंकि यह बैंकों के साथ ही जमाकर्ताओं के दीर्घावधि हित में है। ब्याज दर के लचीलेपन में सुधार के लिए बैंकों को परिवर्तनीय दर जमा पर पुनर्संस्थापन अवधि के लिए निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई।

बॉक्स III.9 :शाखा बैंकिंग और भारतीय बैंकिंग

शाखा बैंकिंग तथा भारतीय बैंक लोगों को अपने उत्पादन तथा नियोजन गतिविधियों को परिवर्तित करने तथा निर्धनता से बाहर आने में वित्त की उपलब्धता को महत्त्वपूर्ण तथ्य माना जाता है। इस संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि वित्तीय विकास गरीबों को ऋण तक पहुँच उपलब्ध करा सकता है और फलस्वरूप उनके आर्थिक कार्य-निष्पादन में सुधार ला सकता है। तदनुसार, उभर रहे तथा विकसित हो रहे कई देशों में जहाँ गरीबों का एक महत्त्वपूर्ण अनुपात ऋण तक पहुँच से कटा हुआ है, बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप को समाज के जरूरतमंद हिस्से को ऋण वितरित करने लायक समझा गया है। तथापि निर्धनता घटाने में ऐसे हस्तक्षेपों की सफलता का साक्ष्य सीमित रहा है।

हाल के कुछ ऐसे साक्ष्य हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद से भारत में शाखा विस्तार कार्यक्रमों का निर्धनता सरकारी तथा गैर-कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 1961-2000 की अवधि के प्रमुख सोलह भारतीय राज्यों में आँकड़ों का उपयोग करने पर निम्नलिखित बातें पाई गई हैं :

- शाखा लाइसेंसिंग नियम पिछडे ग्रामीण स्थानों में शाखा खोलने में वाणिज्यिक बैंकों को प्रोत्साहित करने में सफल रहा है।
- ग्रामीण बैंक, ग्रामीण गरीबों तक पहुँच पाए हैं, तथा
- वाणिज्यिक बैंकों ने घरेलू बचत के लिए अवसर प्रदान किए हैं। बचत खाते ने घर-वार को संग्रहित पूँजी के साधन उपलब्ध कराए हैं जिसका विभिन्न उत्पादक गतिविधियों में निवेश किया जाएगा।

इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा नियोजित सामाजिक बैंकिंग कार्यक्रम ग्रामीण निर्धनों को संसाधनों का पुनर्वितरण करता है। इससे यह प्रस्तावित है कि निर्धनों को वित्त उपलब्ध कराने से ग्रामीण ढाँचा महत्त्वपूर्ण सामाजिक उपलब्धि को जन्म देगा।

संदर्भ :

आर. वर्गेज और आर. पाण्डे (2003) "डू रूरल बैंक्स मैटर ? एविडेंस फ्रॉम द इंडियन सोशल बैंकिंग एक्सपेरिमेंट" स्टीसर्ड डिस्कशन पेपर नं.40, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (अगस्त)

इस संदर्भ में मई 2003 में जमा दरों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न मामलों की जाँच के लिए मुख्य बैंकों तथा रिज़र्व बैंक के सदस्यों के एक कार्यशील समूह ने (अध्यक्ष : श्री एच.एन.साइनोर) अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

सारणी III.31 : ब्याज-दर की संरचना

(प्रतिशत)

ब्याज दर	मार्च 2002	मार्च 2003	सितंबर 2003
1	2	3	4
I. ऋण बाजार			
1. जमा दर			
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	4.25-8.75	4.00-7.00	3.75-6.25
विदेशी बैंक	4.25-10.00	3.00-8.50	3.00-8.00
निजी बैंक	5.00-10.00	3.50-8.00	3.00-8.00
2. उच्चतर दर			
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	10.00-12.50	9.00-12.25	9.00-12.25
विदेशी बैंक	9.00-17.50	6.75-17.50	5.05-17.50
निजी बैंक	10.00-15.50	7.00-15.50	8.00-15.50
II. मुद्रा बाजार			
3. मांग उधार (औसत)	6.97	5.86	4.50
4. कमर्शियल पेपर			
भारित औसत बट्टा दर (61-90 दिन)	7.78	6.53	5.26
भारित औसत बट्टा दर (91-180 दिन)	8.00	6.21	4.89
सीमा	7.41-10.25	6.00-7.75	4.74-6.50
5. जमा प्रमाणपत्र			
सीमा	5.00-10.03	5.00-7.10	4.25-6.00
विभिष्ट दर			
3 माह	7.38	-	5.00
12 माह	10.00	5.25	5.31
6. ट्रेजरी बिल			
91 दिन	6.13	5.89	4.57
364 दिन	6.16	5.89	4.59
III. कर्ज बाज़ार			
7. सरकारी प्रतिभूति बाजार			
5-वर्ष	6.75	5.92	4.79
10-वर्ष	7.30	6.13	5.13
8. एएए क्रम-निर्धारित कंपनी बाण्ड			
1-वर्ष	8.05	6.21	5.05
5-वर्ष	8.40	6.79	5.54

चार्ट III.9 वाणिज्यिक बैंक जमा तथा उधार दरें और उनका फैलाव

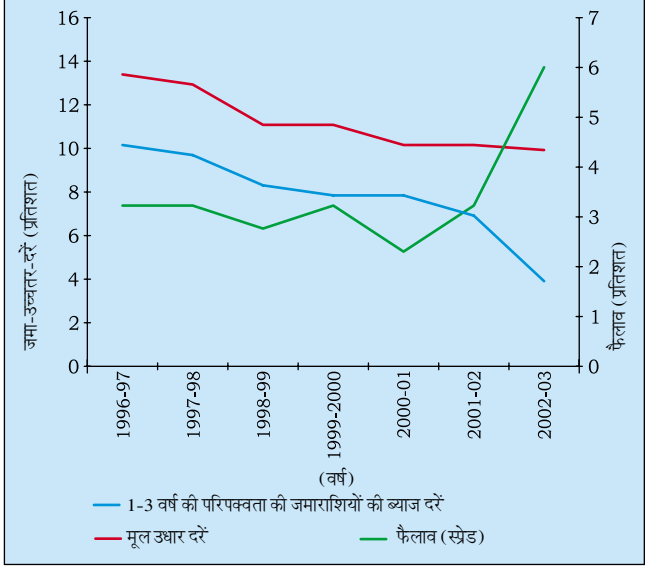

8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

निधि का संग्रहण तथा प्रत्यायोजन

3.90 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबीज़) भौगोलिक विस्तार, ग्राहकीय पहुँच, व्यापारिक परिमाण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान के अनुसार ग्रामीण संस्थागत वित्तीय सहायता में महत्त्वपूर्ण रहे हैं। समष्टिगत आर्थिक प्रवृत्तियों के अनुरूप हाल के वर्षों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जमा राशि संग्रहण में धीरे-धीरे गिरावट आती गई है। साथ ही साथ ऋण की मांग में भी वृद्धि हुई है। अप्रैल 2002 की मौद्रिक ऋण नीति वक्तव्य में घोषणा की गई कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने समस्त सांविधिक चल-निधि अनुपात की धारित राशि को मार्च 2003 तक वर्तमान जमाराशियों को प्रायोजिक बैंकों के साथ अनुमोदित प्रतिभूतियों में परिवर्तित करके

सारणी III.32 : जमा तथा उधार ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव

(प्रतिशत)

ब्याज दर	मार्च 2002	मार्च 2003	सितंबर 2003
1	2	3	4
I. घरेलू जमा दरें			
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक			
क) 1 वर्ष तक	4.25 - 7.50	4.00 - 6.00	3.75-5.50
ख) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	7.25 - 8.50	5.25 - 6.75	4.75-6.00
ग) 3 वर्ष से अधिक	8.00 - 8.75	5.50 - 7.00	5.25-6.25
निजी क्षेत्र के बैंक			
क) 1 वर्ष तक	5.00 - 9.00	3.50 - 7.50	3.00-7.00
ख) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	8.00 - 9.50	6.00 - 8.00	5.50-7.50
ग) 3 वर्ष से अधिक	8.25 - 10.00	6.00 - 8.00	5.75-8.00
विदेशी बैंक			
क) 1 वर्ष तक	4.25 - 9.75	3.00 - 7.75	3.00-7.75
ख) 1 वर्ष से 3 वर्ष तक	6.25 - 10.00	4.15 - 8.00	3.50-8.00
ग) 3 वर्ष से अधिक	6.25 - 10.00	5.00 - 9.00	3.75-8.00
II. मूक उच्चतर दर			
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	10.00 - 12.50	9.00 - 12.25	9.00-12.25
निजी क्षेत्र के बैंक	10.00 - 15.50	7.00 - 15.50	8.00-15.50
विदेशी बैंक	9.00 - 17.50	6.75 - 17.50	5.05-17.50

सरकारी अनुमोदित अन्य प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना है। तथापि, 31 मार्च 2003 के बाद परिपक्व हो रही सांविधिक चल-निधि अनुपात जमा राशियों को प्रायोजक बैंकों के पास उनकी परिपक्वता तक रखे जाने की अनुमति दी गई है, तथा परिपक्व होने पर इन जमाराशियों को सरकारी प्रतिभूतियों में परिवर्तित कर दिया जाना है। परिणामस्वरूप, सरकारी प्रतिभूतियों में अंतर बैंक आस्तियों के आहरण द्वारा कमी के माध्यम से बृहत रूप में निधि उपलब्ध कराने से निवेश में तेजी से अनुवृद्धि हुई है (सारणी III.33)।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

3.91 वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के लिए 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में आँकड़े यह उल्लिखित करते हैं कि वर्ष 2002-03 में लाभार्जन कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या में समग्र रूप से गिरावट आई है। यह पाया गया है कि हानि उठा रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन में वर्ष 2002-03 के दौरान तेजी से गिरावट आई है, उदाहरणस्वरूप, आय के स्तर पर वर्ष 2002-03 में लाभ अर्जन कर रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की आय में वृद्धि का व्यापक रूप में हानि उठा रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की महत्त्वपूर्ण हानि द्वारा निष्फल कर दिया गया है। उसी प्रकार व्यय के स्तर पर हानि उठा रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ब्याज व्यय के साथ-साथ परिचालनगत व्यय क्षेत्रों में, बादवाले में व्यापक रूप से मजदूरी-बिल में वृद्धि के चलते तेजी से वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप, कुल आस्तियों के अपने निवल लाभ के अनुसार, हानि उठा रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समग्र रूप से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अनुपात में गिरावट (सारणी III.34) के चलते गत वर्ष की तुलना में खराब प्रदर्शन करना पड़ा है।

प्रयोजन-वार बकाये ऋण एवं अग्रिम

3.92 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित किए गए ऋणों की संरचना विस्तृत रूप से समान रही है। जबकि कृषिगत तथा गैर-कृषिगत ऋणों के शेयर्स व्यापक रूप से बराबर रहे हैं, हाल के वर्षों में (सारणी III.35)। बादवाले के पक्ष में एक सीमांत पूर्वाग्रह रहा है।

9. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार

3.93 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिम वर्ष 2002-03 के दौरान 18.6 प्रशित तक बढ़े हैं। इस स्तर पर, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम, निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 42.5 प्रतिशत हैं। जबकि .अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों ने अधिकतम वृद्धि दर्ज की है, कृषि के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अग्रिमों, दोनों को साथ मिलाकर, में भी वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि अग्रिम, मार्च 2003 के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार तक निवल बैंक ऋण का 15.3 प्रतिशत था (परिशिष्ट सारणी III.24)। कृषि तथा कमजोर वर्गों को अग्रिम के साथ-साथ कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिम के चलते गैर-निष्पादक आस्तियों के बैंक-वार ब्यौरे (परिशिष्ट सारणी III.25(क) तथा 25 (ख) में दिए गए हैं।

निजी क्षेत्र के बैंक

3.94 निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम निवल बैंक ऋण (एनबीसी) के प्रतिशत के रूप में प्रकट हुए हैं। अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र श्रेणी का हिस्सा निवल बैंक ऋण का अधिकतम 21.3 प्रतिशत था जिसके बाद कृषि तथा लघु-उद्योगों को दिया गया अग्रिम (परिशिष्ट सारणी III.26) था। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि तथा कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिम के साथ-साथ कमजोर वर्गों को दिए गए अग्रिम के चलते गैर-निष्पादक आस्तियों के बैंक-वार ब्यौरे परिशिष्ट सारणी III.27 (क) तथा 27(ख) में प्रस्तुत हैं।

विदेशी बैंक

3.95 भारत में कार्य कर रहे विदेशी बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए निवल बैंक ऋण का 32.0 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ लघु उद्योगों के लिए निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत तथा निर्यात के लिए निवल बैंक ऋण का 12.0 प्रतिशत का उप लक्ष्य प्राप्त करें। मार्च 2003 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार तक विदेशी बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार निवल बैंक ऋण का 33.9 प्रतिशत था जिसमें निर्यात ऋण का हिस्सा निवल बैंक ऋण 18.7 प्रतिशत (परिशिष्ट सारणी III.28) था।

सारणी III.33: क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के महत्त्वपूर्ण बैंकिंग संकेतक
(निम्न को बकाया)

(राशि करोड़ रुपए में)

मद	30 मार्च 2001	29 मार्च 2002	28 मार्च 2003	घट-बढ़ 2001-02	घट-बढ़ 2002-03
1	2	3	4	5 (3-2)	6 (4-3)
1 बैंकिंग प्रणाली को देयताएं	**177**	**188**	**179**	**11**	**-9**
				(6.2)	**(-4.8)**
2 अन्यों को देयताएं	**38,696**	**44,873**	**50,190**	**6,177**	**5,317**
				(16.0)	**(11.8)**
2.1 कुल जमाराशियां (क + ख)	37,027	43,220	48,346	6,193	5,126
				(16.7)	(11.9)
क) मांग जमाराशियां	6,499	7,716	8,802	1,217	1,086
				(18.7)	(14.1)
ख) आवधिक जमाराशियां	30,528	35,504	39,544	4,976	4,040
				(16.3)	(11.4)
2.2 उधार राशियां	24	12	131	-12	119
				(-50.0)	(991.7)
2.3 अन्य मांग और समय देयताएं*	1,645	1,641	1,713	-4	72
				(-0.2)	(4.4)
3 बैंकिंग प्रणाली में आस्तियां	**16,973**	**18,509**	**15,091**	**1,536**	**-3,418**
				(9.0)	**(-18.5)**
4 बैंक ऋण	**15,579**	**18,373**	**21,773**	**2,794**	**3,400**
				(17.9)	**(18.5)**
5 नकदी शेष	**7,546**	**6,772**	**12,524**	**-774**	**5,752**
				(-10.3)	**(84.9)**
क) सरकारी प्रतिभूतियां	1,588	1,915	8,311	327	6,396
				(20.6)	(334.0)
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	5,958	4,857	4,213	-1,101	-644
				(-18.5)	(-13.3)
6 नकदी शेष	**441**	**472**	**515**	**31**	**43**
				(7.0)	**(9.1)**
ज्ञापन :					
क) नकदी शेष अनुपात	1.2	1.1	1.1		
ख) क्रेडिट-जमा अनुपात	42.1	42.5	45.0		
ग) निवेश/क्रेडिट/जमा अनुपात	20.4	15.7	25.9		
घ) निवेश + क्रेडिट/जमा अनुपात	62.5	58.2	70.9		

* अन्यों को जारी सहभागिता प्रमाणपत्र भी शामिल है
नोट : कोष्ठक के आँकड़े प्रतिशत में बदलाव हैं।

विभेदक ब्याज दर (डीआरआइ) योजना

3.96 विभेदक ब्याज दर योजना 1972 में शुरू की गयी थी। इसे पूरे देश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लागू किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत कमजोर वर्गों को उत्पादक और लाभप्रद कार्यकलाप शुरू करने के लिए 4.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष की रियायती ब्याज दर पर बैंक वित्त उपलब्ध कराया जाता है जिसके द्वारा वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में सक्षम हो सकें। बैंकों से अपेक्षित है कि वे इस योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार अपने कुल अग्रिम का कम से कम एक प्रतिशत ऋण (उधार) दें। इसके अतिरिक्त, विभेदक ब्याज दर अग्रिमों में दो-तिहाई अग्रिम बैंक की ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी शाखाओं के जरिए दी जानी चाहिए। पात्रता के लिए वार्षिक आय की अधिकतम सीमा शहरी अथवा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 7,200 रुपया प्रति परिवार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 6,400 रुपया प्रति परिवार है। मार्च 2003 तक के अंत तक की स्थिति के अनुसार विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 3.70 लाख उधार खाता में बकाया अग्रिम 300 करोड़ रुपए था। मार्च 2003 के अंत की स्थिति के अनुसार विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत बैंकों के अग्रिम पिछले वर्ष अर्थात मार्च 2002

सारणी III.34 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

	विवरण	2001-02			2002-03			2002-03 के दौरान भिन्नता
		हानिप्रद	लाभप्रद	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	हानिप्रद	लाभप्रद	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
		[29]	[167]	[196]	[40]	[156]	[196]	
1		2	3	4	5	6	7	8 = (7)-(4)
क.	**आय (i+ii)**	**484**	**5,080**	**5,564**	**774**	**5,157**	**5,931**	**367 (6.6)**
	i) ब्याज से लाय	449	4,743	5,191	727	4,775	5,501	310 (6.0)
	ii) अन्य लाय	36	337	373	48	383	430	57 (15.4)
ख.	**व्यय (i+ii+iii)**	**576**	**4,380**	**4,956**	**989**	**4,418**	**5,407**	**451 (9.1)**
	i) ब्याज का व्यय	361	2,968	3,329	567	2,946	3,513	184 (5.5)
	ii) प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	28	138	166	66	124	190	24 (14.5)
	iii) परिचालन व्यय	187	1,274	1,461	356	1,348	1,703	243 (16.6)
	जिसका मजदूरी बिल	158	1,107	1,264	321	1,159	1,480	216 (17.1)
ग.	**लाभ**							
	i) परिचालन लाभ/हानि	-64	838	774	-149	863	714	-59 (-7.7)
	ii) निवल लाभ/हानि	-92	700	608	-215	739	524	-83 (-13.7)
घ.	**कुल आस्तियां**	**6,169**	**50,635**	**56,804**	**10,282**	**53,332**	**63,614**	**6,811 (12.0)**
ड.	**वित्तीय अनुपात** (कुल आस्तियों का प्रतिशत के रूप में)							
	i) परिचालन लाभ	-1.0	1.7	1.4	-1.4	1.6	1.1	
	ii) निवल लाभ	-1.5	1.4	1.1	-2.1	1.4	0.8	
	iii) आय	7.9	10.0	9.8	7.5	9.7	9.3	
	iv) ब्याज आय	7.3	9.4	9.1	7.1	9.0	8.6	
	v) अन्य आय	0.6	0.7	0.7	0.5	0.7	0.7	
	vi) व्यय	9.3	8.6	8.7	9.6	8.3	8.5	
	vii) ब्याज का व्यय	5.9	5.9	5.9	5.5	5.5	5.5	
	viii) परिचालनगत व्यय	3.0	2.5	2.6	3.5	2.5	2.7	
	ix) मजदूरी बिल	2.6	2.2	2.2	3.1	2.2	2.3	
	x) प्रावधान और आकस्मिकताएं	0.5	0.3	0.3	0.6	0.2	0.3	
	xi) अंतर (निवल ब्याज आय)	1.4	3.5	3.3	1.5	3.4	3.1	

स्रोत : नाबार्ड

की समाप्ति पर कुल बकाया अग्रिम का 0.08 प्रतिशत था जो एक प्रतिशत के सापेक्षिक लक्ष्य से निम्नतर है।

विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी)

3.97 लक्षित कृषि ऋण के लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निदेश दिया गया था कि वे 1994-95 से विशेष कृषि ऋण योजना बनाएं तथा समीक्षाधीन वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान प्राप्त करने के लिए स्वयं निर्धारित लक्ष्य बनाएं। विशेष कृषि ऋण योजना की शुरूआत के बाद से कृषि को ऋण के प्रवाह में काफी वृद्धि हुई है तथा यह 1994-95 के 8,255 करोड़ रुपए से बढ़कर 2002-03 में 33,921 करोड़ रुपए हो गया है जबकि 2002-03 के लिए लक्ष्य 36,838 करोड़ रुपए था।

सरकार प्रायोजित योजनाएं

3.98 समीक्षाधीन वर्ष 2002-03 (फरवरी 2003 तक) के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या 5,35,133 थी। इस योजना के अंतर्गत 781 करोड़ रुपए का बैंक ऋण तथा 404 करोड़ रुपए की सरकारी

सारणी III.35: बकाए अग्रिमों के प्रयोजन का अलग-अलग आँकड़े

(राशि करोड़ रुपए)

प्रयोजन	2001	2002
1	2	3
1. अल्पावधि ऋण (फसल ऋण)	3,095	3,812
2. मीयादी ऋण (कृषि तथा उससे संबंधित गतिविधियों के लिए)	871	782
3. अप्रत्यक्ष अग्रिम	उ. न.	उ. न.
I. कुल योग (कृषि) (1 to 3)	**3,966 (44.9)**	**4,594 (43.5)**
4. ग्रामीण कारीगर, आदि	181	198
5. अन्य उद्योग	70	107
6. फुटकर व्यापार, आदि	1,123	1,279
7. अन्य प्रयोजन	3,483	4,393
II. कुल योग (4 to 7)	**4,857 (55.1)**	**5,977 (56.5)**
कुल (I+II)	**8,823 (100.0)**	**10,571 (100.0)**

उ. न. - उपलब्ध नहीं
नोट : कोष्ठक के आँकड़े कुल क्षेत्र के प्रतिशत हैं।
स्रोत : नाबार्ड

सहायता संवितरित की गयी। सहायता-प्राप्त स्वरोजगारियों में 1,60,638 (30.0 प्रतिशत) अनुसूचित जाति तथा 78,157 (14.6 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के थे जबकि 2,57,664 (48.2 प्रतिशत) महिलाएं और 4,166 (0.8 प्रतिशत) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति लाभान्वित हुए थे।

3.99 सफाई करनेवालों की मुक्ति और पुनर्वास योजना के अंतर्गत 2002-03 के दौरान स्वीकृत कुल आवेदनों की संख्या 12,310 थी। 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार इनमें से 11,091 मामलों में 19.5 करोड़ रुपए का संवितरण किया गया।

3.100 प्रधानमंत्री रोजगार योजना के विषय में 2002-03 के दौरान इस योजना के अंतर्गत अनंतिम आंकड़ों के अनुसार 2,22,996 करोड़ आवेदन स्वीकृत किए गए तथा कुल 1,449 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गयी।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी)

3.101 किसान क्रेडिट कार्ड नया एक सफल वित्तीय साधन है जिसे 1998-99 के केंद्रीय बजट में की गयी घोषणा के अनुसरण में शुरू किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा जारी किए जाते है। जून 2000 में बैंकों को निदेश दिया गया कि वे इस योजना के अंतर्गत बृहत्तर व्याप्ति बढ़ाने के लिए 5000 रुपए से भी कम सीमा के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करें। उन्हें यह भी निदेश दिया गया है कि वे किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत खाता में शेष जमा पर ब्याज दें।

3.102 2001-02 के बजट भाषण में केंद्रीय वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसरण में बैंकों को निदेश दिया गया कि वे किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को वैयक्तिक दुर्घटना बीमा पैकेज प्रदान करें जैसा कि अन्य क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए किया जाता है तथा दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता के लिए उन्हें अधिकतम क्रमशः 50,000 रुपए तथा 25,000 रुपए के लिए बीमित करे। प्रीमियम का भार जारीकर्ता संस्थान और किसान क्रेडिट कार्ड धारकों द्वारा 2:1 के अनुपात में वहन किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस योजना की शुरुआत के बाद मार्च 2003 तक संचयी रूप से 101.5 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए है। 2002-03 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 26.9 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जबकि उनका स्व-निर्धारित लक्ष्य 25.8 लाख था। सभी पात्र कृषि संबंधित किसानों को मार्च 2004 तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाना अपेक्षित है। तदनुसार, सभी वाणिज्यिक बैंकों को निदेश दिया गया है कि हासिल किए जानेवाले लक्ष्यों को संशोधित करें।

3.103 इस योजना से लाभान्वितों पर प्रभाव के मूल्यांकन के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के राष्ट्रीय प्रभाव के मूल्यांकन संबंधी सर्वेक्षण से संबंधित कार्य राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएइआर) नई दिल्ली को सौंपा गया है। एनसीएइआर ने सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया है तथा रिपोर्ट दिसंबर 2003 तक अपेक्षित है। इस सर्वेक्षण में 10 राज्यों के 53 जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को शामिल करने के लिए असम राज्य को भी सम्मिलित किया गया है।

अग्रणी बैंक योजना

3.104 अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) का मुख्य जोर प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को बैंक वित्त के अनुपात में वृद्धि करना रहा है। मार्च 2003 के अंत तक की स्थिति के अनुसार अग्रणी बैंक योजना में 582 जिले शामिल है जिसमें वर्तमान जिलों के पुनर्गठन/द्विभाजन के कारण बने दो नए जिले सम्मिलित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों लिए नियत नए जिलों के ब्यौरे सारणी III.36 में दिए गए है।

3.105 जम्मू और कश्मीर के अमनिता, बडगे, प्लासमा और स्ट्रिंगर जिलों की अग्रणी जिम्मेदारी के भारतीय स्टेट बैंक से जम्मू और कश्मीर बैंक लि. को अस्थायी हस्तांतरण की अवधि मार्च 2005 तक बढ़ा दी गयी है।

सारणी III.36 : नए जिलों के संदर्भ में अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी

जिला का नाम	राज्य का नाम	आबंटन की तारीख	अग्रणी बैंक का नाम
1	2	3	4
अराल	बिहार	16 सितंबर 2002	पंजाब नैशनल बैंक
इंफाल (पश्चिम) *	मणिपुर	6 जनवरी 2003	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया
इंफाल (पूर्व) *	मणिपुर	6 जनवरी 2003	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया

* मूल रूप में इंफाल को इन दो जिलों में बांटा गया है।

व्यष्टि वित्त

3.106 गरीबी उन्मूलन के प्रभावी साधन के रूप में व्यष्टि वित्त हस्तक्षेप को मान्यता देते हुए, व्यष्टि वित्त को सुदृढ़ करने (मुख्य धारा में लाने) तथा व्यष्टि वित्त उपलब्ध करानेवाले की पहुंच बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2000 में बैंकों को व्यापक दिशानिदेश जारी किए। इन दिशानिदेशों में यह अनुबद्ध है कि बैंकों द्वारा व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को सीधे अथवा किसी मध्यस्थ के जरिए उपलब्ध कराया गया व्यष्टि ऋण अब से प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को ऋण के भाग के रूपमें माना जाएगा। रिज़र्व बैंक ने व्यष्टि वित्त संस्थानों के किसी माडल का विशेष उल्लेख नहीं किया है।

3.107 तथापि, स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) बैंक संबद्धता कार्यक्रम प्रमुख कार्यक्रम के रूप में उभरा है तथा इसे वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस समय देश में स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम के तीन माडल है।

- माडल I किसी गैर-सरकारी संगठन के हस्तक्षेप/सहायता के बिना स्वयं सहायता समूह को सीधे ऋण देना जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल संबद्धता का 20 प्रतिशत है।
- माडल II गैर-सरकारी संगठन तथा अन्य औपचारिक एजेंसियों की सहायता से स्वयं सहायता समूह को सीधे ऋण देना जो कुल संबद्धता का 72 प्रतिशत है।
- माडल III मददगार और वित्तपोषण एजेंसी के रूप में गैर-सरकारी संगठन के जरिए ऋण देना जो कुल संबद्धता के शेष 8 प्रतिशत को व्यक्त करता है।

3.108 जबकि सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के 523 जिले इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, 48 वाणिज्यिक बैंकों, 192 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा 264 सहकारी बैंकों सहित 504 बैंक और 2,800 गैर-सरकारी संगठन अब स्वयं सहायता समूह-बैंक संबद्धता कार्यक्रम से जुड़े हुए है। 31 मार्च 2003 के अनुसार बैंक से संबद्ध स्वयं सहायता समूह की कुल संख्या 7,17,360 थी। इसके फलस्वरूप 31 मार्च 2003 की स्थिति के अनुसार 11.6 मिलियन बहुत गरीब परिवार औपचारिक बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाए गए। बैंक से संबद्ध 90 प्रतिशत से अधिक समूह अनन्य रूप से महिला समूह हैं। 31 मार्च 2003 को इन स्वयं सहायता समूहों को कुल 2,048.7 करोड़ रुपए का कुल बैंक ऋण दिया गया तथा औसत ऋण प्रति स्वयं सहायता समूह 28,559 रुपए और प्रति परिवार 1,766 रुपए था।

3.109 व्यष्टि वित्त पहलों से यह स्पष्ट होता है कि गरीब लोगों के साथ बैंकिंग एक अर्थक्षम (व्यवहार्य) योजना है, इस संबंध में चुकौती दरें भी उच्चतर हैं तथा यह लगभग 95 प्रतिशत है। रिज़र्व बैंक समुचित परिवेश के निर्माण के जरिए व्यष्टि वित्त पहलों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। इस प्रयास के एक अंग के रूप में व्यष्टि वित्त संबंधी उच्चस्तरीय बैक (अध्यक्षता: श्री वेपा कामेसम) अक्तूबर 2002 में बुलायी गयी थी जिसमें निम्नलिखित से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए चार समितियां गठित की गयी : (i) संरचना और निरंतरता; (ii) निधीयन ; (iii) विनियमन तथा (iv) व्यष्टि वित्त संस्थाओं की क्षमता का निर्माण । उच्च स्तरीय बैठक की शृंखला में दूसरी बैठक अगस्त 2003 में आयोजित की गई जिसमें समूह की रिपोर्टों पर चर्चा की गयी। उसके बाद बृहत्तर सार्वजनिक विचार के लिए समूह की रिपोर्टें बैंकों को परिचालित की गयी ताकि सिफारिशों विशेषकर विनियामक मुद्दों पर अंतिम दृष्टिकोण अपनाने के पहले उनकी अनुक्रिया प्राप्त की जा सकें । बैंकों से प्रतिसाद प्राप्त हो गया है तथा सिफारिशें विचाराधीन है।

10. स्थानीय क्षेत्र बैंक

3.110 इस समय निम्नलिखित पांच बैंक कार्यरत हैं :

(1) आंध्र प्रदेश के कृष्णा गुंटूर और पश्चिमी गोदावरी जिलों में कोस्टल एरिया बैंक लि., विजयवाडा।

(2) पजाब के होशियारपूर, जालंधर और कपूरथला जिलों में कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि., फगवाड़ा।

(3) गुजरात के नवसारी, सूरत और भड़ौच जिलों में साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लि, नवसारी।

(4) कर्नाटक के रायचूर और गुलबर्गा तथा आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिलों में कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लि.।

(5) सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लि., कोल्हापुर को 10 जुलाई 2003 को लाइसेंस जारी किया गया था तथा इसने 20 सितंबर 2003 से कोल्हापुर, सांगली और बेलगाम जिलों में बैंकिंग कारोबार शुरू किया है।

3.111 मार्च 2003 के अंत तक की स्थिति के अनुसार स्थानीय क्षेत्र बैंक के कार्यनिष्पादन से स्पष्ट होता है कि उनमें से अधिकांश का ऋण-जमा अनुपात मामूली से उच्च तक था (सारणी II.37)। 2002-03 के दौरान चार स्थानीय क्षेत्र बैंकों का परिचालन लाभप्रद बना रहा। उनकी आय में मामूली वृद्धि हुई जबकि खर्च आय से बढ़ गए। अधिक परिचालन लाभ के बावजूद उच्चतर प्रावधानीकरण स्तर को देखते हुए उनका निवल लाभ पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम था जैसा कि आस्तियों पर निम्नतर आय (अर्थात कुल आस्तियों के प्रति निवल लाभ) से स्पष्ट होता है (सारणी III.38)।

11. बैंकिंग कार्यकलापों का विविधीकरण

3.112 भारतीय स्टेट बैंक के निम्नलिखित प्रस्तावों को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया (i) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(1)(क) के अंतर्गत डिस्काउंट एण्ड फिनांस हाउस ऑफ इंडिया लि. (डीएफएचआइ) को इसकी सहायक कंपनी के रूप में बदलना तथा (ii) भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम लि. में इसके निवेश (दांव) को कम करना।

3.113 बैंक ऑफ इंडिया को अनुमति दी गयी कि वह पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी यथा बीओआई आस्ति प्रबंध कंपनी लि. का विलय अपने में करे।

सारणी III.37 : स्थानीय क्षेत्र बैंक का निष्पादन
(मार्च 2003 के अंत की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए में)

स्थानीय क्षेत्र बैंक का नाम	जमाराशियां	जमाराशियां	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3	4
कोस्टल लोकल एरिया बैंक लि.	24.1	18.0	74.8
कैपिटल लोकल एरिया बैंक लि.	75.4	45.3	60.1
साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लि.	11.4	9.6	84.6
कृष्णा भीमा समद्धि लोकल एरिया बैंक लि.	2.5	3.9	162.5

3.114 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के 17 बैंकों, निजी क्षेत्र के नौ बैंकों और एक विदेशी बैंक एवं निजी क्षेत्र के बैंक की एक सहायक कंपनी को सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया कि वे जोखिम रहित भागीदारी के आधार पर बीमा उत्पादों का प्रचार-प्रसार शुरू करने के लिए बीमा कंपनियों के कंपनी एजेंट के रूप में काम करें। निर्धारित शर्तों के अधीन बीमा कंपनियों के साथ रेफेरल व्यवस्था शुरू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के पांच बैंकों, निजी क्षेत्र के दो बैंकों और एक विदेशी बैंक को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनुमोदन दिया गया।

3.115 भारतीय स्टेट बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक को एक नयी आस्ति प्रबंध कंपनी (एएमसी) 'यूटीआइ आस्ति प्रबंध कंपनी प्रा. लि.' तथा एक न्यासी कंपनी यथा यूटीआइ न्यासी कंपनी प्रा. लि. को प्रवर्तित करने का अनुमोदन मिला तथा इसमें प्रत्येक बैंक का अंशदान क्रमशः 2.5 करोड़ रुपया तथा 2.5 लाख रुपया होगा। इन तीन बैंकों के 'यूटीआइ मुचुअली फंड' को प्रवर्तित करने का भी अनुमोदन दिया गया तथा इसमें प्रत्येक बैंक को 2,500 रु. की पूंजी का अंशदान करना होगा जो कुल निधि का 25 प्रतिशत होगा, बशर्ते भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) इसके लिए आवश्यक अनुमति प्रदान करे।

3.116 आइसीआइसीआइ बैंक लि. को नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एनएमसीइ) की इक्विटी में 8 करोड़ रुपए तक की राशि के निवेश का अनुमोदन इस शर्त के अधीन दिया गया कि बैंक एनएमसीइ तथा इसके सदस्यों को केवल सामान्य बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा तथा एकसचेंज के सदस्यों द्वारा संपन्न किए गए व्यापार की गारंटी नहीं देगा। इसके अतिरिक्त, आइसीआइसीआइ बैंक लि. को आइसीआइसीआइ लोमबार्ड जेनरल इन्शयूरेंस कंपनी लि. की शेयर पूंजी में 81 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त अंशदान की अनुमति दी गयी। बैंक को आइसीआइसीआइ प्रूडेंशियल लाइफ इंशयूरेंस कंपनी लि. की इक्विटी में 259 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश का भी अनुमोदन दिया गया।

3.117 भारतीय स्टेट बैंक को निर्धारित शर्तों के अधीन बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सांविधिक चलनिधि अनुपात और गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निधियों के पोर्टफोलियों का प्रबंध शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र दिया गया।

3.118 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, व्यास बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और विजया बैंक को भी उनकी सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियों की इक्विटी में अंशदान के लिए अनुमोदन दिया गया।

सारणी III.38 : स्थानीय क्षेत्र बैंक का वित्तीय कार्य-निष्पादन

(राशि करोड़ रुपए)

मद	2001-02	2002-03	2002-03 के दौरान घटबढ़	
			समग्र	प्रतिशतता
1	2	3	4	5
क. आय (क + ख)	**15.1**	**17.1**	**2.0**	**13.7**
क) ब्याज आय	11.0	12.7	1.7	15.6
ख) अन्य आय	4.1	4.4	0.3	6.8
ख. व्यय (क + ख + ग)	**12.1**	**16.9**	**4.8**	**39.1**
क) लगा हुआ ब्याज	6.1	7.7	1.6	26.0
ख) प्रावधान और आकस्मिकताएं	0.7	2.6	1.9	276.9
ग) परिचालन व्यय	5.4	6.7	1.3	25.3
जिसमें से				
मजदूरी बिल	2.0	2.4	0.4	22.8
ग) लाभ				
क) परिचालन लाभ/हानि (-)	3.6	2.7	-0.9	-26.5
ख) निवल लाभ/हानि (-)	2.9	0.2	-2.7	-92.6
घ) कुल आस्तियां	**118.9**	**146.2**	**27.3**	**23.0**
ङ) वित्तीय अनुपात (कुल आस्तियों का प्रतिशत)				
क) परिचालन लाभ	3.1	1.8		
ख) निवल लाभ	2.5	0.5		
ग) आय	12.7	11.7		
घ) ब्याज आय	9.3	8.7		
ङ) अन्य आय	3.5	3.0		
च) व्यय	10.2	11.6		
छ) लगा हुआ ब्याज	5.1	5.3		
ज) परिचालन व्यय	4.5	4.6		
झ) मजदूरी बिल	1.7	1.7		
ञ) प्रावधान और आकस्मिकताएं	0.6	1.7		
ट) अंतर (निवल ब्याज आय)	4.1	3.4		

स्रोत : परोक्ष विवरणियां पर आधारित।

विदेशी बैंकों का स्थानीय परामर्शी बोर्ड

3.119 स्थानीय परामर्शी बोर्ड के गठन की आवश्यकता की समीक्षा पर विदेशी बैंकों को अगस्त 2003 में यह सूचित किया गया कि उनके द्वारा स्थानीय परामर्शी बोर्ड का गठन अब विनियामक अपेक्षा नहीं रह जाएगी तथा वे अपनी कंपनी की आवश्यकता के अनुसार उनके गठन के बारे में निर्णय कर सकते है। स्थानीय परामर्शी बोर्ड के ऐसे गठन के लिए रिज़र्व बैंक का विनियामक अनुमोदन अपेक्षित नहीं रह जाएगा।

काले धन को वैध बनाने पर रोक संबंधी अधिनियम

3.120 काले धन को वैध बनाने पर रोक संबंधी अधिनियम (पीएमएलए) 2002, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है, में व्यापक कानूनी संरचना का प्रावधान है जिससे कि अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित काले धन को वैध बनाने से रोका जा सके। इस अधिनियम के अंतर्गत बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा वित्तीय मध्यस्थों से अपेक्षित है कि वे सभी लेनदेनों का रिकार्ड रखें (जिसका स्वरूप और मूल्य निर्धारित किया जाएगा) तथा ऐसे लेनदेनों की सूचना नियुक्त प्राधिकरण (अधिनियम के अंतर्गत) को नियत समय सीमा के भीतर उपलबध कराएं; उन्हें अपने सभी ग्राहकों के पहचान के रिकार्ड सत्यापित करने और रखने की आवश्यकता है जैसा कि केंद्र सरकार के नियमों द्वारा नियत किया गया है। इसके साथ ही यह भी उल्लिखित है कि ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार रिज़र्व बैंक के परामर्श से संगत नियम बनाकर सूचना रखने और उपलबध कराने की प्रक्रिया और विधि निर्धारित करेगी जिसका कार्य अभी जारी है।

12. बैंकों का परिसमापन और समामेलन

3.121 31 दिसंबर 2002 की स्थिति के अनुसार 78 बैंक परिसमापन की प्रक्रिया के अधीन थे। परिसमापन की कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के संबंधित मामलों का शासकीय /न्यायालयीन परिसमापकों के साथ अनुसरण किया जा रहा है।

बैंकों का समामेलन

3.122 नेदुंगदी बैंक लि. 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष तक निरंतर लाभ अर्जित कर रहा था। तथापि, बैंक ने 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिए पहली बार 67.8 करोड़ रुपए की निवल हानि की सूचना दी। तदनंतर 31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष में बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार नहीं आया। 60.4 करोड़ रुपए की बैंक की निवल सम्पत्ति 65.5 करोड़ रुपए की संचित हानि से पूर्णतः नष्ट हो गयी, उचित समय में इन हानियों को समाप्त करना संभव नहीं था। चूंकि बैंक की पूंजी पूर्णतः नष्ट हो गयी इसलिए इसका सीआरएआर (-) 1.9 प्रतिशत ऋणात्मक हो गया जबकि न्यूनतम विनियामक अपेक्षा 9 प्रतिशत है। चूंकि 9 प्रतिशत न्यूनतम सीआरएआर हासिल करने के लिए बैंक के लिए लगभग 125 करोड़ अपेक्षित था इसलिए नेदुंगादी बैंक लि. का दूसरे बैंक के साथ समामेलन पर विचार करने के अलावा और कोई विकल्प उपलब्ध नहीं था।

3.123 समामेलन के पूर्वगामी उपाय के रूप में नेदुंगदी बैंक को 2 नवंबर 2002 से तीन महीने की अवधि के लिए अधिस्थगन के अंतर्गत रखा गया। इस अंतरिम अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949[8] की धारा 45 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के उपयोग में पंजाब नेशनल बैंक के साथ नेदुंगदी बैंक लि. के समामेलन की योजना का मसौदा तैयार किया। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 नवंबर 2002 को पंजाब नेशनल बैंक में नेदुंगदी बैंक लि. के समामेलन की योजना के मसौदे को अधिसूचित किया। योजना का मसौदा दोनों बैंकों को उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया तथा रिज़र्व बैंक ने 30 नवंबर 2002 तक योजना के मसौदे पर सुझाव अथवा आपत्तियां मांगी। समामेलन की उक्त योजना को अधिनियम की धरा 45 की उपधारा (7) के संदर्भ में 31 जनवरी 2003 की अधिसूचना के जरिए केंद्र सरकार ने अनुमति दी। नेदुंगदी बैंक लि. का पंजाब नेशनल बैंक के साथ समामेलन की योजना 1 फरवरी 2003 से लागू हुई।

13. अन्य गतिविधियां

बैंकों द्वारा दान

3.124 वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बैंक पिछले वर्ष घोषित अपने लाभ के 1 प्रतिशत की निर्धारित सीमा के भीतर किसी वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न प्रयोजनों के लिए दान दे सकते हैं। भारतीय बैंक संघ/ बैंकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में इस मामले की समीक्षा पर यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों द्वारा प्रधानमंत्री राहत निधि में दिए गए दान पर उपर्युक्त अधिकतम सीमा लागू नहीं होगी, बशर्ते बैंक के बोर्ड का अनुमोदन हो तथा कथित लाभ की तुलना में दान की राशि उचित हो। तथापि घाटे में चल रहे बैंकों के संदर्भ में इस मामले में भी अधिकतम 5 लाख रुपए की दान की समग्र सीमा पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

बैंकों द्वारा बीमा कारोबार

3.125 बीमा कारोबार में बैंकों के प्रवेश के संबंध में वर्तमान दिशानिदेशों के अनुसार कतिपय मानदंडों यानी 500 करोड़ रुपए से अधिक की न्यूनतम निधि, सीआरएआर 10 प्रतिशत से अधिक, पिछले तीन वर्षों से लगातार निवल लाभ, गैर-निष्पादक आस्तियों का उचित स्तर तथा उनकी सहायक कंपनियों का, यदि कोई हो, संतोषजनक पिछले रिकार्ड को पूरा करनेवाले बैंक जोखिम साझेदारी आधार पर बीमा संयुक्त उद्यम के गठन के लिए पात्र हैं। जो बैंक उपर्युक्त के अनुसार संयुक्त उद्यम साझीदार के रूप में पात्र नहीं हैं, यदि वे इसमें उल्लिखित कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं, तो उन्हें बुनियादी सुविधा और सेवा सहायता प्रदान करने के लिए निश्चित सीमा तक अपेक्षित निवेश की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अथवा इसकी सहायक कंपनी को बिना किसी जोखिम भागीदारी के किसी बीमा कंपनी के एजेंट के रूप में बीमा व्यवसाय शुरू करने तथा बीमा उत्पादों के विक्रय की अनुमति होगी। रेफरल माडल जिसके जरिए बैंक कंपनियों को अपनी चुनिंदा शाखाओं में प्रत्यक्ष बुनियादी सुविधा प्रदान कर सकते हैं, उनके द्वारा प्रत्येक रेफरल (संदर्भित मामले) के लिए शुल्क अर्जित कर सकते है; का विशेष रूप से उल्लेख पहले के दिशानिदेश में नहीं था। चूंकि रेफरल व्यवस्था उप-एजेंसी के समान है तथा किसी एजेंसी के प्रमुख कार्यकलापों के लिए प्रासंगिक है, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि बैंक रिज़र्व बैंक/

[8] इस धारा में किसी बैंकिंग कपनी के कारोबार के निलंबन के लिए केंद्र सरकार को निवेदन करने के संबंध में रिज़र्व बैंक के अधिकारों का उल्लेख है।

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से यह कार्यकलाप शुरू कर सकते हैं ।

हिंदी के प्रयोग में प्रगति

3.126 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआइसी) की चार तिमाही बैठके हुईं तथा इन बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई विशेषकर आंकड़ा संसाधन में हिंदी के प्रयोग तथा हिंदी /क्षेत्रीय भाषाओं में एटीएम को परिचालित करने के लिए अनिवार्य बैंकिंग समाधान सुविधा, हिंदी में उच्चस्तरीय बैठक का संचालन तथा शाखाओं में द्विभाषी आंकड़ा संसाधन में वृद्धि के संबंध में की गयी। हिंदी में आंकड़ा संसाधन कार्य करनेवाले शाखाओं की संख्या बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को दिशानिदेश जारी किए गए।

3.127 बैंकों का 23वां राजभाषा सम्मेलन अक्तूबर माह में हैदराबाद में आयोजित किया गया । हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए इसकी विविध सिफारिशें राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित की गईं यथा; क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, भारत सरकार को हिंदी में परिचालन प्रणाली का विकास करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंदी सॉफ्टवेयर के सभी विकासकर्ता यूनीकोड मानक का पालन करें ; ख) राजभाषा अधिनियम, नियमों तथा राजभाषा के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी वरिष्ठ कार्यपालकों को देने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएं तथा वरिष्ठ कार्यपालक शीर्ष स्तरीय बैठकों में हिंदी में वार्तालाप करें ; (ग) शाखाओं/ दौरों के निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ कार्यपालकों को भी हिंदी के प्रयोग के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए; तथा (घ) वरिष्ठ कार्यपालकों को अपने स्तर पर हिंदी का प्रयोग शुरू करना चाहिए ।